भारत सरकार

संक्षिप्त रिपोर्ट

कैलेण्डर वर्ष 2008

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली

प्रस्तावना

संसद में 16 फरवरी, 2009 को अन्तरिम बजट 2009-10 प्रस्तुत किया जाना है ताकि केन्द्र सरकार 2009-10 के पहले चार महीनों के लिए लेखानुदान की मांग करने में समर्थ हो सके। पूर्ववर्ती अनुसार, अनुदानों की ब्यौरेवार मांगे, परिणाम बजट और वार्षिक रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियमित बजट के साथ प्रस्तुत की जाती हैं। संसद में लेखानुदान पर होने वाली चर्चा को सुसाध्य बनाने के लिए एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 के कैलेण्डर वर्ष के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों और लक्ष्यों के साथ उसके कार्यकलापों का समावेश है।

वित्त मंत्रालय केन्द्र सरकार के वित्त साधनों के प्रशासन हेतु जिम्मेवार है। यह विकास के लिए संसाधन जुटाने के कार्य सहित समग्र रूप से देश को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक और वित्तीय मामलों से संबंधित है। यह राज्यों को किए जाने वाले संसाधनों के अंतरण सहित केन्द्र सरकार के व्यय को विनियमित करता है।

इस मंत्रालय में पांच विभाग हैं, नामतः

i. आर्थिक कार्य विभाग;
ii. व्यय विभाग;
iii. राजस्व विभाग;
iv. विनिवेश विभाग; तथा
v. वित्तीय सेवाएं विभाग।

इस रिपोर्ट में कैलेण्डर वर्ष 2008 के दौरान मंत्रालय द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों की संक्षिप्त रूपरेखा दी गई है।

विषय सूची

		पैरा सं.	पृष्ठ सं.
अध्याय-I			
आर्थिक कार्य विभाग			
*	आर्थिक प्रभाग	1	1
*	बजट प्रभाग	2	1-4
*	पूंजी बाजार प्रभाग	3	4-6
*	अवसंरचना प्रभाग	4	6-8
*	फंड बैंक प्रभाग (यूएन शाखा सहित)	5	8-12
*	विदेश व्यापार प्रभाग	6	12-14
*	सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा प्रभाग	7	14-15
*	प्रशासन प्रभाग	8	15-17
*	द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग	9	17-21
*	एकीकृत वित्त शाखा	10	22-23
अध्याय-II			
व्यय विभाग			
*	कार्यकलाप और संगठनात्मक ढांचा	1	24
*	स्थापना प्रभाग	2	24
*	योजना वित्त-I	3	24-25
*	योजना वित्त-II प्रभाग	4	25
*	वित्त आयोग प्रभाग	5	25-27
*	एकीकृत वित्त एकक	6	27
*	कर्मचारी निरीक्षण एकक	7	27
*	मुख्य सलाहकार लागत कार्यालय	8	27-28
*	महालेखा नियंत्रक (सीजीए)	9	28
*	मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय	10	28-29
*	केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय	11	29
*	ई-गवर्नेंस उपाय	12	29
*	वेतन अनुसंधान एकक	13	29-30
*	राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग	14	30
*	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान	15	30
अध्याय-III			
राजस्व विभाग			
*	कार्य	1	31
*	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड	2	31-33
*	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	3	33-34
*	राज्य कर प्रभाग	4	34-35
*	केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो	5	35
*	स्वापक नियंत्रण प्रभाग	6	35-36
*	सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति	7	36
*	प्रवर्तन निदेशालय	8	36
*	धनशोधन नियंत्रण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकारी का कार्यालय	9	36
*	वित्त आसूचना एकक-भारत	10	36-37
*	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	11	37

	पैरा सं.	पृष्ठ सं.
अध्याय IV		
विनिवेश विभाग		
प्रस्तावना	1	38
* कार्य और संगठनात्मक ढांचा	2	38-39
* कैलेण्डर वर्ष 2008 के दौरान कार्यकलाप, लक्ष्य एवं उपलब्धियां	3	39
अध्याय V		
वित्तीय सेवाएं विभाग		
* कृषि ऋण	1	40-41
* बैंकिंग परिचालन	2	42-43
* संस्थागत वित्त	3	43-46
* ऋण निगरानी और विकास	4	46-48
* बीमा क्षेत्र	5	48-50
* क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	6	50
* ऋण वसूली अधिकरण	7	50

अध्याय-I

आर्थिक कार्य विभाग

1. आर्थिक प्रभाग

1.1 पिछले पांच वर्षों में (2003-04 से 2007-08) भारत का सकल घरेलू उत्पाद (1999-2000 के स्थिर मूल्यों पर) 8.9 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर पर बढ़ा है जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से उच्च विकास के मार्ग पर अग्रसर हुई है। सन् 2008 में अर्थव्यवस्था के बृहत-आर्थिक प्रबंधन के सामने विशेषकर अप्रत्याशित बाह्य झटकों से उभरी चुनौती आई है-वर्ष की शुरुआत में ईंधन एवं वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद वर्ष के उत्तरार्ध में वैश्विक वित्तीय क्षेत्र में अभूतपूर्व गिरावट हुई और इसके फलस्वरूप अमरीका, यूरोप और जापान मन्दी की चपेट में आ गए। औद्योगिक देशों में इतने बड़े पैमाने पर आए संकट का विश्व भर पर असर पड़ना अवश्यंभावी है। अधिकतर उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में काफी मन्दी आई है और भारत पर भी इसका असर हुआ है। हालांकि राजकोषीय वर्ष के पूर्वार्ध में वास्तविक संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही है जो काफी उत्साहवर्धक है, वर्ष के उत्तरार्ध में इसके मंद पड़कर लगभग 7 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। फिर भी, इससे भारत विश्व में दूसरी सर्वाधिक तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

1.2 ऊंची और बढ़ती कीमतें सरकार के लिए बड़ी चिन्ता का कारण बनी हुई हैं। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के संदर्भ में मापित मुद्रास्फीति जून, 2008 के दूसरे सप्ताह में दो अंकों में पहुंच गई, जो और बढ़कर अगस्त, 2008 के पहले सप्ताह में 12.9 प्रतिशत के चौंका देने वाले स्तर पर आ गई और उसके बाद नवंबर, 2008 की शुरुआत तक 21 सप्ताह तक दो अंकों में ही बनी रही। आपूर्ति पक्ष के दबावों को कम करने के लिए सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई मौद्रिक पहलों के साथ मिलकर अनेक राजकोषीय व प्रशासनिक उपाय किए। इनसे घरेलू कीमतों में गिरावट हुई जब थोक मूल्य सूचकांक गिरकर 19 जनवरी 2009 को समाप्त सप्ताह में 5.1 प्रतिशत पर आ गया। इसके अतिरिक्त, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के नकारात्मक असर को रोकने के लिए सरकार ने ऐसे कदम उठाए जिनमें 7 दिसंबर, 2008 और 2 जनवरी, 2009 को घोषित राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज शामिल हैं। इनमें मांग बढ़ाने के लिए कर राहत की व्यवस्था की गई है और इनका उद्देश्य सरकारी परियोजनाओं पर किया जाने वाला व्यय बढ़ाना है ताकि रोजगार और सरकारी परिसंपत्तियों का सृजन किया जा सके। ये घटनाक्रम विकास और मुद्रास्फीति-नियंत्रण के बीच संभावित सामंजस्य को रेखांकित करते हुए नीति निर्माताओं के लिए चुनौती पेश करने के साथ-साथ भूमंडलीकृत विश्व में तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था के लिए वृहत आर्थिक प्रबंधन की बढ़ती जटिलताओं को सामने लाते हैं।

1.3 भारत ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के संबंध में एक उदार और पारदर्शी नीति बनाई है। एक छोटी नकारात्मक सूची को छोड़कर, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अधिकांशतः स्वचालित मार्ग के तहत किए जाने की अनुमति दी जाती है। एक उदार निवेश तंत्र की अनुपूर्ति ऐसी कर-प्रणाली करती है जो संतुलनकारी और स्थिर हो। वैश्विक वित्तीय बाजारों में व्याप्त अनिश्चितता के बावजूद, अप्रैल-नवंबर, 2008 के दौरान एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह 18.20 बिलियन अमरीकी डालर थे जो 2007 की इसी अवधि की तुलना में 174 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित करने वाले क्षेत्रकों में सेवा क्षेत्र, दूर संचार, निर्माण से संबंधित क्रियाकलाप, जिनमें सड़कें और राजमार्ग, आवास तथा स्थावर संपदा शामिल हैं तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर रहे हैं।

1.4 वित्त मंत्रालय के प्रमुख प्रकाशन नामतः आर्थिक समीक्षा तथा अर्थव्यवस्था की मध्य वर्षीय समीक्षा में सुधार लाने की दृष्टि से आर्थिक प्रभाग ने सरकार के भीतर और बाहर इन रिपोर्टों से जुड़े लोगों से परामर्श करने के लिए एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया। किए गए महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक और प्रस्तुतीकरण संशोधन वर्ष 2008 में संसद में प्रस्तुत किए गए इन दो दस्तावेजों में प्रतिबिम्बित हुए थे। इसके अतिरिक्त, आर्थिक प्रभाग ने अर्थशास्त्रियों, व्यावसायिक संघों और नीति संबंधी विश्लेषकों के साथ अक्सर परामर्श किया और आर्थिक कार्य विभाग से सीधे संबंधित मुद्दों पर कई नीतिगत और प्रारंभिक दस्तावेज प्रस्तुत किए।

2. बजट प्रभाग

2.1.1. बजट प्रभाग केंद्रीय सरकार तथा राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों की सरकारों के वार्षिक बजट (रेलवे को छोड़कर), अनुदानों की पूरक मांगे और अतिरिक्त अनुदानों की मांगे तैयार करने तथा उन्हें संसद के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग लोक ऋण, केंद्रीय सरकार के बाजार ऋणों, राज्य सरकारों द्वारा लिए और दिए गए उधारों, भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटियों तथा भारत की आकस्मिकता निधि से संबद्ध मामलों का निपटान करने के लिए भी जिम्मेदार है। इस प्रभाग का उत्तरदायित्व उस अनुदान में बचतों के पुनर्विनियोजन के लिए जहां वित्त मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होता है, अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई करके सरकारी व्यय के प्रवाह को विनियमित करने का भी है। यह प्रभाग राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई) तथा अल्प बचत योजनाओं और राष्ट्रीय रक्षा निधि से संबंधित मामलों का भी निपटान करता है। धर्मार्थ निधि कोषपाल से संबंधित कार्य भी बजट प्रभाग द्वारा किया जाता है।

2.1.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्त्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों तथा केद्र के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद के सम्मुख पेश करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। कैलेण्डर वर्ष 2008 के दौरान, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 17 रिपोर्टें संसद के सम्मुख पेश की गई और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विभिन्न निकायों की लेखापरीक्षा के 32 कार्य/पुनः लेखापरीक्षा के कार्य इस प्रभाग द्वारा निपटाए गए ।

2.1.3 बजट प्रभाग ''राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003'' के प्रशासन हेतु भी जिम्मेदार है जिसे 5 जुलाई, 2004 को लाया गया था। अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों को भी उसी तारीख से प्रभावी बनाया गया। मध्यावधि समीक्षा सहित तिमाही समीक्षा एफआरबीएम अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार संसद में प्रस्तुत की जाती है।

2.1.4 बजट प्रभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में लिंग आधारित बजट व्यवस्था के कार्यान्वयन का सरलीकरण/निरीक्षण भी कर रहा है।

2.2 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003

2.2 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों को वर्ष 2004 में लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत एफआरबीएम दस्तावेजों को तैयार करने और उन्हें संसद में प्रस्तुत करने हेतु केद्र सरकार के उत्तरदायित्व के निर्धारण की मांग की जाती है । तद्नुसार, कैलेन्डर वर्ष 2008 के दौरान संसद में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए ।

(i) बृहत् आर्थिक रूपरेखा विवरण 2008-09
(ii) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण 2008-09
(iii) राजकोषीय नीति संबंधी कार्यनीति विवरण 2008-09
(iv) प्राप्तियों और व्यय में प्रवृत्तियों की तिमाही रिपोर्ट ।

(क) वर्ष 2007-08 की तीसरी तिमाही रिपोर्ट
(ख) वर्ष 2007-08 की चौथी तिमाही रिपोर्ट
(ग) वर्ष 2008-09 की पहली तिमाही रिपोर्ट
(घ) वर्ष 2008-09 की मध्यावधि समीक्षा

2.2.2 राष्ट्रपति ने नवम्बर, 2007 को तेरहवें वित्त आयोग का गठन किया है। इसके अलावा, अगस्त, 2008 के दौरान राजकोषीय समायोजन हेतु नए सिरे से रोडमैप की समीक्षा हेतु और 2010 से 2015 के जरिए राजकोषीय समेकन के लाभों को बनाए रखने की दृष्टि से तेल, खाद्य तथा उर्वरक बांडों के कारण देयताओं को राजकोषीय लेखांकन में लाने की आवश्यकता और साथ ही केन्द्र सरकार की विभिन्न अन्य देयताओं का प्रभाव घाटा लक्ष्यों पर पड़ने को दृष्टिगत रखते हुए, एक संशोधित रोडमैप का सुझाव देने के लिए तेरहवें वित्त आयोग को अतिरिक्त विचारार्थ विषय प्रदान किए गए।

2.3 राष्ट्रीय लघु बचतें

2.3.1 लघु बचत योजना

2.3.1.1 वर्तमान में चालू लघु बचत योजनाएं हैं: डाकघर बचत खाता, डाकघर सावधि जमा (1,2,3 व 5 वर्ष) डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर मासिक आय खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (viii-निर्गम) किसान विकास पत्र और लोक भविष्य निधि।

2.3.1.2 लघु बचत योजनाओं को अधिक आकर्षण और निवेशकों के अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने इन योजनाओं में हाल में निम्नलिखित संशोधन किए है:

(i) डाकघर बचत खाता नियमावली तथा डाकघर समय जमा खाता के अंतर्गत दिनांक 26 जून, 2008 को किसी नेत्रहीन अथवा दूसरी दृष्टि से शारीरिक रूप से विकलांग वयस्क व्यक्ति द्वारा अथवा किसी साक्षर एजेंट के माध्यम से खातों के लेन-देन की अनुमति है।

(ii) डाकघर बचत खाता नियमावली के तहत दिनांक 26 अगस्त, 2008 से एनआरईजी अधिनियम के तहत नियुक्त कामगारों के लिए" शून्य जमा/शून्य शेष" खाता खोलने की अनुमति है।

(iii) डाकघर आवर्ती जमा योजना के तहत दिनांक 26 जून, 2008 से रक्षा सेवा के कार्मिकों के लिए खातों के पुनरूज्जीवन हेतु चूकों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है।

2.3.2 **लघु बचत संग्रहण**

वर्ष 2008-09 (नवम्बर, 2008) के दौरान विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत सकल जमाराशियां विगत वर्ष की इसी अवधि के 88,335 करोड़ रूपये के जमाराशि की तुलना में 94,635 करोड़ रुपये थी। चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान विगत वर्ष के दौरान अंतरित 12,194 करोड़ रुपये की तुलना में 10,500 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल सहित) को निवल लघु संग्रहणों के हिस्से के रूप में अंतरित किया जाना प्रस्तावित है।

2.3.2.1 **राष्ट्रीय लघु बचत निधि**

केन्द्र सरकार की लघु बचत योजनाओं के तहत समस्त मौद्रिक संव्यवहार का एक स्थान पर हिसाब-किताब रखने हेतु भारतीय लोक लेखा में "राष्ट्रीय लघु बचत निधि" (एनएसएसएफ) की स्थापना की गयी थी जो 1 अप्रैल, 1999 से प्रभावी है। लघु बचत योजनाओं में निवल उपचयों को विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल सहित) केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। राष्ट्रीय लघु बचत निधि से उधार लेने का राज्यों का न्यूनतम दायित्व घटाकर निवल संग्रहण का 80 प्रतिशत कर दिया गया है जो 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी है।

2.3.3 **लोगों के साथ उन्नत अंतरापृष्ठ हेतु उपाय**

2.3.3.1 केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के जरिये लघु बचत योजनाओं को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने हेतु विभिन्न उपाय करती है और साथ-साथ विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत जमाराशि जुटाने में लगे विभिन्न अभिकरणों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सेमिनार और बैठकें भी आयोजित कर रही है।

2.3.3.2 राष्ट्रीय बचत संस्थान जो आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) के अंतर्गत एक अधीनस्थ संगठन है, ने लघु बचतों पर सूचना के व्यापक प्रसार के जरिए लोगों के साथ अंतरापृष्ठ को आसान बनाने हेतु नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेन्टर के सहयोग से अपनी वेबसाईट अर्थात nsiindia.gov.in जारी रखी है। यह सेवा ऑनलाइन पंजीकरण और निवेशकों की शिकायतों के निपटान की भी व्यवस्था करती है।

2.4 **लोक ऋण और देयताएं तथा नकद प्रबंध**

2.4.1 राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण हेतु दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए केद्र सरकार के सामान्य उधार 1,45,146.04 करोड़ रूपए (सकल) और 1,00,571 करोड़ रूपए (निवल) अनुमानित है। ब.अ. 2008-09 के अनुसार सकल बाजार उधार नवम्बर, 2008 तक पूर्ण हो चुके थे ।

2.4.2 तथापि, अतिरिक्त नकद व्यय को देखते हुए संसद द्वारा अनुमोदित वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली और दूसरी पूरक मांगों और सरकार द्वारा घोषित राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाना आवश्यक हो गया है। तद्नुसार, 70,000 करोड़ रूपए की अतिरिक्त दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गमन कैलेन्डर जारी किया गया (प्रारम्भ में दिसम्बर, 2008 में तथा तत्पश्चात जनवरी, 2009 में संशोधित) ।

2.4.3 भारित औसत आय तथा वर्ष 2008-09 के दौरान केन्द्र सरकार की भारित औसत परिपक्वता वाली दिनांकित प्रतिभूतियां (23 जनवरी, 2009 तक) क्रमशः 8.03 प्रतिशत तथा 14.59 वर्ष थीं जबकि 2007-08 में यह क्रमशः 8.10 प्रतिशत और 14.38 वर्ष थीं ।

2.4.4 केद्र सरकार के संबंध में अर्थोपाय अग्रिम की उच्चतम सीमा चालू राजकोषीय वर्ष अर्थात् अप्रैल-दिसम्बर, 2008 की पहली तीन तिमाहियों के लिए 20,000 करोड़ रूपए निर्धारित की गयी थी। चौथी तिमाही हेतु अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 6,000 करोड़ रूपए है।

2.4.5 सामान्य बाजार उधार कार्यव्रम के अतिरिक्त, चालू राजकोषीय वर्ष में, सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को संवेदी पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में अनुमानित कम वसूलियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में अब तक तीन किश्तों में 65,942 करोड़ रूपए की विशेष प्रतिभूतियां जारी की हैं। सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के प्रतिपूर्ति हेतु तीन किश्तों में उर्वरक कंपनियों को 20,000 करोड़ रूपए की विशेष प्रतिभूतियां भी जारी की हैं।

2.4.6 बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत वार्षिक उच्चतम सीमा वर्ष 2008-09 में 2,35,000 करोड़ रूपए के आरंभिक स्तर सहित 2,50,000 करोड़ रूपए निर्धारित की है।

2.4.7 राज्य सरकारों ने 23 जनवरी, 2009 तक चालू राजकोषीय वर्ष में 46,327 करोड़ रूपए की निवल राशि उधार ली है।

2.5 ऋण प्रबंधन कार्यालय

व-र्ा 2007-08 के केन्द्रीय बजट में माननीय वित्त मंत्री ने सरकार में एक स्वायत्त ऋण प्रबंधन कार्यालय (डीएमओ) की स्थापना का प्रस्ताव किया था। प्रथम चरण में, स्वतःपूर्ण ऋण प्रबंधन कार्यालय की स्थापना को सुसाध्य बनाने के लिए एक मिडिल आफिस स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। इस घो-णा के बाद वित्त मंत्रालय में सितम्बर, 2008 में मिडिल आफिस की स्थापना की गई थी। इस मिडिल आफिस के मुख्य कार्यों में अन्य बातों के अलावा ऋण प्रबंधन कार्यनीति तैयार करना, आवधिक कैलेण्डर जारी करना, नकद और उधार संबंधी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना, सरकारी देनदारियों के संबंध में एक केन्द्रीकृत डाटाबेस तैयार करना और प्रचालित करना तथा ऋण से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार करना शामिल है।

3. पूंजी बाजार प्रभाग

3.1 प्रतिभूति बाजारों में सुधार

3.1.1 सरकार ने पिछले चार वर्षों में प्रतिभूति बाजारों को गहन और वृहत बनाने के लिए और देश में प्रतिभूति बाजार के विनियामक तंत्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक सुधार किए हैं। इन पहलों में कॉरपोरेट बांड बाजार में महत्वपूर्ण सुधार शुरू करना, विदेशी संस्थागत निवेशकों की भागीदारी, स्टॉक एक्सचेंजों में विदेशी निवेश, प्रतिभूति बाजार में एक समर्पित प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना करना (राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान),पैन को एकमात्र पहचान संख्या बनाना, आईपीओ ग्रेडिंग सहित प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश की प्रक्रिया को सरल बनाना, म्यूचुअल फंडों को प्रोत्साहित करना जिसमें भारतीय म्यूचुअल फंडों को विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देना शामिल है, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों द्वारा अधिशेष निधियों का निवेश, नए व्युत्पाद उत्पादों जैसे करेंसी फ्यूचर्स को शुरू करना; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निवेशक संरक्षण और शिक्षा निधि की स्थापना करना, आदि शामिल हैं।

3.1.2 सरकार ने एक सुरक्षित, पारदर्शी और सक्षम बाजार को संवर्धित करने और बाजार की ईमानदारी की रक्षा के लिए प्रणालियां और पद्धतियां लागू की हैं। स्थापित प्रणालियों में उन्नत जोखिम प्रबंधन तंत्र शामिल हैं जिसमें ऑनलाइन मॉनीटरिंग और निगरानी, स्थितियों पर विभिन्न सीमाएं, मार्जिन संबंधी अपेक्षाएं, सर्किट फिल्टर आदि आते हैं। बाजार को व्यापक और विस्तृत करने संबंधी उपायों में स्क्रीन आधारित व्यापार पद्धति, प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण, एक्सचेंजों का निगमीकरण और अपरस्परीकरण, समाशोधन निगम के माध्यम से निपटान, व्युत्पादों का व्यापार, शामिल हैं।

3.1.3 इसके अतिरिक्त, वैश्विक वित्तीय संकट से उत्पन्न मुद्दों से निपटने के लिए अनेक मौद्रिक एवं राजकोषीय उपाय किए गए हैं। इनमें, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा सुलभता और अधिक नकदी प्रावधानन के अलावा, विदेशी वाणिज्यिक उधारों को बढ़ाना, ऋण प्रपत्रों में विदेशी संस्थागत निवेश को 15 बिलियन डालर तक बढ़ाना, म्यूचुअल फंडों के लिए नकदी के रास्ते खोलना शामिल हैं।

3.2 लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों के लिए एक पृथक एक्सचेंज/प्लेटफार्म को प्रोत्साहित करना, स्व-विनियामक संगठनों की स्थापना, क्रेडिट दर-निर्धारण अभिकरणों के लिए व्यापक विनियामक ढांचा, ऋण प्रबंधन कार्यालय की स्थापना आदि जैसी अनेक पहलें शुरू किए जाने के कगार पर हैं। इन उपायों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

3.2.1 कारपोरेट बांड बाजार

सरकार ने कारपोरेट बांड तथा प्रतिभूतिकरण संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (पाटिल समिति)की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं तथा कारपोरेट बांड बाजार में विकास वर्धन के लिए कानूनी, विनियामक, कर तथा बाजार अभिकल्प क्षेत्रों में कुछ उपाय किए हैं।

3.2.2 स्टॉक एक्सचेंजों में विदेशी निवेश

प्रतिभूति बाजारों अर्थात स्टॉक एक्सचेंजों, निक्षेपागारों तथा समाशोधन निगमों में अवसंरचना कंपनियों में 49% तक का विदेशी निवेश अनुमत किया गया है जिसमें से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 26% तथा विदेशी संस्थागत निवेश की सीमा 23% है।

3.2.3 राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम)

वर्ष 2005-06 के बजट में, सेबी को प्रतिभूति बाजारों में मध्यवर्तियों को पढ़ाने तथा प्रशिक्षित करने के लिए तथा अनुसंधान का संवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। एनआईएसएम की स्थापना की जा चुकी है तथा वह प्रचालनरत है।

3.2.4 एकमात्र पहचान संख्या के रूप में पैन

प्रतिभूति बाजार में सभी लेनदेनों के लिए पैन को एकमात्र पहचान संख्या बना दिया गया है।

3.2.5 आईपीओ क्रमनिर्धारण

इक्विटी शेयरों के आईपीओ जारी करने वाली सभी कंपनियों के लिए सेबी ने यह अनिवार्य बना दिया है कि वे पहली मई, 2007 से सेबी के पास पंजीकृत कम से कम एक ऋण दरनिर्धारण अभिकरण से अपने आईपीओ का क्रमनिर्धारण करवा लें।

3.2.6 भारतीय म्यूचुअल फंडों को विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देना

सेबी ने विदेशी निवेशों के लिए सकल सीमा 5 बिलियन अमरीकी डालर निर्धारित की है। हाल ही में इस सीमा को बढ़ाकर 7 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया है।

3.2.7 नए व्युत्पन्न उत्पाद

एक लाख रूपए के न्यूनतम संविदा आकार वाली लघु व्युत्पन्न सूचकांक संविदा (सेंसेक्स तथा निफ्टी) की शुरूआत की गई है। यह पाया गया है कि सामान्यतः लघु संविदाएं शुरू करने से वैश्विक समग्र बाजार नकदीकरण तथा प्रतिभागिता में वृद्धि होती है। 11 जनवरी, 2008 से, सेबी को पांच वर्ष तक की अपेक्षाकृत दीर्घ अवधि/काल वाले सूचकांकों और स्टॉकों संबंधी विकल्प संविदाओं पर कारोबार करने की अनुमति भी दी गई है। इन संविदाओं द्वारा दीर्घावधि में बाजार में नकदीकरण उपलब्ध कराए जाने की आशा है। 15 जनवरी, 2008 से, सेबी ने फ्यूचर्स तथा आप्शन्स संविदाओं पर अस्थिरता सूचकांक शुरू करने की अनुमति दे दी है। सूचकांक के रूप में बाजार अस्थिरता का मुक्त रूप से उपलब्ध तथा उद्धृत उपाय बाजार भागीदारों के लिए सहायक होगा।

3.2.8 अल्प बिक्री

बजट घोषणा के अनुसरण में, सेबी ने 20 दिसम्बर, 2007 को एक परिपत्र जारी किया है जिसके द्वारा सांस्थानिक निवेशकों द्वारा अल्प बिक्री तथा अल्प बिक्री के निपटान में सहायता करने के लिए प्रतिभूतियां उधार देने तथा लेने की अनुमति दी गई है। इसे मार्च 2008 में क्रियान्वित कर दिया गया है ।

3.2.9 नवरत्न तथा मिनी रत्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए निवेश विकल्प

नवरत्न तथा मिनी रत्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सरकारी क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों में निवेश करने की अनुमति दी गई है।

3.2.10 निवेशक संरक्षण तथा शिक्षा कोष (आईपीईएफ)

सेबी ने निवेशक शिक्षा तथा संबंधित क्रियाकलापों के प्रयोजनार्थ निवेशक संरक्षण तथा शिक्षा कोष की स्थापना की है।

3.2.11 सरकारी प्रतिभूतियों तथा कारपोरेट बांडों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश

सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों तथा कारपोरेट बांडों में क्रमशः 5 बिलियन अमरीकी डालर तथा 15 बिलियन अमरीकी डालर तक का निवेश करने की अनुमति दी गई है।

3.2.12 जटिलता के स्तरों पर आधारित वित्तीय लिखतों का श्रेणीकरण

जटिलता तथा अंतर्हित जोखिमों के आधार पर वित्तीय लिखतों का श्रेणीकरण करने के लिए बाजाराधारित प्रणाली के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, क्रिसिल ने 28 मार्च, 2008 को "जटिलता स्तरों " की शुरूआत की है ताकि निवेशकों की कोई निवेश निर्णय लेने से पूर्व किसी लिखत में अंतर्ग्रस्त जोखिम कारकों को समझने हेतु अपेक्षित यथेष्ट सम्यक तत्परता तथा परिष्करण के अंश का निर्धारण करने में सहायता की जा सके। अभी हाल ही में, केयर, आईसीआरए तथा फिच ने इसी प्रकार के क्रियाकलाप शुरू किए हैं।

3.2.13 एडीआर/जीडीआर, एफसीसीबी/ईसीबी

घरेलू परिवर्तनीय बांडों की शुरूआत हेतु ढांचा तैयार किया जा रहा है। पर्याप्त ईसीबी उदारीकरण किया गया है।

3.2.14 विदेशी मुद्रा विनिमय बांड योजना

विदेशी मुद्रा विनिमय बांड योजना 15 फरवरी, 2008 को अधिसूचित की गई है।

3.2.15 **करेंसी फ्यूचर्स**

29 अगस्त, 2008 को एनएसई में, 01 अक्तूबर, 2008 को बीएसई में तथा 07 अक्तूबर, 2008 को एमसीएक्स में एक्सचेंज व्यापारित करेंसी फ्यूचर्स की शुरूआत की गई है।

4. अवसंरचना प्रभाग

4.1 अवसंरचना शाखा

4.1.1 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) का गठन

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 15 मई, 2008 को आयोजित हुई अपनी बैठक में 1000 करोड़ रुपए की आरम्भिक आधारभूत निधि/ सरकारी इक्विटी से "कौशल विकास के लिए समन्वित कार्य योजना " के अन्तरंग भाग के रूप में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के गठन को स्वीकृति दे दी है । आशा है कि निगम से कौशल विकास क्षेत्रों में प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी से तेजी आएगी और इसका समन्वय होगा । राष्ट्रीय कौशल विकास निगम "प्राइवेट क्षेत्र के नेतृत्वाधीन ", बाजार की आवश्यकताओं से संचालित होगा और विश्व श्रेणी के कौशल प्रदान करेगा । यह विभिन्न मंत्रालयों/केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों के विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे क्षेत्र विशेष के कार्यक्रमों को अलग प्रकार से एवं स्वतंत्र रूप से चलाएगा ।

4.1. 2. एनएसडीसी के लिए गतिशीलता की अपेक्षित राशि सुनिश्चित करने और इसके "प्राइवेट सेक्टर " के स्वरूप को बनाए रखने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 27 नवम्बर, 2008 को आयोजित हुई अपनी बैठक में, जैसाकि मंत्रिमंडल के पूर्ववत्ती अनुमोदन में विहित था, एनएसडीसी की स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए एक "दो पक्षीय " संरचना को अनुमोदित किया था ।

i. 10 करोड़ रुपए की आरम्भिक प्राधिकृत पूंजी सहित "लाभ के लिए नहीं " कंपनी (एनएसडीसी) के लिए धारा 25 को समाविष्ट करना, इसमें 51% पूंजी प्राइवेट क्षेत्र द्वारा धारित होगी ।

ii. सरकार और प्राइवेट स्रोतों, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय और अन्य एजेंसियों से निधियों को प्राप्त करने के रूप में कार्य करने हेतु सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन [राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ)] नामक न्यास का निगमीकरण

4.1.3. एनएसडीसी 31 जुलाई, 2008 को पंजीकृत हुआ था । प्राइवेट क्षेत्र के आठ संघों ने प्रत्येक ने एनएसडीसी की इक्विटी में 51 लाख रुपए का अंशदान किया है । इस समय कुल 7.08 करोड़ रुपए का अंशदान प्राप्त हुआ है जिसमें सरकार से 3 करोड़ रुपए का अंशदान शामिल है । एनएसडीसी के बोर्ड ने अब तक दो बैठकें की हैं और इसके दृष्टिकोण एवं कार्य निरूपण को प्रभावी बनाने हेतु महत्वाकांक्षी कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

4.1.4. एनएसडीएफ का पंजीकरण भारतीय न्यास अधिनियम 1861 के अन्तर्गत 6 जनवरी, 2009 को एक न्यास के रूप में हुआ है। सम्पूर्ण 1000 करोड़ रुपए की राशि (एनएसडीसी को पहले से वचनबद्ध अंशदान को घटाकर) निधि के जमा में डाले जाने की प्रक्रिया में है । इसके पश्चात एनएसडीसी और एनएसडीएफ के बीच निवेश प्रबंधन करार के अधीन एनएसडीएफ के जमा में डाली गई निधियां इसके द्वारा ट्रस्ट को प्रस्तुत किए गए कार्य/कार्य योजनाओं के आधार पर समय-समय पर एनएसडीसी को उपलब्ध करायी जाएंगी ।

4.2 एडीबी शाखा

4.2.1 वर्ष 2008 में एडीबी सहायता :

वर्ष 2008 के दौरान, 1801.65 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के 11 ऋण अनुमोदित हुए हैं, 730.5 मिलियन अमरीकी डारल के प्रदत्त संविदा लक्ष्य के मुकाबले 1146.1 मिलियन अमरीकी डालर की राशि प्राप्त की गई और 1371.7 मिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य के मुकाबले 1506.9 मिलियन अमरीकी डालर के संवितरण किए गए हैं ।

4.2.2 नई पहलें

4.2.2.1 एशियाई विकास बैंक (एडीबी) तकनीकी करार के आधार पर 2008 के दौरान 3000 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के लिए 2009 में वित्तपोषण किए जाने हेतु एक पर्यटन अवसरंचना विकास परियोजना अनुमोदित की गई है और परियोजना की तैयारी का कार्य पांच राज्यों में आरम्भ कर दिया गया था ।

4.2.2.2 एशियाई विकास बैंक के माध्यम से 150 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के लिए 2008 में एक महत्वाकांक्षी खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है । जबकि यह कार्यक्रम अभिज्ञात सुधारों को कार्यान्वित करने की इच्छुक 300 चयनित खादी संस्थाओं में आरम्भ किया जाएगा, फिर भी यह विशेष चिन्ह के मार्ग से खादी की छवि को स्थापित करने, केवीआईसी के अन्तर्गत संस्थागत सुधारों, कमजोर खादी संस्थाओं के लिए पुनर्संरचना योजना और सभी खादी संस्थाओं के लिए बाजार के सम्पर्कों को सुसाध्य बनाने हेतु प्रोत्साहन देने जैसे खादी के क्षेत्र में वैश्विक सुधारों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा। पिछले दो वर्षों के दौरान एडीबी ने 7 मिलियन अमरीकी डालर की तकनीकी सहायता के माध्यम से पीपीपी प्रकोष्ठों को सुदृढ़ बनाने और चयनित राज्यों और चुनिंदा केन्द्रीय (अवसंरचना) संबंधित मंत्रालयों में क्षमता निर्माण करने में सहायता दी है । **वर्ष 2008 में प्रायोगिक पीपीपी परियोजनाओं के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए परियोजनाओं का गठन करने और परियोजना विकास खर्चों की भागीदारी करने के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि के लिए एक नया तकनीकी करार अनुमोदित किया गया है ।**

4.3 सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रकोष्ठ

4.3.1 पीपीपी प्रकोष्ठ नीति, स्कीमों, कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण सहित सरकारी निजी भागीदारी से संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी है ।

4.3.2 पीपीपी प्रकोष्ठ पीपीपी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है जिसकी स्थापना मूल्यांकन तंत्र स्थापित करने और केन्द्रीय क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश जारी करने हेतु आर्थिक कार्यों पर मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन से की गई है । पीपीपीएसी की अध्यक्षता जनवरी, 2006 में इसके गठन के बाद से सचिव आर्थिक कार्य द्वारा की जाती है । पीपीपीएसी ने 96502.806 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ छियानवे परियोजनाओं को सैद्धान्तिक/अन्तिम अनुमोदन प्रदान किया है । वर्ष 2008 के दौरान पीपीपीएसी ने 66726.44 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ 53 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया है । इसके अतिरिक्त, जनवरी, 2009 में दो पत्तन परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है ।

4.3.3 पीपीपी प्रकोष्ठ "अवसंरचना में पीपीपी को वित्तीय सहायता के लिए स्कीम (अर्थक्षमता अन्तर के निधियन की स्कीम)" को कार्यान्वित करता है, जो पीपीपी परियोजनाओं को पूंजी अनुदान के रूप में परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक अर्थक्षमता अन्तर का निधिकरण मुहैया कराता है । अब तक, अर्थक्षमता अन्तर निधियन स्कीम के अन्तर्गत 24799.87 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत सहित अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा 34 प्रस्तावों को सैद्धान्तिक/अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसमें अनुमानित अर्थक्षमता अन्तर का निधियन 5439.19 करोड़ रुपए रहा है; 2008 के दौरान 10 परियोजनाओं को 13781.09 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया और अर्थक्षमता अन्तर का अनुमानित निधियन 2763.05 करोड़ रुपए रहा था ।

4.3.4 केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने 2007-08 के बजट भाषण में राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों को गुणवत्तापूर्ण परियोजना विकास क्रियाकलापों हेतु वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु परियोजना तैयारी की प्रक्रिया को गति प्रदान कराने के लिए 100 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि सहित एक आवर्त्ती निधि स्थापित करने की संसद में घोषणा की थी । भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) स्कीम के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित कर दिए है जिसमें परियोजना विकास खर्चों के 75 प्रतिशत तक अंशदान किया जाएगा । दिसम्बर, 2007 में इसकी अधिसूचना के बाद से 11.18 करोड़ रुपए की परियोजना विकास लागत सहित 16 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है जिसमें आईआईपीडीएफ की सहायता राशि 8.39 करोड़ रुपए है ।

4.3.5 ऐसी विश्वसनीय, भरोसेमंद परियोजनाओं की एक श्रृंखला तैयार करने के लिए जिसे प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया के माध्यम से प्राइवेट क्षेत्र को प्रस्तुत किया जा सके और साथ ही पीपीपी प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जा सके, पब्लिक संस्थानों और अधिकारियों की क्षमता निर्माण की जरूरतों को पूरा करने हेतु 14 राज्य सरकारों और 3 केन्द्रीय मंत्रालयों को स्थानिक पीपीपी विशेषज्ञों, वित्तीय/जोखिम विशेषज्ञों, एमआईएस विशेषज्ञों और कानूनी फर्मों के एक पैनल तक पहुंच के रूप में एशियाई विकास बैंक से तकनीक सहायता मुहैया करायी जा रही है ।

4.3.6 राज्य और नगरपालिका स्तर पर पब्लिक कार्यकारिणियों की क्षमता निर्माण में तेजी लाने और गहन बनाने के लिए पीपीपी पर एक व्यापक राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने हेतु एक ढांचा विकसित किया गया था । परिणामस्वरूप, बहुपक्षीय एजेंसियों के सहयोग से राज्य प्रशासनिक संस्थानों में प्रशिक्षण देने हेतु एक पाठ्यक्रम और एक "प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण " विकसित किया जा रहा है । सरकारी पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उद्भासन कार्यक्रम आयोजित किए गए । क्षमता निर्माण हेतु नियमित विचार-विमर्श के लिए राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों से पीपीपी केन्द्रक अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है ।

4.3.7 सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से अवसंरचना के विकास को सुसाध्य बनाने हेतु भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों पर सूचना के प्रसार और सरकारी पहलों पर स्पष्टता हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रकाशित करवा कर उन्हें परिचालित किया गया ।

- "सरकारी निजी भागीदारी- राज्यों परियोजनाओं के लिए एक समर्थकारी वातावरण का निर्माण"
- केन्द्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजना के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश
- अवसंरचना में पीपीपी को वित्तीय सहायता के लिए स्कीम एवं दिशानिर्देश
- भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि के लिए स्कीम एवं दिशानिर्देश
- पीपीपी परियोजनाओं के लिए व्यापारिक सलाहकारों का पैनल : पैनल के प्रयोग हेतु मार्गदर्शन

4.3.8 एक वेबसाइट www.pppinindia.com आरम्भ की गयी है जो निरपेक्ष रूप से पीपीपी को समर्पित है और पीपीपी परियोजनाओं, नीतियों और पहलों पर एक वास्तविक संसाधन हब के रूप में प्रयोजन सिद्ध करती है । यह वेबसाइट राज्य पहलों पर सूचना मुहैया कराने हेतु 2008 के दौरान राज्य क्षेत्र की पीपीपी यूनिटों के साथ महत्वपूर्ण सामंजस्य स्थापित करती है । वेबसाइट में उच्चस्तरीय प्रौद्योगिकी एवं सामग्री उपलब्ध करायी गई है । देश में पीपीपी परियोजनाओं पर ऑन लाइन डाटाबेस www.pppinindiadatabase.com विकसित करके 2008 के दौरान उसे चलाया गया है ताकि अवसंरचना क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं की स्थिति पर विस्तृत एवं वर्तमान सूचना मुहैया करायी जा सके। पीपीपी परियोजनाओं पर "आनलाइन " डाटाबेस वर्तमान में 40 संकेतकों पर देश में अवसंरचना क्षेत्र में 300 पीपीपी परियोजनाओं पर सूचना मुहैया कराता है ।

4.4 करेंसी एवं सिक्का निर्माण शाखा

4.4.1 सीपीएसई के पूर्ण स्वामित्वाधीन चार भारत सरकार टकसालों, चार प्रतिभूति मुद्रणालयों और एक प्रतिभूति कागज कारखाने के निगमीकरण, नामतः भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्का निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के परिणामस्वरूप 10.2.2006 से इन यूनिटों के कर्मचारी "मानित प्रतिनियुक्ति " के आधार पर एसपीएमसीआईएल में कार्य रहे थे ।

4.4.2 कर्मचारी यूनियनों/एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ लगभग ढाई वर्षों के अनेक दौरों में विचार-विमर्श के पश्चात सभी तीनों पक्षकारों अर्थात् भारत सरकार,, निगम और कर्मचारी यूनियनों/एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों द्वारा मुख्य श्रमायुक्त की उपस्थिति में 15 सितम्बर, 2008 को निगम के अन्तर्गत सेवा शर्तों के लिए रूप रेखा निर्धारित करते हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कर्मचारियों ने एसपीएमसीआईएल में समावेशन/सरकार में बने रहने के लिए अपने "विकल्प फार्म " प्रस्तुत किए, जो 1 नवम्बर, 2008 से प्रभावी हैं ।

4.4.3 सरकार ने वर्ष 2008 के दौरान निम्नलिखित स्मारक सिक्के जारी किए हैं :-

(क) प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ

(ख) शहीद भगत सिंह का 75वां शहीदी दिवस/शताब्दी

(ग) श्री गुरू ग्रंथ साहिब की गुरू-ता-गद्दी की तीन सौ वीं वर्षगांठ।

(घ) लुइस ब्रेल की द्वितीय जन्म शताब्दी

5. फंड बैंक प्रभाग

5.1 विश्व बैंक समूह

भारत विश्व बैंक समूह की चार संस्थाओं अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी), अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (एमआईजीए) का सदस्य है । भारत कई विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से (मुख्यतया आईबीआरडी और आईडीए के माध्यम से) उधार लेता आ रहा है ।

5.2 अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी)

31.12.2007 की स्थिति के अनुसार, आईबीआरडी द्वारा भारत को ऋणों के रूप में दी गई सहायता की कुल राशि 29956.262 मिलियन अमरीकी डालर है । 1.01.2008 से 31.12.2008 तक की अवधि के दौरान, 1306.0 मिलियन अमरीकी डालर की नई सहायता हेतु वचनबद्धता अनुमोदित की गई। इस तरह 31.12.2008 को यह कुल मिलाकर 31262,262 मिलियन अमरीकी डालर के स्तर तक पहुंच गई । जिन प्रमुख क्षेत्रों के लिए आई.बी.आर.डी. सहायता दी गई है उनमें सड़कें तथा राजमार्ग, ऊर्जा, शहरी अवसंरचना (जल तथा सफाई सहित) ग्रामीण ऋण तथा वित्तीय सेवा क्षेत्र शामिल हैं।

5.3 अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.)

आई.डी.ए. द्वारा भारत को ऋणों के रूप में दी गई कुल सहायता जिसके लिए करार हस्ताक्षरित किए गए थे, 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार, 31,678.16 मिलियन अमरीकी डालर है। 1.1.2008 से 31.12.2008 तक की अवधि के दौरान, **1259.4** मिलियन अमरीकी डालर की नई सहायता के लिए वचनबद्धता अनुमोदित की गई जिससे यह सहायता 31.12.2008 तक कुल मिलाकर 32937.56 मिलियन अमरीकी डालर हो गई है। जिन प्रमुख क्षेत्रों के लिए सहायता दी गई है, वे हैं- स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, तथा निर्धनता उन्मूलन ।

5.4 **कैलेंडर वर्ष 2008 के दौरान अनुमोदित/हस्ताक्षरित परियोजनाएं :**

मिलियन अमरीकी डालर

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदन/हस्ताक्षर करने की तारीख	आईबीआरडी की वचनबद्धता राशि	आईडीए की वचनबद्धता राशि	कुल राशि
1.	विद्युत प्रणाली विकास-IV अतिरिक्त वित्तपोषण	21-अक्तूबर, 08	400.0	0.0	400.0
2.	उड़ीसा समुदाय तालाब प्रबंधन परियोजना	30-सितम्बर,08	56.0	56.0	112.0
3.	भारत उड़ीसा राज्य सड़क परियोजना	30-सितम्बर,08	250.0	0.0	250.0
4.	राष्ट्रीय वेक्टर वाही रोग नियंत्रण एवं पोलियो उन्मूलन सहायता परियोजना	31-जुलाई.,08	0.0	521.0	521.0
5.	उड़ीसा ग्रामीण आजीविका परियोजना	31-जुलाई,08	0.0	82.4	82.4
6.	प्रारंभिक शिक्षा (एसएसए-II)	15-मई,08/14-अगस्त, 08	0.0	600.0	600.0
7.	विद्युत प्रणाली विकास परियोजना-IV	18-मार्च,08 /28-मार्च,08	600.0	0.0	600.0
8.	रामपुर पन बिजली परियोजना	13-सितम्बर,07/15-जनवरी.,08	400.0	0.0	400.0
9.	बिहार विकास नीति प्रचालन-I	20-दिसम्बर,07/15-जनवरी.,08	150.0	75.0	225.0
10.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण निर्धनता उपशमन-अतिरिक्त वित्तपोषण	10-जुलाई,-07/ 25-जुलाई -08	0.0	65.0	65.0

5.5 **कैलेंडर वर्ष के दौरान उपर्युक्त के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) से संबंधित निम्नलिखित परियोजनाएं भी हस्ताक्षरित की गईं :**

मिलियन अमरीकी डालर में

क्रम सं.	परियोजना का नाम	हस्ताक्षर करने की तारीख	ऋण/उधार की राशि
1.	पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता उपशमन	17.10.2008	30.3
2.	मध्य गंगा मैदान में महिला सशक्तिकरण और आजीविका कार्यक्रम	11.12.2008	30.2

5.6 **भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)**

5.6.1 यूएनडीपी वर्ष 1951 से देश के विकास में भारत का सहयोगी रहा है। यूएनडीपी का समग्र उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, महिला-पुरूष समानता, महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण को उच्च प्राथमिकता देकर लगातार मानव संसाधन विकास में क्षमता अभिवृद्धि करके कार्यक्रम देशों की मदद करना है। यूएनडीपी की समस्त सहायता अनुदान सहायता के रूप में मुहैया करायी जाती है।

5.6.2 यूएनडीपी विभिन्न दाता देशों के स्वैच्छिक अंशदानों से अपनी निधियां प्राप्त करता है। यूएनडीपी को भारत का वार्षिक अंशदान 4.5 मिलियन अमरीकी डालर है, जो विकासशील देशों से प्राप्त होने वाले अंशदानों में सबसे अधिक है।

5.7 **देश सहयोग ढांचा (सीसीएफ)**

5.7.1 यूएनडीपी संसाधनों का देश-विशिष्ट आबंटन देश सहयोग ढांचे के अंतर्गत प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाता था जो सामान्यतः भारत के पंचवर्षीय योजनाओं के समकालिक होता था। पिछला देश सहयोग ढांचा (सीसीएफ-II) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2003-07) के समकालिक था और निम्नलिखित विषय क्षेत्रों पर संकेन्द्रित था (i) मानव विकास तथा महिला-पुरूष समानता को बढ़ावा देना; (ii) विकेन्द्रीकरण के लिए क्षमता निर्माण; (iii) गरीबी उपशमन एवं स्थायी आजीविका; और (iv) सुभेद्यता अपचयन एवं पर्यावरण स्थायित्व।

5.7.2 देश सहयोग ढांचे-II का कुल संसाधन आधार 190 मिलियन अमरीकी डालर है, जिसमें से 93 मिलियन अमरीकी डालर के बुनियादी संसाधन हैं। देश सहयोग ढांचे-II के अंतर्गत, 114.38 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की 26 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थी।

5.8 **नया देश कार्यक्रम (न्यू कंट्री प्रोग्राम)**

5.8.1 यूएनडीपी कार्यपालक बोर्ड में सितम्बर, 2007 में कंट्री प्रोग्राम (सीपी) 2008-12 को भारत सरकार और यूएनडीपी कंट्री

आफिस द्वारा तैयार किया गया था जो सर्वाधिक लाभवंचित वर्गों-विशेषकर महिलाओं एवं बालिकाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन को बढ़ावा देने को संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता ढांचे के ध्येय पर आधारित है। यह 11वीं योजना में समावेशी विकास के मुद्दे पर जो विशेष रूप से बल दिया गया था उसी के सुसंगत है। नया कंट्री प्रोग्राम मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण विषयों नामतः लोकतांत्रिक अभिशासन, गरीबी उपशमन, एचआईवी एवं विकास आपदा जोखिम प्रबंधन और ऊर्जा एवं पर्यावरण पर संकेन्द्रित है। यह आर्थिक रुप से पिछड़े सात राज्यों नामशः बिहार, छतीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर ध्यान देगा।

5.8.2 न्यू कंट्री प्रोग्राम के लिए अनुमानित 200-250 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के कुल संसाधनों की आवश्यकता है, जिसमें से एक तिहाई कोर और एक तिहाई कोर-भिन्न होंगे, शेष यू एन न्यास निधि आदि से जुटाए जाएंगे।

5.8.3 देश कार्यक्रम कार्य योजना (सीपीएपी) पर, जो 2008-12 की अवधि के दौरान यूएनडीपी कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करेगी, दिनांक 27.2.2008 को आर्थिक कार्य विभाग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ हस्ताक्षरित किए गए थे और यह 31 दिसम्बर, 2012 तक लागू रहेगी।

5.8.4 देश कार्यक्रम कार्य योजना :2008-2012ः सीपीएपी के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं :

1. आजीविका संवर्धन कार्यनीतियों के लिए राज्य स्तर पर सहायता;
2. वित्तीय समावेशन;
3. सीमांतीय व्यक्तियों को न्याय दिलाना;
4. जिला आयोजना के लिए क्षमता विकास
5. मौसम परिवर्तन का शमन करने के सह-लाभों सहित राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को सहायता;
6. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रयासों को सहायता; और
7. रसायन प्रबंधन मुद्दों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों को सहायता।

5.8.5 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संबंधित क्रियान्वयन मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ वार्षिक कार्य योजनाओं पर बातचीत कर रहा है।

5.9 भारत तथा अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.)

- जुलाई, 1944 में ब्रिटेन वुडज, न्यू हैम्पशायर, यू.एस.ए, में आयोजित 44 राष्ट्रों के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक की स्थापना की गई थी। आई.एम.एफ. एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था है जिसकी स्थापना एक सहकारी एवं स्थायी वैश्विक मौद्रिक ढाँचे के विकास के लिए की गई है। इस समय,185 देश आई.एम.एफ के सदस्य हैं।

- भारत आई.एम.एफ का संस्थापक सदस्य है। भारत ने 1993 के बाद आई.एम.एफ से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए सभी ऋणों की अदायगी 31 मई, 2000 को पूरी कर ली गई है।

- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ) के 217,314.8 मिलियन एस.डी.आर के कुल कोटे में भारत का वर्तमान कोटा 4,158.2 मिलियन एस.डी.आर (विशेष आहरण अधिकार) है जो कि 1.91% शेयर धारिता के बराबर है। कोटे पर आधारित भारत की सापेक्ष स्थिति 13 वीं है। तथापि, वोटिंग शेयर के आधार पर, भारत (इसके संघटक देशों अर्थात बंगलादेश, भूटान तथा श्रीलंका सहित) का स्थान 22वां है।

- सितम्बर, 2006 में सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक के अवसर पर गवर्नर बोर्ड द्वारा अंगीकृत कोटा और वॉयस सुधार संबंधी संकल्प (संकल्प 61-5, 18, सितम्बर, 2006) ("सिंगापुर संकल्प ") में अनुरोध किया गया है कि कार्यपालक बोर्ड दो वर्ष के अंदर एक सुधार कार्यक्रम बनाए जिससे इस कोष की विश्वसनीयता और प्रभावकारिता बढ़ायी जा सके ।

- तदनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर बोर्ड ने सदस्य देशों के साथ लगातार चर्चा और परामर्श करने के पश्चात **28 अप्रैल, 2008 को** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटे और स्वीकृति संरचना में सुधारों का समर्थन किया । इस समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटे और स्वीकृति संरचना को फिर से पुनः निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण मानक सिद्ध हुआ है जिससे विश्व में अर्थव्यवस्थाओं के साक्षेप आर्थिक महत्वों को प्रतिलक्षित किया जा सके । यह संयुक्त राष्ट्र छत्रछाया के अंतर्गत आने वाले संगठनों में विकासशील देशों द्वारा लंबे और दीर्घकालिक संघर्षों को व्यापक रूप से व्यक्त करता है । भारत अपनी स्थापना के समय से ही इन प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है ।

- इस निर्णय के परिणामस्वरूप उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं, विकासशील देशों और अल्प आय वाले देशों की सुनवाई और प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी । कुल 185 सदस्य देशों में से 54 देश सिंगापुर वार्षिक बैठक (सिंगापुर 2006) से पूर्व स्तरों पर

अपना कोटा अंश वृद्धि को देख सकेगें जो 12% से बढ़कर 106% हो जाएगा । कोरिया, तुर्की चीन, ब्राजील और भारत जैसे सक्रिय रूप से उभरते बाजार लाभार्थी देश हैं । भारत का कोटा समग्र रूप से 40% बढ़ जाएगा और विश्व के कुल हिस्से की दृष्टि से 28% बढ़ जाएगा ।

- कुल मिलाकर 135 देशों के स्वीकृत शेयरों में वृद्धि होगी और इससे पहले वाले स्तरों के मुकाबले कोटा शेयरों में वृद्धि होगी और बेसिक वोट्स बढ़कर तिगुनी हो जाएंगी । इन 135 देशों के लिए वोटिंग शेयरों में कुल बदलाव 5.4% अंकों का होगा जिनमें अल्प आय वाले देशों के लिए पर्याप्त वृद्धि शामिल होगी ।

- **भारत का वास्तविक कोटा शेयर 1.91% से बढ़कर 2.44% हो जाएगा जबकि इसका वोट शेयर 1.88% से बढ़कर 2.34% हो जाएगा ।** इस प्रक्रिया में भारत की सापेक्ष स्थिति कोटा और वोट शेयर दोनों में 185 सुदृढ़ सदस्यता वाले देशों में (तेरहवें स्थान से) सुधर कर अब तक की **सर्वाधिक 11वीं** हो जाएगी । भारतीय वर्ग में भूटान को सिंगापुर पूर्व स्तरों के मुकाबले, 167% वृद्धि प्राप्त हुई है ।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के तहत करार में संशोधन के परिणामस्वरूप कुल वोटिंग शक्तियों के तहत 85% वाले सदस्य देशों के 3/5 सदस्यों द्वारा स्वीकार करने के पश्चात यह कोटा वृद्धि प्रभावी हो जाएगी । भारत ने उपर्युक्त वॉयस और भागीदारी की अपनी स्वीकृति पहले ही भेज दी है ।

5.9.2 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)के अनुच्छेद IV संबंधी परामर्श

- आईएमएफ के करार की शर्तों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संबंधी अपने अधिदेश के भाग के रूप में, आई.एम.एफ अपने सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए सामान्यतः वर्ष में एक बार अनुच्छेद IV संबंधी परामर्श का आयोजन करता है। अनुच्छेद IV संबंधी परामर्श सामान्यतया दो चरणों में आयोजित किए जाते हैं। भारत के संबंध में अनुच्छेद IV संबंधी परामर्श का पिछला दौर दिसम्बर, 2008 में आयोजित किया गया।

5.9.3 आईएमएफ की वित्तीय लेनदेन योजना (एफ.टी.पी.) में भारत की भागीदारी

- भारत 2002 के अंत में आई.एम.एफ की वित्तीय लेन-देन योजना में भाग लेने के लिए सहमत हो गया था। अब भारत को मिला कर 43 देश एफटीपी में भाग लेते हैं। इस योजना में भाग लेकर, भारत हमारे कोटा अंशदान के हिस्से के तौर पर अपनी रूपया धारिता के नकदीकरण के लिए आई.एम.एफ को अनुमति दे रहा है जिससे दुर्लभ-मुद्रा प्राप्त करके उसे अन्य सदस्य देशों, जो आई.एम.एफ के देनदार है, को उधार दिया जा सके।

- वर्ष 2002 से दिसंबर, 2008 तक, भारत ने 810.23 मिलियन एसडीआर के तेरह खरीद लेन-देन किए हैं तथा 794.16 मिलियन एसडीआर के चौबीस पुनःखरीद संबंधी लेन-देन किए है।

5.10 वित्तीय क्षेत्र निर्धारण संबंधी समिति (सीएफएसए)

वित्तीय क्षेत्र के विकास को बनाए रखने की जरूरत को जानते हुए और वित्तीय संतुलन तथा वित्तीय मानकों एवं संहिताओं के कार्यान्वयन की स्थिति का निर्धारण करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से 2006 में वित्तीय क्षेत्र निर्धारण समिति का गठन किया था।

- इस समिति के अध्यक्ष डा0 राकेश मोहन, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक हैं और इसके सह-अध्यक्ष सचिव, आर्थिक कार्य विभाग हैं। समिति, स्वतः निर्धारण के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन संबंधी विस्तृत हैंडबुक का इस्तेमाल करेगी।

- वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन संबंधी समिति का कार्य आरंभ होने से लेकर दिसम्बर 2008 तक इसकी ग्यारह बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देकर भारत सरकार को प्रस्तुत करेगी।

5.11 भारत और ग्रुप 20

- वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों का यह अंतर्राष्ट्रीय मंच 19 देशों, यूरोपीय संघ तथा ब्रेटन वुड्स संस्थाओं (आई.एम.एफ और विश्व बैंक) का प्रतिनिधित्व करता है।

- वर्ष 2008 में जी 20 की मंत्रिस्तरीय बैठक 8-9 नवम्बर, 2008 को साऊ पाऊलो, ब्राजील में आयोजित की गई।

- इस बैठक के सत्रों में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई; वित्तीय स्थायित्व और विश्व अर्थव्यवस्था; विकास और नीतिगत प्रत्युत्तर; विश्व वित्तीय संकट की दृष्टि से राजकोषीय नीतिगत प्रत्युत्तर; विश्व बाजार एवं मुद्रा स्फीति; विकास और नीतिगत प्रत्युत्तर; अंतर्राष्ट्रीय अभिशासन में सुधार करना एवं जी-20 की प्रभावकारिता बढ़ाना और वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था के संबंध में नेताओं के शिखर सम्मेलन की तैयारी करना (इस सत्र में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में चर्चा की गई)।

इस बैठक के लिए श्री पी0 चिदम्बरम, तत्त्कालीन वित्त मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल कर नेतृत्व किया ।

- तदनंतर, श्री पी0 चिदम्बरम, तत्कालीन वित्त मंत्री और श्री अशोक चावला, सचिव (आर्थिक कार्य) (प्रधान मंत्री के प्रतिनिधिमण्डल के रूप में) ने वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था तथा संबंधित घटनाक्रमों के संबंध में वाशिंगटन डी0सी0 में 13-15 नवम्बर के दौरान आयोजित किए गए जी-20 सम्मेलन में भाग लिया ।

- वाशिंगटन डीसी में 15 नवम्बर, 2008 को जी-20 शिखर बैठक के बाद, ग्रुप-20 के नेताओं ने, अन्य बातों के साथ-साथ, "मौजूदा संकट के मूल कारणों " को रेखांकित करने, "की गई कार्रवाई और की जाने वाली कार्रवाई " के संबंध में एक घोषणा की । इसके अलावा, इस घोषणा में वैश्विक आर्थिक मंदी से निपटने के लिए समन्वित कार्रवाई के भाग के रूप में "सुधारों के सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के लिए व्यापक कार्य योजना " प्रस्तुत की गई ।

- जहां तक इस " कार्य योजना " में भारत से संबंधित मुद्दों और सुझाए गए अपेक्षित परिवर्तनों पर विचार करने का संबंध है, इस विभाग के 5 दिसम्बर, 2008 के ज्ञापन के तहत एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है । इस विभाग के सचिव (आर्थिक कार्य) श्री अशोक चावला और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डा0 राकेश मोहन इस समिति के सह अध्यक्ष हैं ।

- समिति की मंशा जनवरी, 2009 तक एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार करने की है ताकि अप्रैल, 2009 तक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए विख्यात गैर-सरकारी/स्वतंत्र विशेषज्ञों से परामर्श करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके । तब जी-20 नेता वाशिंगटन सम्मेलन में सहमत सिद्धांतों और निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए फिर बैठक करेंगे ।

6. विदेश व्यापार प्रभाग

6.1 यह प्रभाग रूस तथा सीआईएस देशों, तकनीकी सहायता, अफ्रीकी विकास बैंक, निवेश आयोग, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) और ऋण श्रृंखलाओं से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करता है, वाणिज्य मंत्रालय को विशेषकर विदेशी मुद्रा के संदर्भ में डब्ल्यूटीओ और मुक्त व्यापार करार (एफटीए) इत्यादि से जुड़े मामलों समेत भारतीय विदेश व्यापार की नीतियों पर सलाह देता है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में यह प्रभाग वार्ताओं के "वित्तीय सेवाओं " से संबंधित भाग का कार्य देखता है।

6.2 वर्ष 2008 में प्रत्येक अनुभाग का विस्तृत कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है :-

सीआईई - I अनुभाग

6.2.1 अफ्रीकी विकास बैंक

भारत ने मापूतो, मोजांबिक में 11-15 मई, 2008 के दौरान आयोजित अफ्रीकी विकास बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लिया है। अफ्रीकी विकास बैंक समूह के कार्यकारी निदेशक श्री लोरेंट गूये ने 23-29 नवम्बर, 2008 के दौरान भारत का दौरा किया और उनके दौरे के दौरान अफ्रीकी विकास बैंक समूह और भारतीय एक्जिम बैंक द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली और मुंबई में व्यवसाय अवसर संगोष्ठियां आयोजित की गई थी।

सीआईई -II अनुभाग

6.3 दूसरे देशों को दी गई भारत सरकार से सहायता प्राप्त ऋण श्रृंखलाएं :

सन् 2008 में, कुल 672.68 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखलाएं प्रदान करने के लिए पंद्रह (15) प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके साथ ही उन देशों की संख्या जिनके लिए ऐसी ऋण-श्रृंखलाएं मंजूर की गई हैं, 51 हो गई है (कुल 4925.71 मिलियन अमरीकी डालर की कुल 96 ऋण श्रृंखलाएं)।

6.4 विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड एकक

6.4.1 विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों के लिए एकल समाशोधन मार्ग है तथा इसमें आर्थिक कार्य विभाग, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, लघु उद्योग मंत्रालय, राजस्व विभाग, वाणिज्य विभाग, विदेश मंत्रालय तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सचिवों का मुख्य दल शामिल है। विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की अध्यक्षता आर्थिक कार्य विभाग के सचिव द्वारा की जाती है और इसकी महीने में दो बैठकें होती हैं

6.4.2 विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों संबंधी कार्य इस विभाग में किया जाता है, और एनआरआई निवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यापार चिन्ह समझौता तथा 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों संबंधी कार्य वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग में किया जाता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश डाटा संबंधी कार्य भी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान, कुल 19 बैठकें आयोजित की गईं जिनमें 509 प्रस्तावों पर विचार किया गया था और 341 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह लगभग 20519.48 करोड़ रुपए का हुआ। वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान (दिसम्बर, 2008

तक) कुल 15 बैठकें आयोजित की गईं जिनमें 468 मदों पर विचार किया गया और 299 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह लगभग 16011.62 करोड़ रुपए का हुआ।

6.5 विदेशी निवेश एकक

निवेश आयोग की पहली रिपोर्ट जिसका शीर्षक "**भारत में निवेश कार्यनीति** " था, फरवरी, 2006 में प्रस्तुत की गई, जिसमें 149 अनुशंसाएं थीं और दूसरी रिपोर्ट जिसका शीर्षक "**महत्वपूर्ण क्षेत्र** " था, 137 अनुशंसाओं के साथ दिसम्बर, 2007 में प्रस्तुत की गई। आवश्यक कार्रवाई के लिए इन अनुशंसाओं पर संबंधित विभागों/ मंत्रालयों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनुभाग (आईसी अनुभाग)

6.6 द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार (बिपा)

6.6.1 द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार का उद्देश्य एक देश के निवेशकों के हितों का दूसरे देश के राज्य क्षेत्र में संवर्धन और संरक्षण करना है। ऐसे करार सभी मामलों में व्यवहार के न्यूनतम मानक का आश्वासन देते हुए निवेशकों की सुनिश्चितता बढ़ाते हैं, और मेजबान देश के साथ विवादों के न्यायसंगत निपटान की व्यवस्था करते हैं। 26.01.2009 की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार ने अब तक 73 देशों के साथ बिपा पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें से 63 बिपा पहले से ही लागू हो गए हैं और शेष करारों को प्रवर्तित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त, अनेक अन्य देशों के साथ भी करारों को अंतिम रूप दिया गया है और/या बातचीत की जा रही है।

6.6.2 कैलेंडर वर्ष 2008 के दौरान, 5(पांच) द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करारों पर हस्ताक्षर किए गए अर्थात ऊरूग्वे, मकदूनिया, सीरियाई अरब गणराज्य, म्यामांर और सेनेगल के साथ। इस वर्ष के दौरान, 6(छः) द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार प्रवृत्त हुए जिन पर पहले हस्ताक्षर किए गए थे अर्थात बोसनिया और हरजेगोविना, मेक्सिको, हेलेनिक गणराज्य (यूनान), सऊदी अरब, मकदूनिया और आईसलैंड के साथ।

6.7 विदेशी निवेश नीति

विदेशों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए नीति को समय-समय पर महत्वपूर्ण रूप से उदार बनाया गया है। भारतीय कारपोरेटों/ भागीदारी फर्मों को रिजर्व बैंक अथवा भारत सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना, अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तिथि की स्थिति के अनुसार वर्ष में अपने निवल मूल्य के 400% तक का निवेश विदेशी कंपनियों में करने की अनुमति दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या फेमा 120/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करके दिनांक 13 अगस्त, 2008 के अपने ए.पी.(डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 07 द्वारा नीति को स्वचालित मार्ग के तहत और उदारीकृत किया है और विनिर्माण/शिक्षण क्षेत्र में रत पंजीकृत न्यासों और संस्थाओं को रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से भारत से बाहर उन्हीं (क्षेत्रों) में संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों में निवेश करने की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, उन पंजीकृत न्यासों और संस्थाओं, जिन्होंने भारत में अस्पताल (अस्पतालों) की स्थापना की है, को भी रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से भारत से बाहर उन्हीं क्षेत्र (क्षेत्रों) में संयुक्त उद्यमों अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों में निवेश करने की अनुमति दी है।

6.8 विदेशी निवेश अनुमोदन

कैलेंडर वर्ष 2008 के दौरान (जनवरी, 2008 से सितम्बर, 2008 तक), भारतीय रिजर्व बैंक के, मुंबई संबंधी डाटा के अनुसार, विदेश में निवेश के लिए भारतीय कंपनियों को इक्विटी, ऋण और गारंटी के रूप में 13577.32 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के 2445 अनुमोदन प्रदान किए गए।

टी.ए. अनुभाग

6.9 रूस के साथ द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मामले

भारत-रूस संयुक्त कृत्तिक बल अंतर-सरकारी वित्तीय देयताओं के निपटान संबंधी मुद्दों पर कार्य करता है। भारत सरकार और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच सामान्य विनिमय पत्र पर 12.11.2007 को हस्ताक्षर किए गए जिसके द्वारा रूसी परिसंघ को भारतीय रिजर्व बैंक के पास वनेशकोनोमबैंक के केन्द्रीय खातों में संचित राशियां कतिपय शर्तों के अधीन भारत के गणराज्य के राज्य क्षेत्र में किन्हीं निवेश परियोजनाओं के लिए प्रयुक्त करने की अनुमति दी गई। इससे पहले इस राशि का उपयोग केवल भारत से रूस को सामान एवं सेवाएं निर्यात करने के लिए किया जाना था।

6.10 कोलम्बो योजना के तहत तकनीकी सहयोग योजना (टीसीएस)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कोलम्बो योजना की तकनीकी सहयोग योजना के अंतर्गत भारत के 42 संस्थानों में 18 कोलम्बो योजना सदस्य देशों के लगभग 370 अध्येताओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास, लेखा परीक्षा तथा लेखा,

वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर शिक्षा, संसदीय मामले, ग्रामीण विकास, वस्त्र, जल संसाधन, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरी, वित्तीय प्रबंधन, बीमा आदि शामिल थे।

डब्ल्यूटीओ अनुभाग

6.11 वर्ष के दौरान, डब्ल्यूटीओ में गेट्स के तहत वित्तीय सेवाओं और मुक्त व्यापार करारों, क्षेत्रीय व्यापार करारों के तहत वार्ताओं से सबंधित अनेक मुद्दों तथा जापान, कोरिया, श्रीलंका और ईयू के साथ वित्तीय सेवाओं के व्यापक आर्थिक सहयोग के मामलों पर कार्रवाई की गई।

6.12 सार्क विकास निधि (एसडीएफ)

15वीं सार्क शिखर बैठक 2-3 अगस्त, 2008 को कोलम्बो में हुई थी जहां सार्क विकास निधि (एसडीएफ) के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए।

7. नियंत्रक सहायता लेखा और लेखा परीक्षा का कार्यालय

7.1.1 नियंत्रक सहायता लेखा और लेखा परीक्षा का कार्यालय वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दाताओं से प्राप्त विदेशी ऋणों/अनुदानों से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी है । प्रभाग द्वारा संचालित कार्यकलापों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों और दाताओं के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श करना, परियोजनाओं से प्राप्त दावों पर कार्रवाई करना और विभिन्न दाताओं से निधियों के आहरण की व्यवस्था करना, प्राप्त किए गए विभिन्न ऋणों के प्रति भारत सरकार की ऋण शोधन देयताओं का समय पर निपटान, ऋणों, विदेशी ऋण सांख्यिकी का लेखा जोखा रखना, विभिन्न प्रबंधन सूचना रिपोर्टों का संकलन, विदेशी सहायता पुस्तिका का वार्षिक प्रकाशन और सहायता प्राप्तियों और ऋण शोधन के बजट अनुमानों को तैयार करना शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग डीजीएफटी के अन्तर्गत 40 लाइसेंसिंग कार्यालयों (निर्यात प्रसंस्करण जोनों सहित) द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए पंजीकृत निर्यातकों को जारी किए गए आयात लाइसेंसों की लेखा परीक्षा भी करता है ।

7.1.2. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2008 तक विदेशी सहायता के संवितरण , वापसी अदायगी और निवल प्रवाहों की स्थिति निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	संवितरण और भुगतान का विवरण	बजट अनुमान 2008-09	सं0अ0 2008-09	दिसम्बर, 2008 तक वास्तविक
1.	**प्राप्तियां**			
	(i) ऋण	1920993	19578.35	13755.22
	(ii) अनुदान	1755.31	2745.52	2020.68
	जोड़	**20965.24**	**22323.87**	**15775.90**
2.	वापसी भुगतान	8220.66	9975.15	7079.42
3.	**पूंजी लेखा पर निवल प्राप्तियां**	**12744.58**	**12348.72**	**8696.48**
4.	वचनबद्धता प्रभारों सहित ऋणों पर ब्याज भुगतान	4143.17	4158.80	2865.15
5.	**वापसी भुगतान और ब्याज भुगतान को घटाकर निवल**	**8601.41**	**8189.92**	**5831.33**

7.2 ई-गवर्नेंस

7.2.1 सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग का सम्पूर्ण कार्यकलाप ऑन-लाइन प्रणाली, नामतः "एकीकृत कम्प्यूट्रीकृत प्रणाली (आईसीएस)" के आधार पर अप्रैल, 1999 से पूरी तरह कम्प्यूट्रीकृत कर दिया गया है । आईसीएस में ऋण चक्र के सभी क्रियाकलाप, विदेशी सहायता की प्राप्तियों और भुगतानों, दोनों ही के लिए बजट को तैयार करना, वार्षिक विदेशी सहायता पुस्तिका को तैयार करना और अद्यतन सीएस-डीआरएमएस को रखने का कार्य शामिल है । ऑन-लाइन प्रणाली आईसीएस ने सभी कार्यकलापों की बारीकी से मानिटरिंग को सुसाध्य बनाने के अतिरिक्त इस कार्यालय की कार्यात्मक कार्यकुशलता को बढ़ाने में योगदान दिया है । इस प्रभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारीवृंद कम्प्यूट्रीकृत कार्य के वातावरण में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित कर दिए गए हैं ।

7.2.2 इस प्रभाग द्वारा सभी ऋण प्रभागों, राज्य सरकारों, परियोजना प्राधिकरणों और दाताओं आदि के लाभार्थ http://finmin.nic.in/caaa वेबसाइट पते पर विदेशी सहायता पर एक विस्तृत वेबसाइट बनाई गई है । इस वेबसाइट में मासिक,

तिमाही और वार्षिक आधार पर दाता-वार ऋण/उधार/अनुदान-वार, राज्य-वार, क्षेत्र-वार संवितरण की स्थिति से संबंधित विस्तृत सूचना समाहित है । यह वेबसाइट प्रत्येक महीने अद्यतन की जाती है । यह वेबसाइट परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत दावे की अद्यतन स्थिति भी मुहैया कराती है जिसमें दावे की सम्पूर्ण प्रक्रिया अर्थात दावे की प्राप्ति से एसीए जारी किए जाने तक की स्थिति दी जाती है ।

7.2.3 ई-प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परियोजनाओं सहित दावों को प्राप्त करने की संभावना का परीक्षण किया गया है और कार्य जारी है । इससे दाताओं के समक्ष दावों को शीघ्र प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी ।

8. <u>प्रशासन प्रभाग</u>

8.1 कार्य

प्रशासन प्रभाग, विभाग के कार्मिकों एवं कार्यालय प्रशासन तथा विभाग एवं इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। प्रशासन प्रभाग आर्थिक कार्य विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिकों/विकलांगों के लिए आरक्षण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों का भी अनुवीक्षण करता है ।

8.2 सहायता अनुदान

आर्थिक कार्य विभाग एक योजना के तहत आर्थिक और आर्थिक अनुसंधान संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है । वर्ष 2008-09 के दौरान (31.12.2008 तक) भारतीय विधि संस्थान को सहायता अनुदान के रूप में 15 लाख रुपए की राशि जारी की गई है ।

8.3 महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति

आर्थिक कार्य विभाग में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया गया है ।

8.4 सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की लगातार समीक्षा की जाती रही । संसद में सभी दस्तावेज द्विभाषी प्रस्तुत किए गए । राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) और उसके अधीन बने राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 और राजभाषा विभाग द्वारा जारी अन्य निर्देशों का पूरी तरह पालन किया गया । वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभाग ने अनेक कदम उठाए :

- राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2008-2009 के लिए परिचालित वार्षिक कार्यक्रम विभाग के सभी संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/ सभी प्रभागों/अनुभागों को उपलब्ध कराया गया और इसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए गए;
- वर्ष के दौरान विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक 26 जून, 2008 को आयोजित की गईं । इन बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया;
- 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के पुनीत अवसर पर माननीय वित्त मंत्री ने अपने "संदेश" में वित्त मंत्रालय और इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों से सरकारी कामकाज हिन्दी में करने की अपील की ;
- सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने में अधिकारियों व कर्मचारियों की हिचक दूर करने और उन्हें भारत सरकार की राजभाषा नीति संबंधी नियमों और अन्य निर्देशों की जानकारी देने के लिए हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गईं ।
- विभाग में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2008 तक "हिन्दी पखवाडे" का आयोजन किया गया । इस अवसर पर कई हिन्दी प्रतियोगिताएं जैसे हिन्दी नोटिंग-ड्राफ्टिंग, निबंध लेखन, हिन्दी टंकण व आशुलिपि, कविता पाठ, आशुभाषण आदि आयोजित की गईं । विजेताओं को योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिए गए । हिन्दी सलाहकार समिति के निर्णय के अनुपालन में पुरस्कारों की राशि और पुरस्कारों की संख्या दोनों में वृद्धि की गई ।
- आर्थिक विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कारों की राशि बढ़ाकर प्रथम पुरस्कार 20,000/-रु0 से 50,000/-रु0, द्वितीय पुरस्कार 15,000/-रु0 से 40,000/-रु0 तथा तृतीय पुरस्कार 10,000/-रु0 से 30,000/-रु0 की गई है ।
- विभाग की वेबसाइट पूरी तरह द्विभाषी की गई । अन्य सामग्री के साथ-साथ सभी बजट दस्तावेज, आर्थिक समीक्षा व अन्य प्रकाशन तथा महत्वपूर्ण परिपत्र आदि अंग्रेजी व हिन्दी में साथ-साथ अपलोड किए जाते हैं ।
- राजभाषा अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा वार्षिक कार्यक्रम और राजभाषा से संबंधित आदेशों और अनुदेशों

आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग के अनुभागों तथा इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों का निरीक्षण किया गया ।

- विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं और इनमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई तथा दिए गए सुझावों पर समुचित कार्रवाई की गयी ।

8.5 वित्त पुस्तकालय और प्रकाशन अनुभाग

8.5.1 वित्त पुस्तकालय और प्रकाशन अनुभाग की स्थापना 1945 में हुई । वित्त पुस्तकालय मंत्रालय में केन्द्रीय अनुसंधान और संदर्भ पुस्तकालय के रूप में कार्य करता है तथा मंत्रालय के सभी तीनों विभागों के अधिकारियों, समय-समय पर गठित की गई तदर्थ समितियों और आयोगों तथा भारत के व अन्य बाहर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोध छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करता है । यह पुस्तकालय मंत्रालय के प्रकाशन अनुभाग के रूप में भी कार्य करता है और भारत तथा विदेशों में विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों की मांग पर सरकारी दस्तावेजों को उपलब्ध कराने व वितरण में समन्वय स्थापित करता है ।

8.5.2 वित्त पुस्तकालय को व्यय विभाग के दिनांक 24.07.1990 के का0ज्ञा0सं0 19(1)/आईसी/85 के आधार पर श्रेणी- III पुस्तकालय के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है । पुस्तकालय में सभी पद संवर्ग बाह्य हैं।

8.6 संग्रह

पुस्तकालय में आर्थिक और वित्तीय मामलों पर दो लाख से अधिक दस्तावेजों का विशिष्ट संग्रह है और इसमें प्रतिवर्ष 800 से अधिक पीरियोडिकल/समाचार-पत्र मंगाए जाते हैं ।

8.7 इलेक्ट्रोनिक संसाधन

इलेक्ट्रोनिक संसाधनों में निम्नलिखित सीडी-रोम डाटाबेस शामिल हैं

- भारत की 2001 की जनगणना
- सीएमआईई प्रकाशन
- डीजीसीआईएंडएस - भारत के विदेशी व्यापार संबंधी सांख्यिकी आंकड़े
- डीजीसीआईएंडएस - भारत के विदेशी व्यापार की सांख्यिकी
- डीजीसीआईएंडएस - भारत के विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़े

आर्थिक समीक्षा

- आईएमएफ - भुगतान संतुलन के आंकड़े
- आईएमएफ - व्यापार की दिशा संबंधी आंकड़े
- आईएमएफ - सरकारी वित्त आंकड़े
- आईएमएफ - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आंकड़े
- भारतीय रिजर्व बैंक- बैंकिंग आंकडे तथा मूल सांख्यिकी विवरणियां
- विश्व बैंक - विश्व विकास संकेतक
- विश्व बैंक - वैश्विक विकास वित्त
- यूएन - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंकड़े वार्षिक पुस्तक
- केन्द्रीय बजट

8.8 सेवाएं

पुस्तकालय कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जैसे किताबें उधार देना, अंतर-पुस्तकालय ऋण, परामर्श, रेप्रोग्राफी, समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का परिचालन, संदर्भ सेवा, "वीकली बुलेटिन" के जरिए ताजा घटनाओं के संबंध में जानकारी देना। वित्त पुस्तकालय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रकाशनों को राज्य सरकारों, विदेशी सरकारों और भारत तथा विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों को वितरित करने का कार्य भी करता है । वित्त पुस्तकालय अग्रणी समाचार-पत्रों में प्रकाशित आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित जन शिकायतों की छंटाई का कार्य भी करता है ।

8.9 प्रकाशन

वित्त पुस्तकालय एक साप्ताहिक प्रकाशन "वीकली बुलेटिन" - एक विषय ग्रंथ सूची भी संकलित करता है जिसमें लगभग 200 जर्नलों/ समाचार- पत्रों से रूचिकर लेखों को सूचीबद्ध किया जाता है। अर्थशास्त्र संबंधी लगभग 200 पूर्ण पाठ जरनल पुरालेखों

को ऑनलाइन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए पुस्तकालय ने जेएसटीओआर के साथ एक समझौता किया है ।

8.10 कंप्यूटरीकरण

पुस्तकालय ने अपने सभी कार्यकलापों का कंप्यूटरीकृत कर लिया है । पुस्तकालय डाटाबेस प्रबंधन, रिट्रीवल, पुस्तकालय ऑटोमेशन और अन्य आंतरिक कार्यों के लिए लिबसिस लाइब्रेरी पैकेज का प्रयोग करता है । पुस्तकालय में इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध है जिसके माध्यम से वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को सूचना उपलब्ध कराई जाती है । इंटरनेट की साइट finance.nic.in से एक लिंक सूचना ऑन लाइन प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराया गया है ।

9. द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग

9.1.1 आर्थिक कार्य विभाग का द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग द्विपक्षीय विकास सहयोग के संबंध में भारत सरकार के लिए मुख्य आधार के रूप में कार्य करता है । विकास सहयोग पर नीति की 2003-2004 में पुनरीक्षा की गई थी जिसमें सभी जी-8 देशों नामतः संयुक्त राज्य अमेरिका, यू0के0, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा और रशिया परिसंघ के साथ-साथ यूरोपीय आयोग से विकास सहायता की अनुमति दी गई है । वर्तमान में, जापान, यू0के0, यूरोपीय आयोग और जर्मनी, भारत के प्रमुख सक्रिय द्विपक्षीय विकास भागीदार हैं। यह प्रभाग राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) जारी करने के साथ-साथ विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति को भी मानीटर करता है ।

9.1.2 द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच जैसेकि जी-8, ओईसीडी, सहायता प्रभावकारिता पर उच्च स्तरीय मंच, विकास के लिए वित्तपोषण पर यू0एन0 सम्मेलन में भारत की भागीदारी का केन्द्र बिन्दु भी है ।

9.1.3 भारत के भागीदारों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के अपने कार्य के एक भाग के रूप में द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग भारत-ब्रिटिश ईएफडी, भारत ईयू मैक्रोइकोनोमिक वार्ता, औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग पर इंडो-जर्मन संयुक्त आयोग, इंडो-जापान उच्च स्तरीय संवाद, इंडो-जापान कार्यनीति संवाद और भारत-अमेरिका वित्तीय और आर्थिक मंच जैसे महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय द्विपक्षीय संवादों को भी आयोजित करता है ।

9.2 वर्ष 2008 के दौरान बी0सी0 प्रभाग के महत्वपूर्ण क्रियाकलाप नीचे दिए गए हैं :-

विकास सहयोग

9.2.1 जापान

कैलेंडर वर्ष 2008 के दौरान, भारत को 113.338 बिलियन जापानी येन (4712.08 करोड़ रुपए) की जापानी शासकीय विकास सहायता का संवितरण किया गया।

9.2.2 कैलेंडर वर्ष 2008 के दौरान निम्न परियोजनाओं के लिए आदान-प्रदान टिप्पणियों तथा ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए गए :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	ऋण राशि बिलियन येन में
1	हरियाणा सम्प्रेषण प्रणाली परियोजना	20.902
2	दिल्ली मास रेपिड परिवहन प्रणाली परियोजना (चरण-2)(III)	72.100
3	कोलकाता पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना	6.437
4	हैदराबाद आउटर रिंग रोड परियोजना (चरण-1)	41.853
5	उत्तर प्रदेश भागीदारी वन प्रबंधन एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना	13.345
6	होगेनाक्कल जलापूर्ति एवं फ्लूओरोसिस अपशमन परियोजना	22.387
7	तमिलनाडु शहरी अवसंरचना परियोजना	8.551
8	चैन्नई मेट्रो परियोजना	21.751
9	हैदराबाद आउटर रिंग रोड परियोजना (चरण-2)	42.027
10	वन प्रबंधन तथा कार्मिक प्रशिक्षण परियोजना के लिए क्षमता विकास	5.241
11	लघु, छोटी तथा मध्यम उद्यम ऊर्जा बचत परियोजना	30.000

9.2.3 विकास अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न परियोजनाओं के लिए जापान सरकार के साथ मौखिक टिप्पणियों का आदान-प्रदान किया गया :-

(क) दिल्ली में जलापूर्ति प्रणाली सुधार अध्ययन
(ख) ताप विद्युत संयंत्रों में प्रचालन सुधार अध्ययन

(ग) सीवरेज तथा मलजल उपचार हेतु संहिता के निरूपण हेतु अध्ययन
(घ) कोलासिब जिले में भूमि तथा जल संसाधन का व्यापक विकास तथा प्रबंधन

9.2.4 29 जून, 2008 को भारत तथा जापान के केन्द्रीय बैंकों के बीच एक द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली करार पर हस्ताक्षर किए गए।

- अदला-बदली करार भारत अथवा जापान द्वारा सामना की जाने वाली अस्थायी बीओपी समस्याओं को दूर करने के लिए तत्समय दर पर देशीय मुद्रा हेतु 3 बिलियन अमरीकी डालर की "अधिकतम " राशि का विनिमय तथा पुनः विनिमय करने के लिए किया गया करार है। इस व्यवस्था को नब्बे दिन प्रत्येक की अवधि के लिए अधिकतम सैंत बार (कुल अवधि छः सौ तीस दिन) नवीकृत किया जा सकता है।

- अनुरोधकर्ता पक्षकार को लिबोर + 150 आधार बिन्दुओं की दर से ब्याज देना होगा जिसे प्रत्येक नवीकरण के समय पुनः निर्धारित किया जाएगा। विनिमय दर भी प्रत्येक नवीकरण के समय पुनःनिर्धारित की जाएगी।

- यह करार प्रभावी तिथि अर्थात करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से तीन वर्षीय अवधि (आहरण अवधि) के लिए प्रभावी होगा।

9.2.5 जापानी हरित सहायता योजना के अंतर्गत "मॉडल प्रोजेक्ट फॉर कन्वर्टिंग ए डीजल ईंजन टू डयूल-फ्यूल आपरेशन " के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 23 जुलाई, 2008 को वित्त मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड तथा नवीन ऊर्जा तथा औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संगठन, जापान सरकार (एनईडीओ) के बीच किए गए। इस परियोजना को मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड, पिमरी, पुणे में तीन वर्ष की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य भारी तेल की खपत के अपचयन में तथा इस प्रकार भारत में पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देना है।

9.2.6 जापानी हरित सहायता योजना के अंतर्गत "मॉडल प्रोजेक्ट फॉर हायली एफिशिंयट कोल प्रीपेरेशन टेक्नॉलाजी " के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 3 अक्तूबर, 2008 को वित्त मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड तथा नवीन ऊर्जा तथा औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संगठन, जापान सरकार (एनईडीओ) के बीच किए गए। इस परियोजना को उत्कल, बी2 कोयला खान, अंगुल, उड़ीसा में तीन वर्ष की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में कोयला उपयोग द्वारा होने वाली ऊर्जा तथा पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान अत्यधिक दक्ष कोयला तैयारी प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार के जरिए करना है।

9.3. संयुक्त राज्य अमारीका

संयुक्त राज्य अमेरिका 1951 से भारत को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है । अमेरिकी विकास सहायता संयुक्त राज्य अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएड) के माध्यम से प्राप्त होती है । अमेरिकी विकास सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त होती है और परियोजना सहायता के रूप में उपलब्ध है । **वर्ष 2008-09 में (दिसम्बर, 2008 तक) 31.66 करोड़ रुपए की सहायता संवितरित हुई थी** जबकि 2007-08 में 64.115 करोड़ रुपए की सहायता संवितरित हुई थी । वर्तमान में यूएसएड द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में 9 चल रही परियोजनाओं को सहायता मिल रही है :-

1. स्वास्थ्य - परिवार कल्याण, एड्स नियंत्रण
2. ऊर्जा
3. क्षमता निर्माण
4. राज्य राजकोषीय सुधार

9.4. कनाडा

9.4.1 भारत को कनाडी आर्थिक सहायता 1951 से प्राप्त होनी आरम्भ हुई है । मार्च 2007 तक भारत को कुल 2.743 बिलियन कनाडी डालर के लगभग सहायता प्राप्त हुई है । यह सहायता मुख्यतः विकास सहायता, खाद्य और तकनीकी सहायता के रूप में है। कनाडी सहायता कनाडी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सीडा) के माध्यम से प्राप्त होती है । सीडा द्वारा 1 अप्रैल, 1986 से प्रदान सहायता अनुदान के रूप में है ।

9.4.2 वर्ष 2006-07 में कनाडा ने भारत को स्थानीय अभिक्रमों के लिए अनुदान सहायता देना आरम्भ किया है । 2007-08 के दौरान 0.510 मिलियन कनाडी डालर की अनुदान सहायता से 15 प्रस्तावों का निपटान किया गया है जबकि 2006-07 में 0.52 मिलियन कनाडी डालर की अनुदान सहायता से 13 प्रस्तावों का निपटान हुआ था । 2008-09 के दौरान 0.46 मिलियन कनाडी डालर की सहायता वाले 12 प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

9.5. यूरोपीय आयोग

"राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (एनआरएचएम/आरसीएच-II) ", सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए-II)", इंडिया-स्ट्रैंड एरसमस मुंडस एक्ट्रनल कोओपरेशन विंडो (ईएमईसीडब्ल्यू) और भारत में नागर विमानन क्षेत्र का संस्थागत क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्रक नीति सहायता कार्यक्रम के द्वितीय चरण में वित्तपोषण करारों पर हस्ताक्षर हुए हैं ।

9.6. यू.के.

वर्ष 2008 के दौरान 191 मिलियन डालर की कुल डीएफआईडी वित्तीय सहायता के लिए यूनाइटेड किंगडम सरकार के साथ तीन नई परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षर हुए हैं ।

9.7. तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि

भारत सरकार ने वर्ष 2008-09 के लिए सीएफटीसी को 950,000 पौंड का अंशदान देने की वचनबद्धता की है ।

9.8 जर्मन संघीय गणराज्य

9.8.1 वर्ष 2008 में, भारत तथा जर्मनी में विकास सहयोग के लिए सामरिक ढांचे पर सहमति हुई। इसकी शुरूआत जर्मन के आर्थिक तथा विकास सहयोग मंत्री सुश्री हेडमेरी विकजोरेक ज्यूल के अक्तूबर, 2008 में दौरे के दौरान की गई। कार्यक्रम की पारस्परिक रूप से सम्मत क्षेत्रक प्राथमिकताएं हैं - ऊर्जा; पर्यावरणीय नीति; प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा स्थायी प्रयोग; स्थायी आर्थिक विकास।

9.8.2 वर्ष 2008 के लिए जर्मनी ने निम्न परियोजनाओं के लिए 2366 करोड़ रुपए (लगभग) की कुल वचनबद्धताएं की हैं :-

क्रम संख्या	परियोजना	सहायता (लगभग करोड़ रुपए में)
1	एनटीपीसी अंटा	715.00
2	सिडबी के साथ एमएसएमई ऊर्जा किफायती कार्यक्रम	328.25
3	ऊर्जा किफायती भवनों का संवर्धन	334.75
4	आईजीईएन,चरण-2	58.50
5	सिडबी सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम	555.75
6	उड़ीसा शहरी विकास निधि	328.25
7	नाबार्ड - "कार्यक्रमित सरकारी निजी भागीदारी का विकास "	32.50
8	अध्ययन एवं विशेषज्ञ कोष(एसईएफ)	13.00
	जोड़	**2366.00**

9.8.3 वर्ष 2008-09 के दौरान (31.12.2008 तक) भारत-जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग के कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर किए गए :-

(क) सरकार से सरकार अम्ब्रैला करार

क्रम संख्या	करार का नाम	सहायता (लगभग करोड़ रुपए में)
1	भारत-जर्मन अम्ब्रैला करार-2007 (एफसी)	1857.05
2	भारत-जर्मन अम्ब्रैला करार-2007 (टीसी)	110.50

(ख) ऋण /वित्तपोषण/संशोधन करार :-

क्रम संख्या	परियोजना	सहायता (लगभग करोड़ रुपए में)
1	प्रतिभागिता प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम, त्रिपुरा	78.00
2	तमिलनाडु में स्थायी म्युनिसीपल अवसंरचना वित्तपोषण	422.50
3	तमिलनाडु में स्थायी अवसंरचना वित्तपोषण	78.00
4	जलसंभर विकास कार्यक्रम, आन्ध्र प्रदेश	13.00
5	सिडबी-III पर्यावरणीय ऋण श्रृंखला (ट्रांश-II)	49.85
6	पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम-X	201.50
7	पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम-XI	91.59
8	स्थायी ऊर्जा कार्यक्रम - इरेडा	325.00
9	स्थायी ऊर्जा कार्यक्रम - इरेडा	6.50
10	पीएआरई हाइड्रोइलैक्ट्रिक संयंत्र	520.00
11	पीएआरई हाइड्रोइलैक्ट्रिक संयंत्र	3.25
12	विद्युत क्षेत्रक सुधार- कार्यक्रम-1-सुपर क्रिटिकल विद्युत केन्द्र, आन्ध्र प्रदेश	1,826.87

9.8.4 वर्ष 2008-09 के दौरान (दिसम्बर, 2008 तक) सीएए एवं ए के जरिए सरकार-से-सरकार परियोजनाओं पर की गई कुल संवितरण राशि 328 करोड़ रुपए (लगभग) थी।

9.9 उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ताएं

9.9.1 जापान

आर्थिक विकास संबंधी द्वितीय भारत-जापान उच्च स्तरीय नीतिगत परामर्श आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त सचिव (बीसी), तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ब्यूरो, जापानी विदेश कार्य मंत्रालय में महानिदेशक, की सह-अध्यक्षता में टोक्यों में 18.6.2008 को आयोजित किए गए। सम्मत कार्यसूची मदों पर चर्चाएं आयोजित की गई जैसे भारत की आर्थिक तथा विकास योजना, भारत की विकास सहायता नीति, समर्पित माल भाड़ा गलियारा परियोजना, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना तथा जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरणीय मुद्दे।

9.9.2 आर्थिक मुद्दों पर द्वितीय भारत-जापान सामरिक वार्ता

जापान के विदेश मामले उपमंत्री के साथ आर्थिक मुद्दों संबंधी द्वितीय भारत-जापान सामरिक वार्ता का आयोजन करने के लिए वित्त सचिव द्वारा टोक्यो के लिए एक शिष्टमंडल का नेतृत्व किया गया। सम्मत कार्यसूची मदों पर चर्चाएं आयोजित की गईं जैसे समर्पित मालभाड़ा गलियारा परियोजना,दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना, मुंबई में भारत के द्वितीय व्यवसाय सहायता केन्द्र की स्थापना, व्यवसाय नेता मंच, जापान निक्षेपागार प्राप्ति, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहयोग, शहरी विकास सहयोग, जापान के साथ आर्थिक भागीदारी करार की प्रास्थिति, एक नवीन आईआईटी, आईआईटीडीएम जबलपुर की स्थापना, भारत तथा जापान के बीच पर्यावरण/जलवायु परिवर्तन तथा मुद्रा अदलाबदली करार।

9.9.3 नागोय्या, जापान में आयोजित द्वितीय भारत निवेश संगोष्ठी

जापान के नागोय्या शहर में द्वितीय भारत निवेश संगोष्ठी का आयोजन 22 जुलाई, 2008 को किया गया जिसमें आटो पुर्जों के उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया। संगोष्ठी का आयोजन भारत में जापानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को सुकर बनाने के लिए 8 दिसम्बर, 2006 को भारत सरकार तथा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के बीच हस्ताक्षरित सहयोग करार के आधार पर संयुक्त रूप से भारत सरकार, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक तथा नागोय्या वाणिज्य और उद्योग चैम्बर द्वारा किया गया। संगोष्ठी में आर्थिक कार्य विभाग के संयुक्त सचिव (बीसी) ने भाग लिया।

9.10. आस्ट्रेलिया

9.10.1 आस्ट्रेलिया के ट्रेजरी विभाग के अनुरोध पर एक भारत-आस्ट्रेलिया आर्थिक नीति संवाद आरम्भ किया गया । पहला संवाद 3 अप्रैल, 2008 को नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था । बैठक के लिए आरम्भिक टिप्पणियां अवर सचिव (आ0का0) ने की और भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व सं0 सचिव (बीसी) ने किया था । इस संवाद में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया : वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक दृष्टिकोण, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, सामान और सेवा कर एवं एफडीआई ।

9.10.2 संवाद का दूसरा दौर 10 फरवरी, 2009 को आस्ट्रेलिया में आयोजित होना निश्चित हुआ है ।

9.11. संयुक्त राज्य अमेरिका

भारत-अमेरिका वित्तीय एवं आर्थिक मंच के लिए आर्थिक कार्य विभाग केन्द्रक एजेंसी है जो समग्र भारत- अमेरिका आर्थिक संवाद के अन्तर्गत कार्य करता है और प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा इसको समन्वित किया जाता है । इसके अन्तर्गत अमेरिकी सरकार के साथ नियमित विचार-विनिमय होता है। मंच की अंतिम (तीसरी) मंत्रिमंडल स्तर की बैठक 9 नवम्बर, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी जिसकी सह-अध्यक्षता वित्त मंत्री और अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने की थी । इस बैठक के बाद 23 अगस्त,2006 को वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में उप-मंत्रिमंडल स्तर की बैठक हुई थी । मंत्रिमंडल स्तर की बैठक 30 और 31 अक्तूबर, 2007 को नई दिल्ली में भी हुई थी । इसके बाद, संयुक्त सचिव (पूंजी बाजार) और संयुक्त सचिव (बैंकिंग) के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल के साथ न्यूयार्क में जून, 2008 में एक तकनीकी संवाद हुआ था जिसमें निर्णय लिया गया था कि एफईएफ विनियामक संवाद के अमेरिकी और भारतीय सदस्य अमेरिकी और भारतीय वित्त मंत्रियों को शीघ्र ही एक लिखित रिपोर्ट मुहैया कराएंगे जिसमें इस बैठक के बाद प्राप्त की गई ठोस उपलब्धियों का संक्षेप में उल्लेख होगा । न्यूयार्क में 14 अक्टूबर, 2008 को आयोजित होने वाली आगामी आर्थिक संवाद की बैठक नहीं हो सकी । इसके लिए अगली तारीख आपसी बातचीत से तय करके सूचित की जाएगी ।

9.12. यूरोपीय आयोग

9.12.1 भारत-यूरोपीय आयोग विकास सहयोग कार्यक्रम के तत्त्वावधान में 6.6.2008 को ब्रुसेल्स में दूसरा भारत-ईयू मैक्रोइकोनोमिक संवाद निष्पन्न हुआ । इस संवाद का नेतृत्व वित्त सचिव, डा0 डी0 सुब्बाराव ने किया था । इसके अतिरिक्त 1.4.2008 को विकास सहयोग पर नई दिल्ली में भारत-ईसी उप-आयोग की वार्षिक बैठक हुई थी । बैठक का नेतृत्व सं0सं0 (बीसी) ने किया था ।

9.12.2 अपर सचिव, आ0का0 विभाग ने 5-6 अप्रैल, 2008 के दौरान टोक्यो, जापान में आयोजित हुई जी-8 विकास मंत्रियों की बैठक में वित्त मंत्री का प्रतिनिधित्व किया ।

9.13. यूनाइटेड किंगडम

मंत्रिमंडल स्तर के ईएफडी का दूसरा दौर 11.8.2008 को लंदन में आयोजित हुआ था । वैश्विक आर्थिक स्थिति, वित्तीय क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन, अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी आदि प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श हुआ ।

9.14. नार्वे

हमारे वित्त मंत्री की अक्तूबर, 2007 के दौरान नार्वे की यात्रा के परिणामस्वरूप, नार्वे के केन्द्रीय बैंक, नोर्गेज बैंक ने अपने संशोधित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत भारत में अधिक निवेश करने पर सहमति प्रकट की और दिसम्बर, 2008 तक 2 बिलियन अमेरिकी डालर की राशि का निवेश करने की घोषणा की ।

9.15 महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच

9.15.1. वित्त मंत्रियों की एएसईएम बैठक

संयुक्त सचिव (बीसी) और निदेशक (यूरोप) ने 14 से 17 जून, 2008 तक कोरिया गणराज्य के जेजू द्वीपसमूह में आयोजित हुई एएसईएम वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था । इससे पूर्व, इसी स्थल पर 14.3.08 को आयोजित हुई एएसईएम तकनीकी कार्यकारी समूह की बैठक में भी संयुक्त सचिव (बीसी) ने भाग लिया था । एएसईएम बैठक के मुख्य निष्कर्ष अवसंरचना वित्तपोषण पर यूरोपीय एवं एशियाई वित्त मंत्रियों के करार और जयवायु परिवर्तन की अर्थव्यवस्था थी ।

9.15.2. नीदरलैंड

वित्त मंत्री ने हेग में नीदरलैंड-भारत व्यापार बैठक का उद्घाटन किया ।

9.16. सहायता प्रभावकारिता और विकास के लिए वित्तपोषण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर उच्चस्तरीय मंच-III

9.16.1 वर्ष 2008 में भारत सरकार ने दो प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं, नामतः अकरा, घाना में सितम्बर, 2008 में आयोजित सहायता प्रभावशीलता पर तीसरे उच्चस्तरीय मंच (एचएलएफ) में और उसके बाद नवम्बर, 2008 में दोहा, कतर में आयोजित विकास के लिए वित्तपोषण पर सम्मेलन में भाग लिया था । एचएलएफ, घाना में भारतीय शिष्टमंडल में आर्थिक कार्य विभाग और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था । एफएफडी के लिए दोहा में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने किया था ।

9.16.2 मिलेनियम विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को प्राप्त करने में कारगर सहायता के महत्व पर विचार करते हुए भारत ने पेरिस घोषणा का समर्थन किया है और अकरा एचएलएफ ने यह देखने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है कि दाता और सहभागी देश किस प्रकार सहायता प्रभावकारिता एजेंडे पर प्रगति कर रहे हैं । भारत ने विचार प्रकट किए कि प्रकृति के अनुसार दक्षिण-दक्षिण सहयोग अलग-अलग है क्योंकि यह भारत की द्विपक्षीय भागीदारी से इसके भागीदारों की तुलना से प्रकट होता है, और यह सहायता प्राप्तकर्ता पर आधारित है, लोकतांत्रिक और विकेन्द्रीकृत है, अतः किसी भी प्रकार से परम्परागत दाता की विशिष्ट विकास सहायता के साथ तुलनीय नहीं है ।

10. एकीकृत वित्त प्रभाग

10.1 एकीकृत वित्त प्रभाग के प्रमुख वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार होते हैं। यह प्रभाग आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग को भी सेवा प्रदान करता है।

10.2 यह प्रभाग निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है :

(i) आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग को वित्तीय परामर्श प्रदान करने/उनसे संबंधित व्यय संबंधी प्रस्तावों की सहमति के लिए जांच-पड़ताल करने हेतु तथा इसके अतिरिक्त, उक्त विभागों के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों जैसे निवेश आयोग/ 13वां वित्त आयोग/राष्ट्रीय बचत संस्थान/ऋण वसूली न्यायाधिकरण/अभिरक्षा कार्यालय/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण हेतु अपीलीय प्राधिकरण/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड आदि को भी उपरोक्त सेवाएं प्रदान करने हेतु ।

(ii) मासिक/तिमाही समीक्षाओं के माध्यम से व्यय की नियमित रूप से मॉनिटरिंग और संबंधित सचिवों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने सहित व्यय विभाग के अनुदेशों के अनुसार व्यय का यौक्तिकीकरण और मितव्ययिता उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय नियंत्रण और प्रबंधन करने हेतु ।

(iii) यह प्रभाग अनुदानों की तीन विस्तृत मांगों अर्थात् अनुदान सं0-31-आर्थिक कार्य विभाग, अनुदान सं0-32 वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां ; और अनुदान सं0-33-वित्तीय सेवा विभाग का प्रबंध करता है। इस कार्य में बजट/संशोधित बजट/अंतिम आवश्यकतों का अनुमान/बचतों का अभ्यर्पण और पुनर्विनियोग को अंतिम रूप देने हेतु ।

(iv) समग्र वित्त मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों के समन्वयन और मुद्रण हेतु।

(v) वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा वर्ष की अनुदानों की विस्तृत मांगों की जांच संबंधी सभी मामलों के समन्वयन हेतु।

(vi) वित्त मंत्रालय का परिणाम बजट तैयार करना। आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग में विभिन्न एककों के परिणाम बजट लक्ष्यों की मॉनिटरिंग भी करने हेतु ।

(vii) लोक लेखा समिति/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पैरे संबंधी उत्तरों की मॉनिटरिंग हेतु ।

(viii) अनुदान संबंधी बजटीय स्थिति इस प्रकार है ;

अनुदानों का बजटीय आवंटन

(करोड़ रूपए में)

अनुदान		ब.अ. 2008-09	सं.अ. 2008-09	सं.अ. के संदर्भ में नवम्बर, 08 तक व्यय का %
31-आर्थिक कार्य विभाग	आयोजना	1639.90	1609.47	48.1
	आयोजना-भिन्न	3084.06	4672.26	44.3
	जोड़	**4723.96**	**6281.73**	**45.3**
32-वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	आयोजना	1900.00	1900.00	...
	आयोजना-भिन्न	8172.87	28391.60	14.88
	जोड़	**10072.87**	**30291.60**	**13.95**
33-वित्तीय सेवा विभाग	आयोजना	0.00	0.00	...
	आयोजना-भिन्न	60.00	77.40	53.08
	जोड़	**60.00**	**77.40**	**53.08**

10.3 प्रभावी व्यय नियंत्रण हेतु की जाने वाली सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों में निम्नलिखित शामिल हैं ;

(क) विभागाध्यक्ष के साथ प्रति माह व्यय संबंधी प्रगति की समीक्षा की जाती है योजनावार ब्यौरा तैयार किया जाता है और संबंधित सचिवों को प्रस्तुत की जाती है।

(ख) ब.अ. आंकड़ों की तुलना में मुख्य शीर्ष वार और योजनावार व्यय संबंधी प्रगति वित्त मंत्रालय की वेबसाइट में लगाई जाती है।

(ग) आंतरिक लेखापरीक्षा करवाकर आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ किया जाता है ।

10.4 **उपलब्धियां**

10.4.1 परिणाम बजट 2008-09 में शामिल योजनाओं संबंधी वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है ;

(करोड़ रूपए)

क्रम सं.	योजना का नाम	ब.अ. 2008-09	सं.अ. 2008-09	नवम्बर, 2008 तक व्यय	सं.अ. 08-09 वे संदर्भ में प्रतिशत
1	मु.शी.3054-मोटर स्प्रिट और हाईस्पीड डीजल (आयोजना स्कीम) पर अतिरिक्त कर लगाने के एवज में रेल सुरक्षा निर्माण कार्य के लिए अंशदान	**773.90**	**773.90**	**386.94**	**50%**
2	मु.शी.5475-आधारभूत संरचना (आयोजना स्कीम) ढांचागत विकास संबंधी सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) हेतु सहायता	**92.10**	**61.67**	**1.03**	**1.67%**
3	मु.शी.-3475- भारतीय निर्यात आयात बैंक (आयोजना-भिन्न स्कीम) को ब्याज समकरण सहायता	**232.00**	**210.00**	**68.57**	**32.65%**
4	मु.शी.-3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग, विकास सहायता सहायता अनुदान- (आयोजना भिन्न)	**5.00**	**1.00**	**शून्य**	**0%**
5	मु.शी. 3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग, 07 ; कोलंबो योजना के तहत तकनीकी और दक्षिण पूर्व एशिया ; 07.01.32 और 07.02.32; अंशदान (आयोजना-भिन्न)	**5.96**	**6.12**	**2.67**	**43.62%**
6	मु.शी. 7605- विदेशी सरकारों को अग्रिम कंबोडिया सरकार को ऋण (आयोजना- भिन्न)	**4.00**	**4.30**	**4.00**	**93.02%**

10.4.2 सरकार द्वारा किए गए समग्र मितव्ययिता उपायों के भाग के रूप में समयोपरि भत्ता, घरेलू और विदेशी यात्रा, कार्यालय व्यय आदि संबंधी आयोजना-भिन्न व्यय पर व्यय विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कटौती को सख्ती से लागू करने पर विभाग में इन शीर्षों के तहत लगभग 2.76 करोड़ रूपए की बचत हुई।

अध्याय II

व्यय विभाग

1. कार्यकलाप तथा संगठनात्मक संरचना

1.1 व्यय विभाग, केन्द्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों की जांच करने हेतु एक नोडल एजेंसी है। इस विभाग के मुख्य कार्यकलापों में प्रमुख स्कीमों/परियोजनाओं (दोनों योजना और गैर-योजना व्यय) का संस्वीकृति-पूर्व मूल्यांकन; राज्यों को हस्तांतरित भारी केन्द्रीय बजटीय संसाधनों का रख-रखाव; तथा वित्त और केन्द्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों का कार्यान्वयन; वित्तीय सलाहकारों के साथ समन्वय करके और वित्तीय नियमावली/विनियमों/आदेशों को लागू करके तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों/प्रेक्षणों के प्रबोधन के जरिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय-प्रबंधन का निरीक्षण करना; केन्द्रीय सरकारी लेखों को तैयार करना; केन्द्र सरकार के कार्मिक प्रबंधन के वित्तीय पहलुओं की व्यवस्था करना; सार्वजनिक सेवाओं की लागत और मूल्यों के नियंत्रण में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सहायता करना; स्टाफिंग पैटर्न और ओ.एंड एम. अध्ययनों की समीक्षा के जरिए संगठनात्मक पुनर्गठन में सहायता करना तथा उत्पादन और सार्वजनिक व्यय के परिणामों को अनुकूलतम बनाने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना शामिल है। यह विभाग मंत्रालय के संसद से संबंधित कार्यों सहित वित्त मंत्रालय से संबंधित मामलों के समन्वय की भी व्यवस्था कर रहा है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.), फरीदाबाद विभाग के इसके प्रशासनिक नियंत्रण में है।

1.2 व्यय विभाग को आबंटित कार्य का अनुपालन संस्थापना प्रभाग तथा योजना वित्त-I और II प्रभागों, वित्त आयोग प्रभाग, कर्मचारी निरीक्षण एकक, लागत लेखा शाखा, महालेखा नियंत्रक और केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के माध्यम से किया जाता है।

2. संस्थापना प्रभाग

2.1 संस्थापना प्रभाग, संयुक्त सचिव (कार्मिक) के तहत् कार्य करता है तथा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना और सेवा-शर्तों का निर्धारण, मजदूरी नीति के निर्धारण, वेतनमानों में संशोधन, पदों के सृजन, वेतन निर्धारण के मूलभूत सिद्धांतों, मकान किराया भत्ता, यात्रा/दैनिक भत्ता, महंगाई भत्ता और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न अन्य प्रतिपूर्ति भत्तों, सामान्य वित्तीय नियमावली, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, मितव्ययिता संबंधी सभी अनुदेशों के बारे में कार्रवाई करता है। यह व्यय विभाग से संबंधित प्रशासनिक मामलों के लिए भी उत्तरदायी है।

2.2 छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा संकल्प सं. 5/2/2006-संस्था-III(क), दिनांक 05 अक्तूबर, 2006 द्वारा किया गया था, जिसमें संसद के अधिनियमों के तहत् गठित नियामक निकायों (भारतीय रिजर्व बैंक के सिवाय) के सदस्यों को शामिल करने के लिए संकल्प सं. 5/2/2006-संस्था-III(क), दिनांक 07 दिसम्बर, 2006 तथा संकल्प सं. 5/2/2006-संस्था-III(क), दिनांक 08 अगस्त, 2007 (सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शामिल करने के लिए) के द्वारा संशोधन किया गया था। दिनांक 24 मार्च, 2008 को आयोग ने संघ राज्य क्षेत्रों, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों, रक्षा बलों के कार्मिकों, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (आई.ए. एंड ए.डी) के अधिकारियों व कर्मचारियों, नियामक निकायों (भारतीय रिजर्व बैंक के सिवाए) के अध्यक्षों/सदस्यों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की परिलब्धियों, भत्तों, सेवा एवं सेवानिवृत्ति लाभों की संरचना से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने, आयोग की सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, कतिपय संशोधनों के साथ सिफारिशें अनुमोदित कीं। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के सरकारी अनुमोदन पर आधारित वेतन संरचना एवं भत्तों से संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं।

3. योजना वित्त-I

3.1 राज्य वित्त प्रभाग

व्यय विभाग का राज्य वित्त प्रभाग, राज्य सरकार के वित्त संबंधी सभी मामलों को देखता है जिसमें राज्य क्षेत्र की योजना निर्मुक्तियां वित्त आयोगों की सिफारिश पर गैर-योजना निर्मुक्तियां तथा ऋण सीमा के नियतन, अनुच्छेद 293(3) के तहत ऋणों हेतु अनुमति जारी करना, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के साथ गहन समन्वय के साथ अर्थोपाय स्थिति की मॉनिटरिंग, 12वें वित्त आयोग आदि द्वारा यथा-संस्तुत ऋण बट्टे-खाते डाले जाने समेत राज्य सरकारों की ऋण जरूरतों का मूल्यांकन करना शामिल है।

3.2 यह प्रभाग वित्त मंत्रालय की मांग संख्या 35 का परिचालन करता है जिसमें से योजना तथा गैर-योजना दोनों प्रयोजनों के लिए राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं। योजना पक्ष की स्कीमों के लिए निर्मुक्तियां योजना आयोग/संबंधित नोडल मंत्रालय की सिफारिशों पर की गई थीं। अहम फ्लैगशिप स्कीमें, जिनके लिए वर्ष 2008-09 में योजना शीर्ष के अंतर्गत निधियां जारी की गई थीं, उनमें त्वरित

सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.), त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.), जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.), बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.), पिछड़ा क्षेत्र जिला निधि, सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम, बृहन मुंबई स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज (बी.आर.आई.एम.एस.टी.ओ.डब्ल्यू.ए.डी.) तथा राष्ट्रकुल युवा खेल आदि शामिल हैं। वर्ष 2008-09 में योजना स्कीमों के लिए 58510.21 करोड़ रुपए के बजट अनुमान जमा अनुपूरक राशि की तुलना में दिनांक 16.01.2009 को 39328.20 करोड़ रुपए (67.22 प्रतिशत) की राशि जारी की गई है।

3.3 गैर-योजना पक्ष के लिए, इस प्रभाग ने बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 09 जनवरी, 2009 की स्थिति के अनुसार सेवाओं के उन्नयन/रख-रखाव, आपदा राहत आदि हेतु अनुदान के रूप में 21740.80 करोड़ रुपए (वर्ष 2008-09 के लिए 28954.72 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का 75.09 प्रतिशत होने के कारण) जारी किए। इसके अतिरिक्त, 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार निरूपित ऋण समेकन और राहत सुविधा (डी.सी.आर.एफ.) के तहत् ऋण समेकन से 2008-09 में 25 एफ.आर.बी.एम. राज्यों को 3398 करोड़ रुपए तक ब्याज राहत दी गई है, जबकि टी.एफ.सी. का अनुमान 3445.42 करोड़ रुपए का था। इसके अतिरिक्त, 2008-09 में 23 राज्यों को 5536.59 करोड़ रुपए की ऋण माफी देने का अनुमान है।

3.4 वर्ष 2004-05 से पूर्व के वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा सामना की जा रही नकदीकरण के अत्यधिक दबाव की तुलना में बहुत सारे राज्य सरकारों की अर्थोपाय स्थिति में 2008 में बहुत अधिक अधिशेष राशि दर्शाई गई है जिसे 14 दिवसीय खजाना एवं नीलामी टी. बिलों में निवेश किया गया है।

3.5 इसके अलावा, खजाने को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए राज्य वित्त प्रभाग राज्य सरकारों तथा सी.ए.जी. के साथ घनिष्ठतापूर्वक कार्य कर रहा है।

4. योजना वित्त-II प्रभाग

4.1 योजना वित्त-II प्रभाग मुख्यतः केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से संबंधित मामलों से जुड़ा हुआ है। योजना वित्त-II प्रभाग परियोजना और क्षेत्रीय नीतिगत स्तर, दोनों ही स्तरों पर केन्द्र सरकार के विकास कार्यकलापों के संपूर्ण परिदृश्य पर नजर रखता है। विकासात्मक स्कीमों और परियोजनाओं के संबंध में इस प्रभाग द्वारा बेहतर परियोजना संरूपण, परिणाम पर विशेष बल, डेलीविरेबल्स, प्रभाव का आकलन, परियोजनाकरण (मिशन एप्रोच) और कनवर्जेंस के जरिए विकासात्मक व्यय की गुणता में सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

4.2 ग्यारहवीं योजना अवधि की शुरूआत के साथ, दिनांक 15 नवम्बर, 2007 के का.ज्ञा. सं.1(3)यो.वि.II/2001 के तहत सरकारी निधियन योजना स्कीमों/परियोजनाओं के निरूपण, मूल्यांकन और अनुमोदन हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि प्रत्यायोजन स्कीमों को और अधिक युक्ति-संगत बनाया जा सके, इसे तीव्र गति से बदलते हुए आर्थिक वातावरण से जोड़ा जाए, निवेश कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाए और इस पूरी प्रक्रिया को समय पर और उचित निर्णय लेने में सुनिश्चित करने के लिए और अधिक अनुकूल बनाया जाए। ये दिशा-निर्देश, जो ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान लागू होंगे, इस मंत्रालय की वेबसाइट www.finmin.nic.in पर उपलब्ध हैं।

4.3 दिनांक 01 जनवरी से 31 दिसम्बर , 2008 तक की अवधि के दौरान, सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में ई.एफ.सी. की **102 बैठकें** आयोजित हुईं, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के योजना निवेश प्रस्तावों/स्कीमों पर विचार किया गया जिनकी लागत लगभग **2,31,237.60 करोड़ रुपए** बैठती है। इसके अलावा, सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) की **16 बैठकें** हुई थीं, जिनमें **53,824.21 करोड़ रुपए** करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय से परियोजनाओं को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए संस्तुत किया गया था।

4.4 योजना वित्त-II प्रभाग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन ब्यूरो की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय पुनर्गठन के संबंध में भी संव्यवहार करता है। योजना वित्त-II प्रभाग खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडीज़ से संबंधित मुद्दों को भी देखता है।

5. वित्त आयोग प्रभाग

5.1 कलैंडर वर्ष 2008 के दौरान, इस विभाग के कार्यकलाप, उपलब्धियां आदि

5.1.1 वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग को वित्त आयोगों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का कार्य सौंपा गया है। इस समय, 12वें वित्त आयोग की अप्रैल, 2005 से मार्च, 2010 तक स्वीकार्य, सिफारिशें क्रियान्वित की जा रही हैं। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों में केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा यथाः राज्यों को ऋण राहत, गैर-योजनागत राजस्व घाटा अनुदान और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पुलों, सार्वजनिक भवनों, वनों, विरासत संरक्षण, राज्यों की विशेष आवश्यकताओं और स्थानीय निकायों (शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय दोनों) जैसे विशेष क्षेत्रों के अंतर्गत राज्यों को गैर-योजनागत राजस्व सहायता अनुदान को मोटे तौर पर शामिल किया गया है। यह प्रभाग राज्यों की वार्षिक ऋण की अधिकतम सीमा को तय करता है और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं और संरचनात्मक समायोजन ऋणों हेतु राज्य सरकार के प्रस्तावों को ऋण वहनीय क्लियरेंस देता है।

5.1.2 केन्द्रीय करों और प्रशुल्कों में हिस्सेदारी का अंतरण

01.04.2005 से शुरू हुई पाँच वर्ष की अवधि के लिए बारहवें वित्त आयोग ने शेयर योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्ति में राज्यों के हिस्सेदारों के 30.5 प्रतिशत की सिफारिश की है। वर्ष 2008 के दौरान, राज्यों को 175211.46 करोड़ रुपए अंतरित किए गए थे।

5.1.3 राजस्व लेखे पर घाटे को कवर करते हुए राज्यों को सहायता अनुदान

बारहवें वित्त आयोग ने अपनी अवार्ड अवधि 2005-2010 के दौरान 15 राज्यों को 56856 करोड़ रुपए की राशि के सहायता अनुदान की सिफारिश की है। वर्ष 2008 के दौरान, सहायता अनुदान के रूप में राज्यों को 10226 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

5.1.4 शिक्षा क्षेत्र के लिए राज्यों को सहायता अनुदान

बारहवें वित्त आयोग ने अपनी अवार्ड अवधि 2005-10 के दौरान 8 राज्यों को 10172 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान राशि की सिफारिश की। वर्ष 2008 के दौरान सहायता अनुदान के तौर पर राज्यों को 1928.91 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

5.1.5 स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु राज्यों को सहायता अनुदान

बारहवें वित्त आयोग ने अपनी अवार्ड अवधि 2005-10 के दौरान 7 राज्यों को 5887.08 करोड़ रुपए की राशि के सहायता अनुदान की सिफारिश की है। वर्ष 2008 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में राज्यों को 774.645 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

5.1.6 वनों के रख-रखाव के लिए राज्यों को सहायता अनुदान

बारहवें वित्त आयोग ने अपनी अवार्ड अवधि 2005-10 के दौरान 28 राज्यों को 1,000 करोड़ रुपए की राशि के सहायता अनुदान की सिफारिश की है। वर्ष 2008 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में राज्यों को 180.90 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

5.1.7 सड़कों और पुलों के लिए राज्यों को सहायता अनुदान

बारहवें वित्त आयोग ने अपनी अवार्ड अवधि 2005-10 के दौरान 28 राज्यों को 15,000 करोड़ रुपए की राशि के सहायता अनुदान की संस्तुति की। वर्ष 2008 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में राज्यों को 3264.07 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

5.1.8 सार्वजनिक भवनों के लिए राज्यों को सहायता अनुदान

बारहवें वित्त आयोग ने अपनी अवार्ड अवधि 2005-10 के दौरान 28 राज्यों को 5,000 करोड़ रुपए की राशि के सहायता अनुदान की संस्तुति की है। वर्ष 2008 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में राज्यों को 853.39 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

5.1.9 विरासत संरक्षण हेतु राज्यों को सहायता अनुदान

बारहवें वित्त आयोग ने अपनी अवार्ड अवधि 2005-10 के दौरान 28 राज्यों को 625 करोड़ रुपए की राशि के सहायता अनुदान की संस्तुति की है। वर्ष 2008 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में राज्यों को 96.98 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

5.1.10 राज्यों की विशेष आवश्यकताओं के लिए राज्यों को सहायता अनुदान

बारहवें वित्त आयोग ने अपनी अवार्ड अवधि 2005-10 के दौरान 28 राज्यों को 7100 करोड़ रुपए की राशि के सहायता अनुदान की संस्तुति की है। वर्ष 2008 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में राज्यों को 1069.42 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

5.1.11 स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को सहायता अनुदान

बारहवें वित्त आयोग ने अपनी अवार्ड अवधि 2005-10 के दौरान 28 राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की राशि के सहायता अनुदान की संस्तुति की है। वर्ष 2008 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में राज्यों को 4451.83 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

5.1.12 आपदा राहत के लिए राज्यों को सहायता अनुदान

बारहवें वित्त आयोग ने अपनी अवार्ड अवधि 2005-10 के दौरान 28 राज्यों को 16,000 करोड़ रुपए की राशि के सहायता अनुदान की संस्तुति की है। वर्ष 2008 के दौरान केन्द्रीय हिस्सेदारी के रूप में, सहायता अनुदान के तौर पर राज्यों को 3266.90 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

5.1.13 राज्यों को ऋण राहत

वर्ष 2007-08 के लिए मार्च, 2008 में 18 राज्यों के 4609.55 करोड़ रुपए तक के ऋण को बट्टे-खाते डाला गया। मई, 2008 में, वर्ष 2008-09 के लिए 5,536.59 करोड़ रुपए तक 23 राज्यों के ऋण को आस्थगित किया गया था।

6. एकीकृत वित्त एकक

6.1 एकीकृत वित्त एकक संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (वित्त) के अधीन कार्य करता है तथा मांग संख्या-38-व्यय विभाग के तहत व्यय और बजट संबंधित प्रस्तावों, जिनमें (i) व्यय विभाग, लेखा महानियंत्रक, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, वित्त आयोग

प्रभाग, कर्मचारी निरीक्षण एकक, लागत लेखा शाखा और मुख्य लेखा नियंत्रक के लिए संस्थापना बजट को शामिल करते हुए सचिवालय सामान्य सेवाओं तथा (ii) शासकीय लेखा और वित्त संस्थान, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान के लिए बजट को शामिल करते हुए अन्य प्रशासनिक सेवाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय निकाय को अंशदान और नई पेंशन स्कीम के लिए संट्रेल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी (सी.आर.ए.) को सेवा प्रभारों की अदायगी से संबंधित बजट को देखता है।

6.2 यह एकक अनुदान संख्या-39-पेंशन, अनुदान संख्या-40 भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग तथा अनुदान संख्या-44 विनिवेश विभाग के अंतर्गत व्यय की मॉनिटरिंग भी करता है।

6.3 अलग-अलग अनुदानों के अंतर्गत ये आबंटन निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपए)

अनुदान सं.	बजट अनुमान 2008-09			संशोधित अनुमान 2008-09		
	योजना	गैर-योजना	जोड़	योजना	गैर-योजना	जोड़
38- व्यय विभाग	10.00	37.86	47.86	5.30	56.66	61.96
39- पेंशन	-	7966.14	7966.14	-	10629.53	10629.53
40- भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग	-	1207.00	1207.00	-	1794.00	1794.00
44- विनिवेश विभाग	-	2351.00	2351.00	-	2348.90	2348.90

6.4 एन.आई.एफ.एम. में अवसंरचना निर्माण और विशेष श्रेणी के राज्यों से अधिकारियों को वित्तीय प्रबंधन में प्रशिक्षण को प्रायोजित करने के बारे में अनुदान सं. 38- व्यय विभाग के अधीन एक योजना स्कीम संचालित है। एन.आई.एफ.एम. में 01.01.2008 से शुरू हुए पाठ्यक्रम में 43 उम्मीदवार शामिल हुए।

6.5 व्यय विभाग के व्यय रुझान का निरंतर मॉनीटर किया गया है और सरकारी व्यय पर कड़ा नियंत्रण किया गया है। समीक्षा रिपोर्ट त्रैमासिक आधार पर सचिव (व्यय) को प्रस्तुत की गई है। लेखापरीक्षा पैराओं को स्थापित करने के लिए वर्ष के दौरान विशेष अभियान चलाया गया था और इस प्रयोजन के लिए महालेखा नियंत्रक के कार्यालय (सी.जी.ए.) द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।

7. कर्मचारी निरीक्षण एकक

7.1 वर्ष 2008 के दौरान कर्मचारी निरीक्षण एकक ने प्रवासी जांच चौकी और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों, गृह मंत्रालय और होटल प्रबंधन, केटरिंग प्रौद्योगिकी और प्रायोगिक पोषाहार संस्थान, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के दो मानक अध्ययनों सहित 2924 स्वीकृत पदों को कवर करते हुए 16 अंतिम रिपोर्ट जारी की। 2924 स्वीकृत पदों में से कर्मचारी निरीक्षण एकक ने 951 अधिशेष पद घोषित करते हुए 1973 पदों के बने रहने के औचित्य की सिफारिश की है। वर्ष के दौरान स्टाफिंग अध्ययनों से 22.33 करोड़ रुपए के सालाना की बचत होगी। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान 1333 पदों को कवर करते हुए 6 स्टाफिंग अध्ययनों पर अनंतिम रिपोर्ट भी जारी की गई।

7.2 वर्ष के दौरान, कर्मचारी निरीक्षण एकक वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगठनों, नामतः महानिदेशक, खनन, धनबाद, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और पेटेंट कार्यालय एवं पेटेंट सूचना प्रणाली (मानकों) और महानिदेशक पेटेंट डिजाइन एवं ट्रेड मार्क का कार्यालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की जनशक्ति आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए गठित 2 समितियों में महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में जुड़ा रहा था।

8. मुख्य सलाहकार लागत कार्यालय

8.1 मुख्य सलाहकार लागत (सी.ए.सी.) का कार्यालय, लागत लेखा मामलों पर मंत्रालयों तथा सरकारी उपक्रमों को सलाह देने के लिए उत्तरदायी है। मुख्य सलाहकार लागत कार्यालय एक प्रभाग है जो कि व्यय विभाग में कार्यरत है। यह एक व्यावसायिक दक्षता प्राप्त एजेंसी है जिसके कर्मचारी लागत/सनदी लेखाकार हैं।

8.2 वर्ष 2008 के दौरान किए गए कुछ प्रमुख अध्ययन नीचे दिए गए हैं:

(क) वर्ष 2007-08 के लिए पैट्रोलियम उत्पादों पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यूज़) की लक्ष्य से कम वसूली का अध्ययन।

(ख) सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना हेतु सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड द्वारा भारतीय तलमार्जन निगम को भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण।

(ग) एकल टेंडर प्रणाली के अंतर्गत ''इंटरसेप्टर बोट्स'' की आपूर्ति की लागत का विश्लेषण।

(घ) फास्ट अटैक क्राफ्ट (सी.बी-90 एच.) की लागत का विश्लेषण।

(ङ) वर्ष 2007-08 के लिए सीमा सुरक्षा बल, टेकनपुर, ग्वालियर की आंसू गैस इकाई (टी.एस.यू.) द्वारा उत्पादित आंसू गैस सामग्री के उचित मूल्य।

(च) वर्ष 2006-07 के लिए यूरिया खाद की विभिन्न कंपनियों के वृद्धि दावों/इक्वेटिड भाड़ा दरों की समवर्ती लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट।

(छ) मूल्य समर्थन स्कीम (पी.एस.एस.)/बाजार हस्तक्षेप स्कीम (एम.आई.एस.)-स्कीम पर लाभ/हानि के निर्धारण हेतु जांच।

(ज) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.वी.डी.सी.पी.) के अंतर्गत आपूर्तित कीटाणुनाशकों के लिए मूल्य का नियतन।

9. महालेखा नियंत्रक

9.1 महालेखा नियंत्रक केन्द्र सरकार का शीर्षस्थ लेखांकन प्राधिकरण है, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर केन्द्र एवं राज्य सरकार के लेखों के स्वरूपों के निर्धारण के लिए संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों का उपयोग कर रहा है। अन्य बातों के साथ-साथ, महालेखा नियंत्रक (क) संघ सरकार के मासिक लेखों को तैयार और समेकित करने (ख) संघ सरकार के वार्षिक विनियोजन लेखों (सिविल) तथा वित्त लेखों को संसद में प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। ये लेखे संसद के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, ताकि (ग) सिविल मंत्रालयों में सुदृढ़ और प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा एवं पूर्व-जांच प्रणाली सुनिश्चित हो सके (घ) तुरंत और सटीक लेखांकन के जरिए सिविल मंत्रालयों में व्यय का मॉनिटरन हो सके (ङ) भारत सरकार की प्राप्तियों का गहन तथा प्रभावी मॉनिटरन सुनिश्चित हो सके, विशेषकर उन प्राप्तियों का जो आय कर, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से संबंधित हैं (च) लेखों की गुणवत्ता में लगातार स्तरोन्नयन के द्वारा प्रबंधन के एक उपकरण के रूप में लेखों का प्रभावी ढंग से उपयोग, जिससे सरकार के भीतर वित्तीय नियंत्रण की दिशा में सुधार हो सके।

9.2 महालेखा नियंत्रक संघ सरकार की विस्तृत विश्लेषणात्मक समीक्षा भी प्रत्येक माह वित्त मंत्री को प्रस्तुत करते हैं। यह समीक्षा प्राप्तियों, व्यय, राजकोषीय घाटे, वित्त पोषण आदि के मुख्य पहलुओं के स्रोतों को कवर करती है जो उच्चतम स्तर पर भली प्रकार से निर्णय लेने में मदद करते हैं। महालेखा नियंत्रक प्रत्येक वर्ष ''लेखा एक नजर में'' शीर्षक से एक पुस्तिका भी छापती है, जिसमें सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के बारे में व्यापक और महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं।

9.3 केन्द्रीय योजना स्कीम अनुवीक्षण प्रणाली (सी.पी.एस.एम.एस.) महालेखा नियंत्रक द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक योजनाबद्ध स्कीम है। 1258 केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित स्कीमों तथा केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के लिए केन्द्रीय मॉनिटरिंग तथा लेखांकन प्रणाली स्थापित की गई है। जोखिम आधारित लेखा परीक्षण तथा निष्पादन लेखापरीक्षण जैसे आधुनिक संकल्पनाओं की शुरुआत के जरिए आंतरिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा रहा है। काम्पेक्ट तथा ई-लेखा सरीखी सूचना प्रौद्योगिकी पहल को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है।

10 मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय

मुख्य लेखा नियंत्रण (सी.सी.ए.) पर मंत्रालय के लेखांकन संगठन का समग्र प्रभार है, जिनकी सहायता के लिए तीन लेखा नियंत्रक, दो उप लेखा नियंत्रक, 36 वरिष्ठ लेखा अधिकारियों/वेतन एवं लेखा अधिकारियों तथा विभिन्न स्तरों पर लगभग 300 अन्य कर्मचारी हैं । मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्य संक्षेप में निम्नवत हैं ।

- कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से केन्द्र से राज्य को निधियों के अंतरण का मॉनिटरन ।
- आंतरिक ऋणों का मॉनिटरन ।
- भारत में बस चुके कुछ अन्य देशों के पेंशनभोगियों को पेंशन की अदायगी ।
- वित्तीय संस्थानों को ऋण जारी करना तथा ऋण पुनर्अदायगी का मॉनिटरन ।
- विदेशों में दिए गए ऋणों का हिसाब रखना ।
- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम (सी.जी.ई.जी.आई.एस.) के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों की कुल प्राप्तियों और अदायगियों के समेकित लेखों को तैयार करना तथा बचत निधि और बीमा निधि के ब्याज की गणना।
- बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को ऋण जारी करना तथा ऋण पुनर्अदायगी नजर नजर रखना ।
- विदेशी सरकारों को दिए गए ऋणों का लेखांकन ।
- टकसाल लेखों को तैयार करना ।
- केन्द्र सरकार के वाणिज्यिक विभागों में पूंजी परिव्यय पर ब्याज की औसत दर की गणना ।
- सभी ऋण वसूली अधिकरणों, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना अपीलीय प्राधिकरण, वित्त आयोग आदि को भुगतान करना ।

o प्रतिभूति शुल्क का प्रबंधन ।

11. केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय

11.1 केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय सभी सिविल मंत्रालयों के सरकारी कर्मचारियों तथा साथ ही साथ भूतपूर्व राष्ट्रपतियों/उप-राष्ट्रपतियों, सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, सांसदों तथा स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन भुगतान के वितरण तथा लेखांकन के लिए उत्तरदायी है । वर्ष 2008-09 से भारत सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (ए.आई.एस.) अधिकारियों को पेंशन वितरण का कार्य भी अपने अधिकार में ले लिया है ।

11.2 केन्द्रीय पोंशन लेखा कार्यालय सिविल पेंशन के लिए भी केन्द्रीय बजटीय और लेखांकन इकाई है । यह कार्यालय सरकार, बैंकों तथा पेंशनभोगियों के बीच पारस्परिक बातचीत हेतु एकल बिन्दु के तौर पर कार्य करता है । आधुनिक तकनीक आने पर, सी.पी.ए.ओ. पेंशन वितरण हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत 39,000 से अधिक बैंक शाखाओं के नेटवर्क के जरिए देश भर में फैले 7,00,000 पेंशनभोगियों की आवश्यकता पूरी करने में सक्षम हुआ है । मौजूदा प्रयास विभागों द्वारा दी गई स्वीकृतियों, बैंकों को प्राधिकृत करने, पेंशनभोगियों के बैंक खातों में भुगतान और बैंकों द्वारा किए गए प्रतिपूर्ति दावों के लेखांकन कार्यों के बीच संपूर्ण एवं अचूक घनिष्ठता तथा साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शिकायतों को दूर करने तथा बैंकिंग माहौल में उन्नति की दिशा की ओर है ।

12. ई-गवर्नेंस के उपायः

12.1 केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सी.पी.ए.ओ.) एक कम्प्यूटरीकृत कार्यालय है जो मंत्रालयों, बैंकों तथा पेंशनभोगियों के बीच पारस्परिक संपर्क का एकल बिन्दु है । कार्य प्रक्रियाओं में विशुद्धता, दक्षता, पारदर्शिता तथा साथ ही पेंशनभोगियों की शिकायतें दूर की जा सकें, इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली बनाई गई है । सी.पी.ए.ओ. में कई कार्य-कलाप ई-परिचालित हैं, जैसे कि अनुवीक्षण, खोजना तथा पेंशन मामलों का प्रक्रियायन । पी.पी.ओज़ की वस्तुस्थिति के बारे में पूछताछ सी.पी.ए.ओ. की वेबसाइटः http://cpao.nic.in पर की जा सकती है ।

12.2 कॉम्पेक्ट के माध्यम से ई-पी.पी.ओ. सृजित करने की आरंभिक परियोजना का परीक्षण किया जा रहा है ताकि सभी मंत्रालयों में इसका विस्तार किया जा सके । पुनरीक्षण प्राधिकारियों को निर्बाध रूप से संचालित किया जा सके, अंतरिम काल में क्षेत्र में कार्यरत भुगतान एवं लेखा अधिकारियों के लिए कॉम्पेक्ट में ई-प्राधिकरणों को बनाया जा रहा है । पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान तथा पेंशन/महंगाई राहत आदि के बकाया समय पर मिले और पेंशनभोगियों की शिकायतें समयोचित दूर हो सकें, इसके लिए निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक बैंक में केन्द्रीयकृत पेंशन प्रक्रियायन केन्द्र (सी.पी.पी.सी.) बनाया जाए । यह सी.पी.पी.सी. सभी केन्द्रीय सिविल सरकारी पेंशन के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा । पेंशनभोगियों की विशिष्ट जरूरतों की पूर्ति उनकी अपनी पेंशन भुगतान शाखा पर ही होनी जारी रह सके, ऐसी परिकल्पना की गई है । बैंकों को भी ई-नामावली तैयार करने की आवश्यकता है, जो डाटाबेस सी.पी.ए.ओ. में है उसको बैंकों के साथ मिलान करने के बाद, मैनुअल नामावलियों को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा । शिकायत दूर करने के मैकेनिज्म का तालमेल बैंकों के साथ भी होगा ।

13. वेतन अनुसंधान एकक

13.1 यह एकक "**केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर लघु पुस्तिका (ब्रोशर)**" नाम से एक वार्षिक पुस्तिका भी प्रकाशित करता है। यह ब्रोशर केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वेतन एवं विभिन्न प्रकार के भत्तों जैसे कि उनके नियमित कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, समयोपरि भत्ता आदि पर किए गए व्यय के संबंध में सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध कराता है। इसमें स्वीकृत पदों और उन पर विद्यमान पदधारियों की मंत्रालय/विभाग-वार और समूहवार संख्या की सूचना भी उपलब्ध कराई गई है।

13.2 इस एकक ने वर्ष 2006-07 के लिए ब्रोशर श्रृंखला का 29वां अंक नवम्बर, 2008 में जारी किया है। वर्ष 2007-08 के लिए ब्रोशर से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

14. सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

14.1 विभाग में लगभग 98 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान/प्रवीणता प्राप्त है। इस विभाग में अधिकांश अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लगभग 30 से 76 प्रतिशत तक सरकारी कामकाज हिन्दी में किया जाता है। हिन्दी टंकण/आशुलिपि न जानने वाले टंककों/आशुलिपिकों को हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण दिलाने के लिए नियमित रूप से नामित किया जाता है और जिन अधिकारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है उन्हें हिन्दी के विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों अर्थात् प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ के प्रशिक्षण में भेजा जाता है। विभाग में समय-समय पर हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है और इनमें प्रथम, द्वितीय तथा

तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को क्रमशः 1200/- रुपए, 1000/- रुपए और 800/- रुपए के नकद पुरस्कार तथा 500/- रुपए का नकद प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है।

14.2 वर्ष के दौरान 30 जुलाई, 2008 को राजस्व एवं व्यय विभागों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय एवं विनिवेश विभाग की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। उक्त बैठक में अपर सचिव, संयुक्त सचिव (कार्मिक) तथा अन्य अधिकारियों ने व्यय विभाग का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में माननीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा व्यय विभाग के 5 मैनुअलों के हिन्दी रूपांतर का विमोचन किया।

14.3 विभाग में 14 सितम्बर से लेकर 14 अक्तूबर 2008 तक हिन्दी माह मनाया गया जिसमें पिछले वर्ष 11 प्रतियोगिताओं की तुलना में 13 विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विभाग के कई अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में हिन्दी निबंध, नोटिंग-ड्राफ्टिंग, हिन्दी कविता, हिन्दी आशुभाषण, श्रुतलेख तथा सुलेख, हिन्दी स्लोगन तथा गैर हिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए विशेष तौर पर आयोजित हिन्दी सामान्य ज्ञान और व्यवहार आदि शामिल थीं। इसके अलावा हिन्दी प्रश्न मंच तथा राजभाषा से संबंधित विषयों पर आयोजित संगोष्ठियां भी हिन्दी माह का विशेष आकर्षण रहीं। इन सभी प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र के साथ-साथ 5000/- रुपए 3000/- रुपए तथा 2000/- रुपए के क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए गए तथा 1000-1000/- रुपए के दो नकद प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इसके अलावा, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) की हिन्दी में टिप्पण तथा मसौदा लेखन नकद पुरस्कार योजना के अधीन 2 कर्मचारियों को 1000/- रुपए का प्रथम तथा एक को 600/- रुपए का द्वितीय पुरस्कार दिया गया।

15. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान

15.1 इस संस्थान की स्थापना प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं वित्तीय परामर्शदाता का कार्य करने, लेखा एवं लेखापरीक्षा, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, मानव संसाधन प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अग्रणी एवं उत्कृष्ट ज्ञान केन्द्र के रूप में की गई है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है।

15.2 राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान छह केन्द्रीय समूह ''क'' वित्त एवं लेखा सेवाओं के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को 44 सप्ताहों का प्रशिक्षण प्रदान करता है। संस्थान ने जनवरी, 1994 में अपना कार्य शुरू किया तथा विभिन्न लेखा, लेखापरीक्षा और वित्तीय सेवाओं के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के 15 बैचों (सत्रों) का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान परीवीक्षाधीनों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ तथा मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए बिजनेस मैनेजमैंट (वित्तीय प्रबंधन) में दो वर्ष का एक आवासीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा आयोजित करता है। पी.जी.डी.बी.एम. (एफ.एम.) का 7वां बैच अभी चल रहा है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान विभिन्न लघु-आवधिक प्रबंधन विकास कार्यक्रमों का आयोजन करने के साथ-साथ परामर्श देने का कार्य भी करता है।

15.3 वर्ष 2008-09 के लिए राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का बजट अनुमान 1271.00 लाख रुपए तथा वर्ष 2008-09 के लिए संशोधित अनुमान 1657.00 लाख रुपए था। वर्ष 2009-10 के लिए बजट अनुमान 967.07 लाख रुपए है (पूंजीगत + राजस्व)।

अध्याय III

राजस्व विभाग

1. कार्य

1.1 राजस्व विभाग सचिव (राजस्व) के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है । यह सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों के संबंध में अपने अधीनस्थ दो कानूनी बोर्डों नामतः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण करता है। यह विभाग से संबंधित सभी प्रशासनिक मामलों, दोनों बोर्ड (के.उ.शु. एवं सी.शु.बोर्ड तथा के.प्र. कर बोर्ड) के बीच समन्वय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जहां तक वह संघ के क्षेत्राधिकार में आता है) का प्रशासन, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985(एन डी पी एस अधिनियम), तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति सम्पहरण) अधिनियम 1976 (सफेम) (फोप), विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 (फेमा) तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम,1974 (कोफेपोसा) के प्रशासन का कार्य करता है।

1.2 गत वित्तीय वर्ष की सदृश अवधि अर्थात (दिसम्बर, 2007) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2008-2009 (अर्थात दिसम्बर, 2008 तक) के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण का तुलनात्मक ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	करों की प्रकृति	वित्तीय वर्ष के दौरान वसूली गई राशि		
				(करोड़ रुपए में)
		2007–08 (दिसम्बर 2007 तक	2008–09 (दिसम्बर 2008 तक)	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1.	निगम कर	1,28,194	1,46,737	14.46 %
2.	वैयक्तिक आय कर	77,535	83,524	7.72 %
3.	अन्य प्रत्यक्ष कर	300	337	12.3 %
4.	केन्द्रीय उत्पाद *	85,895	80, 366	-6.4 %
5.	सीमा शुल्क	75,134	82,943	10.4 %
6.	सेवा कर **	31,380	39,355	25.4 %
	कुल	3,98,438	4,33,262	8.74 %

* उत्पाद शुल्क के आंकड़ों में अन्य विभाग द्वारा प्रशासित उपकर शामिल नहीं हैं ।
**नवम्बर, 2008 के माह तक सेवा कर राजस्व

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

2.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी. बी. ई. सी.) का कार्य सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर को लगाने और उनकी वसूली करने, तस्करी को रोकने एवं शुल्क के अपवंचन को रोकने से संबंधित नीति तथा सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, तथा नार्कोटिक्स उत्पादन (जिस सीमा तक सी बी ई सी के कार्य क्षेत्र में आते हैं) से संबंधित प्रशासनिक मामलो का कामकाज देखता है। यह बोर्ड सौंपे गये विभिन्न कार्यो को भी करता है जिसमें इसके क्षेत्रीय कार्यालय इसकी मदद करते हैं।

2.2 अप्रत्यक्ष करों का संग्रहण

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क केन्द्र सरकार के कर राजस्व के दो प्रमुख स्रोत हैं।

2.3 सीमा शुल्क

विभागीय अभिलेखों के आधार पर 2006-07 और 2007-08 के दौरान सीमा शुल्क से निम्नलिखित राजस्व की प्राप्ति हुई है:-

रूपये करोड़ में

2006-07		2007-08 (अनंतिम)	
बजट प्राक्कलन	वास्तविक संग्रहण	बजट प्राक्कलन	वास्तविक संग्रहण
77066	86327	98770	104091

वर्ष 2008-09 का बजट प्राक्कलन 118930 करोड़ रूपये का है जिसके एवज में (दिसम्बर 2008 तक) 82943 करोड़ रूपये (अनंतिम) का संग्रहण किया गया है।

2.4 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

विभागीय अभिलेखों के आधार पर 2006-07 और 2007-08 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व (जिसमें राजस्व विभाग द्वारा न लगाये गये उपकरों को शामिल नहीं किया गया है), का ब्यौरा निम्नवत है:-

रूपये करोड़ में

2006-07		2007-08 (अनंतिम)	
बजट प्राक्कलन	**वास्तविक संग्रहण**	**बजट प्राक्कलन**	**वास्तविक संग्रहण**
117967	116561	129043	123007

वर्ष 2008-09 का बजट प्राक्कलन (जिसमें वे उपकर भी शामिल नही हैं जो राजस्व विभाग द्वारा नहीं लगाये गये हैं) 136610 रूपये है जिसके एवज में (दिसम्बर, 2008 तक) 80366 करोड़ रूपये (अनंतिम) (जिसमें वे उपकर भी शामिल नही हैं जो राजस्व विभाग द्वारा नहीं लगाये गये हैं) का संग्रहण किया गया है।

2.5 सेवा कर

वर्ष 2006-07 में सेवा कर दर में 10% से 12% की वृद्धि रही और वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में भी यही दर बरकरार रही है। वर्ष 2008-09 का बजट प्राक्कलन 64460 करोड़ रूपये है। अब तक सेवा कर के तहत कवर की गई सेवाओं की कुल संख्या 105 है।

2.6 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में ई गवर्नेन्स क्रियाकलाप

2.6.1 कस्टम्स प्रासेस आटोमेशन

वर्ष 2003-04 में 23 आटोमेटेड कस्टम्स लोकेशन्स थे जिसमें 87% आयात और निर्यात उद्घोषणायें दायर की गई थी और ई डी आई प्रणाली में प्रसंस्कृत की गई थी जिसके एवज में 2007-08 में यह प्रसंस्करण बढ़कर 95% हो गया है जिसमें 40 प्रमुख कस्टम्स लोकेशंस कवर किये गये हैं। हालांकि शेष कस्टम्स लोकेशन्स की आगे की ई डी आई कवरेज की एक समेकित परियोजना के अंतर्गत पूरा किया जाएगा। इस समय यह परियोजना चालू है और वित्त मंत्रालय में गठित एक अधिकारप्राप्त समिति इस पर निगरानी रख रही है।

नीचे सारणी में दिए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि 2004 में आई सी ई जी ए टी ई की शुरुआत के बाद इसके माध्यम से सीमा शुल्क प्रलेखों की फाइलिंग में जबरदस्त इजाफा हुआ है तथा मैनुअल प्रलेख फाइलिंग में पर्याप्त कमी आयी है:

वर्ष	आगम पत्र			शिपिंग बिल		
	ई डी आई	आइसगेट से	मैनुअल	ई डी आई	आइसगेट से	मैनुअल
2004-05	17,66,674	8,25,159	1,58,013	29,58,490	14,63,286	3,55,318
2005-06	20,64,382	9,04,841	1,09,180	33,84,867	17,09,585	2,49,547
2006-07	23,36,919	21,14,975	71,301	37,22,998	24,22,457	2,06,635
2007-08	27,04,158	23,73,062	90,680	40,81,719	30,21,756	2,33,440

निम्नलिखित विशेषताओं के कारण सी बी ई सी की परियोजनाओं ने मालों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में भी सहायता की है:-

(क) टेली-पूछताछ प्रणाली, टच स्क्रीन किओस्क, एस एम एस, टी वी मानीटरों और स्थानीय वेबसाइटों पर प्रलेख की स्थिति के प्रदर्शन से व्यापार नौप्रेषणों की निगरानी में पारदर्शिता बढ़ी है।

(ख) प्रलेख ट्रैकिंग, स्थिति की पूछताछ तथा आई सी ई जी ए टी ई के हेल्पडेस्क के माध्यम से पारदर्शिता आयी है।

(ग) विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in और www.icegate.gov.in के माध्यम से सूचनाओं का प्रसार ।

इसके अलावा, प्रणाली उन्नयन एवं ई तरीके की दिशा में बढ़ने के लिए निम्नलिखित प्रमुख शुरुआतें की गयी हैं:

2.6.2 आपदा प्रबंधन प्रणाली

माल की त्वरित निकासी बढ़ाने के लिए आपदा प्रबंधन प्रणाली (आर एम एस) के आधार पर स्व-मूल्यांकन एवं बाद में ऑडिट की शुरुआत करना, कम जोखिम वाले आयातकों/निर्यातकों को सुविधाएं देना तथा उच्च-जोखिम वाले मामलों में कारगर प्रवर्तन उपलब्ध कराना। फिलहाल 23 सीमा शुल्क केन्द्रों पर आर एम एस (आयात माड्यूल) का कार्यान्वयन किया जा चुका है। फिलहाल, आर एम एस वितरित आर्किटेक्चर में चल रहा है। इसे केन्द्रीय सर्वर पर तैनात करने के लिए अप्लीकेशन में परिवर्तन किए जा रहे हैं। आई जी एम डेटा के आधार पर स्केनिंग के लिए कंटेनरों का चयन न्हावा शेवा में कार्यान्वित किया गया है।

2.6.3 सी बी ई सी स्वचालन परियोजना

सी बी ई सी ने स्वचालन की एक बड़ी शुरुआत (समेकन परियोजना) की है जिसे सी सी ई ए ने नवंबर 2007 में अनुमोदित किया था। सी सी ई ए के अनुमोदन के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं के साथ संविदा की जा चुकी है और परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। डेटा केन्द्र पूरी तरह स्थापित किया जा चुका है और उसके लिए हार्डवेयर स्थापित और चालू किए जा चुके हैं। नेटवर्किंग अवसंरचनाएं (डब्लू ए एन/एल ए एन) स्थापित की जा रही है और स्वीकृति के लिए इनकी पेशकश की जा रही है।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर व्यवसाय प्रक्रियाओं की जरूरतें पूरी करने के लिए डेटा केन्द्र पर होस्ट करने हेतु साफ्टवेयर अप्लीकेशन उन्नत/विकसित किए जा रहे हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अप्लीकेशन (ए सी ई एस) दिसम्बर, 2008 में एल टी यू बेंगलोर में प्रायोगिक आधार पर शुरु किया जा चुका है। मार्च, 2009 के अंत तक इसे अन्य प्रायोगिक केन्द्रों पर शुरू करने का और जून, 2009 तक शेष देश में शुरू करने का प्रस्ताव है। जहां तक सीमा शुल्क का प्रश्न है, भारतीय सीमा शुल्क ई डी आई प्रणाली (आई सी ई एस संस्करण 1.5) विकसित किया जा रहा है और शीघ्र ही इसे चुनिंदा सीमा शुल्क केन्द्रों पर प्रायोगिक आधार पर शुरु किया जाएगा। सफल विकास और परीक्षण के बाद स्वचालित सीमा शुल्क प्रक्रिया का लाभ और अधिक पत्तनों एवं एयरपोर्ट्स को मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण शुरुआत है डेटा वेयर हाउस परियोजना जो अभी विकासाधीन है।

3. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

3.1 केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 द्वारा सृजित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी बी डी टी) ऐसा शी-र्ा निकाय है जिसे भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों के अभिशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा छः सदस्य होते हैं ।

3.2 कर संग्रहण का स्वचलन

विभिन्न उपायों के माध्यम से राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने के लिए विशे-ा अभियान चलाए जा रहे हैं , इसमें कुछ निम्नवत हैं :

(i) 1.04.2007 से 31.10.2008 के दौरान दाखिल की गई 10 लाख से अधिक आय वाली इलेक्ट्रानिक तरीके से दाखिल की गई विवरणियों के लगभग 1700 मामलों की एक सूची बनाई गई है जिसमें 1670 करोड़ रूपए की राशि के स्व कर-निर्धारण के संदाय का दावा था जिसका वास्तविक रूप से भुगतान नहीं किया गया था। ऐसे कर निर्धारितियों के विरूद्ध कार्यवाहियां शुरू की गई और ऐसे अधिकांश करों का भुगतान कर दिया गया है।

(ii) पिछले व-र्ाों में स्रोत पर कर कटौती के ढांचे को मजूबत किया गया जिसके फलस्वरूप पूर्ववर्ती व-र्ा में 50 प्रतिशत से अधिक स्रोत पर कर कटौती में वृद्धि हुई। चालू व-र्ा में भी स्रोत पर कर कटौती के अनेक सर्वेक्षण तथा निरीक्षण किए गए हैं जिनमें स्रोत पर कर कटौती से हजारों करोड़ रूपए संग्रहीत किए गए हैं। सर्वेक्षणों से पता चला है कि अधिकांश कर कटौतीकर्ता न तो करों की कटौती कर रहे हैं और न ही कर कटौती करने के पश्चात उन्हें सरकारी खातों में जमा कर रहे हैं अथवा विहित समय के बाद जमा कर रहे हैं। कतिपय चूक करने वाले कटौतीकर्ताओं में राज्य विद्युत बोर्ड (जो अब अधिकतर अलग-अलग निगमित कम्पनियों के रूप में कार्य कर रहे हैं), प्रमुख एयरलाईन्स, मोबाइल सेवा प्रदाता तथा अस्पताल आदि शामिल हैं। चूककर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाहीं शुरू कर दी गई है।

(iii) शी-र्ा कटौतीकर्ताओं(आर सी सी-वार) से संबंधित सूचना तैयार कर ली गई है ताकि निम्नलिखित मामलों की सूची दी जा सकेः-

(क) जिन कटौतीकर्ताओं ने अपनी विवरणी के अनुसार 1 लाख रूपए से अधिक स्रोत पर कर कटौती के भुगतान को स्वीकार कर लिया है किन्तु उन्होंने वास्तविक रूप से उसे सरकार के पास जमा नहीं किया है।

(ख) जिन कटौतीकर्ताओं ने व-र्ा 2007-08 में 1 लाख रूपए से अधिक जमा किया है किन्तु चालू व-र्ा में कोई भुगतान नहीं किया है।

(ग) स्रोत पर कर कटौती के विलम्ब जमा तथा नि-क्रिय टैनों की संख्या।

(घ) चालू व-र्ा तथा पूर्व व-र्ा के लिए शी-र्ा कटौतीकर्ता।

(ड.) पूर्ववर्ती व-र्ा में शी-र्ा कटौतीकर्ताओं का स्रोत पर कर कटौती का भुगतान तथा चालू व-र्ा में उनका संगत भुगतान।

उपर्युक्त सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों में उचित सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्राधिकारियों को भेज दी गई है।

3.3 कर अपवंचन की रोकथाम के लिए उपायः-

सरकार सुनियोजित सर्वेक्षण अभियानों, तलाशी तथा जब्ती कार्रवाइयों तथा अन्य जांचों के माध्यम से कर अपवंचन तथा बेहिसाबी धन की वृद्धि की रोकथाम के लिए प्रयासरत है। पूर्ववर्ती वित्त व-र्ा के दौरान 411.45 करोड़ रूपए की जब्तशुदा परिसम्पत्तियों के मूल्य वाले नि-पादित 3364 तलाशी वारंटों की तुलना में वित्त व-र्ा 2008-09 (अर्थात नवम्बर, 2008 तक) 1979 तलाशी वारंट नि-पादित किए गए जिनमें 302.08 करोड़ रूपए मूल्य की परिसम्पत्ति जब्त की गई।

3.4 कर आधार को व्यापक बनानाः-

वित्त व-र्ा के दौरान अगस्त, 2008 तक तथा पूर्ववर्ती वित्त व-र्ा 2007-08 के दौरान कर निर्धारितियों की कुल संख्या क्रमशः 320.52 तथा 326.87 लाख है।

3.5 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में कम्प्यूटरीकरण

प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के साथ-साथ केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग में व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य करदाता अनुकूल कार्य प्रणाली स्थापित करना, कर आधार को बढ़ाना, पर्यवेक्षण में सुधार करना तथा सरकार के लिए ज्यादा से ज्यादा राजस्व सृजित करना है।

(i) ई-फाइलिंग

सभी कर निर्धारितियों को विवरणियों को इलेक्ट्रानिक तरीके से दाखिल करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है तथा ऐसे निगमित एवं कर निर्धारितियों के लिए अनिवार्य कर दी गई है जिनके खातों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से आयकर अधिनियम,1961 की धारा 44 क ख के अन्तर्गत की जानी होती है। 19.4.2008 से कर निर्धारण व-र्ा 2008-09 के लिए सभी आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग शुरू कर दी गई है। वित्त व-र्ा 2008-09 की तीसरी तिमाही के अनुसार, लगभग 29 लाख ई- विवरणियां प्राप्त हुई हैं । दाखिल की गई ई- विवरणियों में से लगभग दो तिहाई विवरणियां करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक रूप से दाखिल की गई हैं जिनसे ई-फाइलिंग की सुविधा की व्यापक स्वीकृति का पता चलता है।

आयकर विभाग की आयकर विवरणी की इलेक्ट्रानिक फाइलिंग परियोजना को *'आउट- स्टैडिंग परफोर्मेंस इन सिटीजन सेन्ट्रिक सर्विस डिलीवरी'* की श्रेणी में नेशनल ई -गर्वनेन्स सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है।

(ii) केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी)

एक ही स्थान पर सभी आयकर विवरणियों की केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग के लिए केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र के वित्त व-र्ा 2008-09 के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है।

(iii) प्रणाली समाकलक परियोजना

36 क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्रों (आर सी सी) को एकल रा-ट्रीय डाटाबेस (प्राथमिक डाटाबेस केन्द्र- पी डी सी) में निहित क्षेत्रीय डाटाबेस के समाकलन के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की प्रणाली समाकलक परियोजना के वित्त व-र्ा 2008-09 के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है।

(iv) ई-अदायगी

1 अप्रैल, 2008 से सभी कम्पनियों तथा सभी 44 क ख मामलों के लिए ई-अदायगी अनिवार्य कर दी गई है।

(v) ई- स्त्रोत पर कर कटौती

वित्त व-र्ा 2007-08 में कर कटौतीकर्ताओ का आधार 9.3 लाख था जो वित्त व-र्ा 2008-09 में बढ़ कर 12 लाख हो गया है।

(vi) ओलटास

ओलटास (आन लाइन कर लेखांकन प्रणाली) अब पूरी तरह से कार्य कर रही है तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य एजेंसी बैंकों के सघन समन्वय से कार्यान्वित किया जा रहा है।

4. राज्य कर प्रभाग

यह प्रभाग राज्यों के साथ समन्वय बनाकर माल और सेवाओं हेतु अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में सुधारों में भी सहायता प्रदान करता है । इनमें वह बढ़ा हुआ दायरा शामिल है जिसमें पूर्ववर्ती राज्य बिक्री के स्थान पर मूल्यवर्धित कर लागू करना, तथा विशेष महत्व के माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क केन्द्रीय बिक्री कर और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को हटाना तथा अन्ततः राष्ट्रीय स्तर के माल तथा सेवाकर के लिए एक रूप रेखा को विकसित करना शामिल है । इन क्षेत्रों में किया गया महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार है-

4.1 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 लेन-देनों को दर्ज करने वाले लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की शक्ल में कर लगाने सम्बंधी कानून निर्धारित करता है । सुधारों संबंधी प्रक्रिया के भाग के रूप में, दो केन्द्रीय लिखतों अर्थात ऋण पत्रों और प्रोमिसरी नोटों के संबंध में नयी दरों हेतु आवश्यक आदेशों को अधिसूचित करते हुए, स्टाम्प शुल्क की दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है ।

4.2 मूल्य वर्धित कर (वैट) को लागू करना

पूर्ववर्ती बिक्री कर प्रणालियों के स्थान पर सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा राज्य मूल्य वर्धित कर को लागू करना राज्य स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर सुधार है । राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति (ईसी) में राज्यों के बीच आम तौर पर हुई सहमति पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 1.4.2005 से मूल्य वर्धित कर लागू किया गया था । केन्द्र सरकार ने मूल्य वर्धित कर अधिनियम के प्रारूप का एक माडल परिचालित कर तथा मूल्य वर्धित कर को लागू करने से राज्यों को होने वाली किसी राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति का भुगतान कर समर्थन उपलब्ध करवाकर मूल्य वर्धित कर को सफलतापूर्वक लागू करने में मदद देने वाले की भूमिका निभाई है।

4.3 केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0)

अप्रत्यक्ष कर सुधार प्रक्रिया को जारी रखने के लिए, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम , 1856 के तहत अब लगाए जा रहे केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के लिए रूपरेखा पर राज्यों के साथ हुए विस्तृत विचार विमर्श के बाद सहमति हो गयी थी । तदनुसार, 1.4.2007 से केन्द्रीय बिक्री कर की दर को 4 प्रतिशत से घटा कर 3 प्रतिशत तथा 1.6.2008 से इसे 3 प्रतिशत से घटा कर 2 प्रतिशत कर दिया गया है ।

4.4 विशेष महत्व के माल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (अ0उ0शु0)

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957, राज्यों के साथ कर किराया व्यवस्था के भाग के रूप में बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाए जाने की व्यवस्था करता है । अप्रत्यक्ष कर सुधारों के भाग के रूप में, चरणबद्ध रूप से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को समाप्त करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति से सहमति हो गयी थी । तदनुसार, तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों पर 1.4. 2007 से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया गया है ताकि इनको केन्द्रीय करों के विभाजनीय पूल से 1 प्रतिशत के हिस्से को प्रभावित किए बिना राज्य बिक्री कर के दायरे में लाया जा सके । टैक्सटाइल्स को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क मदों की सूची से बाहर लाने के लिए अधिकार प्राप्त समिति के साथ चर्चा की जा रही है ।

4.5 माल एवं सेवा कर

1 अप्रैल, 2010 तक राष्ट्रीय माल एवं सेवा कर (जी एस टी) लागू करने के उद्देश्य से सरकार ने अपनी नीति घोषित कर दी है। केन्द्रीय सरकार एवं राज्यों के बीच परामर्श से अधिकारी प्राप्त समिति के माध्यम से भारत के लिए माल सेवा कर के लिए रूपरेखा डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया है।

5. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो

केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो आर्थिक आसूचना के संबंध में एक नोडल एजेंसी है। आसूचना एकत्र करने संबंधी कार्यकलापों में समन्वय रखने तथा इसे सुदृढ करने तथा आर्थिक अपराधों की जॉच करने वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रवर्तन सम्बंधी कार्रवाई करने तथा आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन हेतु, 1985 में इसकी स्थापना की गयी थी।

ब्यूरो ने आर्थिक अपराधियों तथा अपराधों तथा आर्थिक आसूचना से संबंधित आसूचना निविष्टियों के आदान-प्रदान हेतु विभिन्न संस्थागत कार्यतंत्र पर एक आंकड़ा आधार की स्थापना भी की है। तस्करी के खतरों एवं विदेशी मुद्रा की धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए वर्ष के दौरान कोफेपोसा अधिनियम 1975(विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम) को लागू किया गया था। ब्यूरो ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को उनकी जाँच-पड़ताल सम्बंधी दक्षता को बढ़ाने के लिए अनेकों प्रशिक्षण पाठयक्रमों का भी आयोजन भी किया था।

6. स्वापक नियंत्रण प्रभाग

6.1 कृषकों द्वारा उत्पादित अफीम का अधिग्रहण केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो करता है और इसे गाजीपुर एवं नीमच स्थित सरकारी अफीम और क्षार कारखानों को भेज दिया जाता है। इन कारखानों में इसे सुखाकर निर्यात किया जाता है। अफीम के कुछ अंश का उपयोग औषधि कम्पनियों को आपूर्ति के लिए क्षार निकालने के लिए भी किया जाता है। राजस्व विभाग के स्वापक नियंत्रण प्रभाग के अंतर्गत स्वापक से प्रत्यक्षतः संबंधित विभाग के दो क्षेत्रीय कार्यालय हैंः- (1) केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो (सी बी एन) और (2) सरकारी अफीम एवं क्षार कारखाना (जी ओ ए डब्ल्यू); कारखाना मुख्य नियंत्रक के अधीन नीमच और गाजीपुर;

अपनी सरकारों द्वारा प्राधिकृत केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारी एन डी पी एस अधिनियम, 1985 को लागू कर सकते हैं। केन्द्रीय स्वपाक ब्यूरो, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और राजस्व आसूचना महानिदेशालय के अधिकारी एन डी पी एस अधिनियम, 1985 को लागू करते हैं।

फसल वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा 70 डिग्री संशक्ता वाले 170 टन अफीम प्राप्त किया गया। फसल वर्ष 2007-08 के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से प्राप्त अस्थाई परिणामों के आधार पर 70 डिग्री संशक्ता वाली औसत उपज क्रमशः

65.90, 62.09 और 49.83 कि.ग्रा./हेक्टेयर थी। वर्ष 2007-08 के दौरान 70 डिग्री संशक्ता वाले अखिल भारतीय औसत उपज 64.235 कि.ग्रा./हेक्टेयर थी जो सर्वाधिक है। चूंकि जी ओ ए डब्ल्यू द्वारा कुल अफीम क्षार उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, सरकार ने जी ओ ए डब्ल्यू द्वारा आपूर्ति किए गए अफीम से क्षार के उत्पादन के लिए अन्य कम्पनियों को अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसके लिए लाइसेंस जारी करने हेतु दो कम्पनियों का पता लगाया गया है।

7. सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति

समिति का गठन 1992 में किया गया था यह समिति खेल, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्धन हेतु और प्रदूषण नियंत्रण के लिए परियोजनाओं स्कीमों की आयकर अधिनियम की धारा 35 क ग के अंतर्गत अधिसूचना हेतु केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करती है । अनुमोदित परियोजनाओं के लिए दान के माध्यम से धन पोषण होता है जिस पर दानकर्ता आयकर कानून के अंतर्गत 100 प्रतिशत कर छूट के लिए पात्र हैं । वित्तीय वर्ष 2008-09 (अर्थात दिसम्बर, 2008 तक) चार कारोबार बैठकें आयोजित हुई जिसमें 523 आवेदनों पर विचार किया गया और 190 परियोजना/स्कीमें अनुमोदित की गई थीं ।

8. प्रवर्तन निदेशालय

वर्ष 2006-07 के दौरान निदेशालय का पुनर्गठन किया गया । इस निदेशालय ने अप्रैल से नवम्बर 2008 की अवधि के दौरान 80 मामलों (पूर्ववर्ती फेरा, 1973 के अधीन) तथा 154 मामलों (फेमा 1999 के अंतर्गत) का न्यायनिर्णयन किया है और इसी अवधि के दौरान निदेशालय ने फेरा, 1973 के अंतर्गत 08.53 करोड़ रूपये और फेमा के अंतर्गत 01.24 करोड़ रूपये की शास्तियों की वसूली की है । पेरा 1973 की धारा 56 एवं 57 के अंतर्गत पहले शुरू किये गये अभियोजनो में से 85 मामलों का निपटान हो गया है। धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 (पी एम एल ए) के तहत 56 मामले अब तक जाँच के लिए पंजीकृत किये गये हैं। 2 मामलों की जॉच पूरी कर ली गई है तथा निर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के समक्ष अभियोजन शिकायते फाइल कर दी गई है जॉच के परिणामस्वरूप 40 करोड़ रूपये मूल्य की 24 दागी सम्पत्तियों को अंनतिम रूप से जब्त कर लिया गया है । इसके अतरिक्त धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधान के तहत दो लोगो को गिरफ्तार कर लिया गया गया है ।

9. धन शोधन निवारण (पी एम एल ए) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकारी का कार्यालय

9.1 धन शोधन निवारण अधिनियम (ध0शे0 निवा0), 2002 को संसद द्वारा धन शोधन एवं उससे जुडे कार्यकलापों को रोकने, अपराध की आय की जब्ती एवं धनशोधन को रोकने के लिए समन्वयकारी उपायों के लिए अभिकरण एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

9.2 31.12. 2008 को न्याय निर्णयन प्राधिकरण द्वारा 52 प्रवर्तन मामलों की सूचना रिपोर्ट (ई सी आई आर) एवं 24 मूल शिकायत प्राप्त हुई हैं। 22 मूल शिकायतों के अंतिम आदेश पहले ही जारी कर दिये गये हैं और दो मूल शिकायतें सुनवाई की प्रक्रिया में है ।

10. भारत -वित्त आसूचना एकक (भारत - वि0आ0ए0)

10.1 भारत सरकार ने नवम्बर, 2004 में भारत- वित्त आसूचना एकक (एफ आई यू-इन्ड) की स्थापना एक केन्द्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में की थी, जो संदेहास्पद वित्तीय संव्यवहारों के बारे में सूचना प्राप्त करने उन पर कार्रवाई करने, उनका विश्लेषण करने तथा आसूचना एजेंसियों को प्रसार करने के लिए उत्तरदायी है । भारत-वित्त आसूचना एकक एक बहुविषयक निकाय है जिसके अध्यक्ष निदेशक है, जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी हैं । भारत - वित्त आसूचना एकक का मुख्य कार्य वित्तीय सेक्टर में विभिन्न संस्थाओं से नकली मुद्रा एवं संदेहास्पद संव्यवहारों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उनका विश्लेषण करना और जिस सूचना को वह ठीक कार्रवाई करने योग्य समझे उसे विदेशी वित्त आसूचना एककों सहित कानून लागू करने वाली एवं जाँच एजेंसियों को सूचित करना है ।

10.2 भारत - वित्त आसूचना एकक द्वारा किये गये मुख्य कार्य

i) 31.12.2008 तक भारत - वित्त आसूचना एकक में 99 लाख से अधिक नकद लेन-देन रिपोर्टें और 4900 से अधिक संदेहास्पद लेन-देन रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ।

(ii) 31.12.2008 तक 2500 मामलों में भारत - वित्त आसूचना एकक ने आसूचना एवं कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सूचना दी है ।

(iii) भारत वित्त आसूचना एकक ने '' धन शोधन एवं उससे संबंधित अपराध से लड़ने के लिए मूल्यवान वित्तीय सूचना संग्रहित, विश्लेषित एवं प्रचारित करने के लिए उद्योग के उत्तम रीतियों एवं उपयुक्त तकनीकी को अपनाने'' के उद्देश्य से फिन नेट- वित्त आसूचना नेटवर्क परियोजना शुरू की है । परियोजना में दो चरण है अर्थात चरण- I परामर्शी रिपोर्ट को तैयार करना, एवं चरण- II - परामर्शी रिपोर्ट का कार्यान्वयन ।

(iv) भारत - वित्त आसूचना एकक ने अपनी वेबसाइट विकसित करके डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. एफ आई यू इंडिया.गोव.इन. पर प्रस्तुत की है । वेबसाइट में धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002, सूचना देने वाली संस्थाओं की बाध्यताएं अनुसूचित अपराध, अधिसूचनाओं और संबंधित खंडों के मध्य उचित संपर्क सहित प्रकाशनों से संबंधित सूचनाएं दी गई है ।

(v) भारत - वित्त आसूचना एकक को रिपोर्ट किये जाने वाले विषयों व धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए) के

अंतर्गत उनकी बाध्यताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विनियामकों एवं उद्योग सहयोगियों द्वारा रिपोर्टिंग तत्वों के लिए विभिन्न स्थानों पर आयोजित की गई विभिन्न कार्यशालाओं के लिए भारत - वित्त आसूचना एकक ने संकाय सहयोग प्रदान कर अपना समर्थन प्रदान किया है ।

(vi) भारत- वित्त आसूचना एकक - जून, 2007 में वित्त आसूचना एककों में परस्पर सहयोग बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एगमोंट ग्रुप का सदस्य बन गया है । भारत - वित्त आसूचना एकक ने अपने प्रतिपक्षी वित्त आसूचना एककों से जानकारी का आदान-प्रदान आरंभ कर दिया है ।

11. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजस्व विभाग राजभाषा नियम, 1976 के नियम के नियम 18(4) के अंतर्गत अधिसूचित है । राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत सभी दस्तावेज अनिवार्यत: द्विभाषी रूप से जारी किए गए । संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 30 जुलाई, 2008 को वित्त राज्य मंत्री (व्यय, बैंकिंग एवं बीमा) की अध्यक्षता में आयोजित की थी । फरवरी, 2008 में राजस्व, व्यय और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति में विनिवेश विभाग को शामिल किया गया था । वर्तमान समिति की कार्यावधि को एक वर्ष के लिए अर्थात अप्रैल, 2009 तक बढ़ाया गया था। राजभाषा कार्यान्यन समिति की बैठके नियमित अन्तराल पर आयोजित की गई । विभाग में हिन्दी दिवस मनाया गया और 14 सितम्बर, 2008 से 28 सितम्बर, 2008 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया जिस के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । विभाग में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा के लिए वर्ष 2008 के दौरान इस विभाग के 8 अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण किए गए ।

अध्याय IV

विनिवेश विभाग

1. प्रस्तावना

1.1 विनिवेश मंत्रालय को 27 मई, 2004 से वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग में परिवर्तित कर दिया गया था और इसे विनिवेश से संबंधित वे सभी काम सौंपे गए थे जो पहले विनिवेश मंत्रालय द्वारा निष्पादित किए जाते थे। जनवरी 2006 में, विनिवेश विभाग को, राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराई गई विनिवेश से प्राप्त राशि के उपयोग से संबंधित वित्तीय नीति से संबंधित कार्य भी सौंपा गया है।

1.2 सरकार द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के संबंध में सरकार की नीति की रूप-रेखा दी गई है जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की इक्विटी का विनिवेश शामिल है।

1.3 सरकार ने नवम्बर, 2005 में एक "राष्ट्रीय निवेश कोष " (एनआईएफ) का गठन किया है जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश से प्राप्त राशि को जमा कराया जाएगा। राष्ट्रीय निवेश कोष को भारत की संचित निधि से अलग रखा जा रहा है और इसके संग्रह को कम किए बिना स्थायी आय प्रदान करने के लिए इस कोष की प्रबन्ध व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिन्दा म्युच्युअल फण्डों द्वारा व्यावसायिक तौर पर की जा रही है। राष्ट्रीय निवेश कोष से होने वाली वार्षिक आय के 75% हिस्से का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की उन चुनिन्दा योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए किया जाएगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार को बढ़ावा दें। राष्ट्रीय निवेश कोष की शेष 25% वार्षिक आय का उपयोग, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उन लाभप्रद तथा पुनरूद्धार योग्य उद्यमों की पूंजी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा जो पर्याप्त आय प्रदान करते हैं ताकि विस्तार/विविधिकरण के वित्त पोषण के लिए उनके पूंजी आधार को बढ़ाया जा सके ।

2. कार्य और संगठनात्मक ढांचा

2.1 विनिवेश विभाग की स्थापना दिनांक 10 दिसम्बर 1999 की अधिसूचना सं. सी.डी./551/99 के तहत की गई थी। दिनांक 06 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं. सी.डी.442/2001 के तहत विनिवेश विभाग को विनिवेश मंत्रालय के रूप में नया नाम दिया गया था। दिनांक 27 मई, 2004 की अधिसूचना सं.सीडी-160/2004 के तहत विनिवेश मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग में बदल दिया गया था और इसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :-

(क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से केन्द्र सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले ।

(ख) पूर्ववर्ती केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बिक्री की पेशकश अथवा निजी स्थापन के माध्यम से केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामले ।

टिप्पणी: पूर्व केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सामरिक भागीदार द्वारा क्रय विकल्प का उपयोग करने से संबंधित और उससे उभरने वाले मामलों सहित विनिवेश के बाद सभी मामलों पर, जहां आवश्यक हो, विनिवेश विभाग के परामर्श से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती रहेगी ।

(ग) पुनर्गठन सहित विनिवेश के तरीकों के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेना ।

(घ) सलाहकारों की नियुक्ति, शेयरों का मूल्य निर्धारण और विनिवेश के अन्य निबंधनों और शर्तों सहित विनिवेश संबंधी निर्णयों को कार्यान्वित करना ।

(ड़) विनिवेश आयोग ।

(च) केवल सरकार की इक्विटी के विनिवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ।

(छ) राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराई गई विनिवेश से प्राप्त राशि के उपयोग से संबंधित वित्तीय नीति ।

2.2 सरकार की नीति में परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप विनिवेश आयोग का कार्यकाल आगे और नहीं बढ़ाया गया था तथा 31 अक्तूबर, 2004 से इसे समाप्त कर दिया गया था ।

2.3 श्री विवेक मेहरोत्रा 01 अप्रैल, 2008 से 19 जनवरी, 2009 तक विनिवेश विभाग के सचिव के पद पर रहे। श्री राहुल खुल्लर ने 19 जनवरी, 2009 के अपराह्न में विनिवेश विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण किया ।

2.4 विनिवेश विभाग के सचिव की सहायता के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी) के अलावा तीन संयुक्त सचिव हैं। विभाग डेस्क ऑफीसर पैटर्न पर कार्य करता है और विनिवेश कार्य न्यूनतम अवर सचिव के स्तर पर किया जाता है।

2.5. सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश के संबंध में एक श्वेत पत्र तैयार किया था और इसे लोक सभा तथा राज्य सभा के पटल पर क्रमशः 23 और 27 नवम्बर, 2007 को रखा गया।

3. कलैण्डर वर्ष 2008 के दौरान गतिविधियां, लक्ष्य एवं उपलब्धियां

i मार्च, 2008 में सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.(आरईसी) में कंपनी की 10 प्रतिशत निर्गम-पूर्व प्रदत्त पूंजी के समान इक्विटी के नए निर्गम के जरिए आरईसी द्वारा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के साथ-साथ 10 प्रतिशत निर्गम-पूर्व पूंजी का विनिवेश किया था। इससे सरकार को 819.63 करोड़ रूपए प्राप्त हुए थे ।

ii फरवरी, 2007 में, सरकार ने नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि.(एनएचपीसी) में कंपनी की 10 प्रतिशत निर्गम पूर्व प्रदत्त पूंजी के समान इक्विटी के नए निर्गम के जरिए एनएचपीसी द्वारा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के साथ निर्गम-पूर्व पूंजी का विनिवेश करने का निर्णय लिया था। यह निर्णय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर है।

iii अगस्त, 2007 में, सरकार ने ऑयल इण्डिया लि. (ओआईएल) की 10 प्रतिशत निर्गम-पूर्व पूंजी का, कंपनी की 11 प्रतिशत निर्गम-पश्चात प्रदत्त पूंजी के समान इक्विटी के नए निर्गम के जरिए ओआईएल द्वारा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के साथ-साथ इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि., हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. के पक्ष में क्रमशः 2:1:1 के अनुपात में विनिवेश करने का निर्णय लिया था। यह निर्णय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर है।

iv जनवरी, 2008 में सरकार ने राइट्स (आरआईटीईएस) लि. की 10 प्रतिशत निर्गम-पूर्व इक्विटी पूंजी का, कंपनी की 10 प्रतिशत निर्गम-पूर्व प्रदत्त इक्विटी पूंजी निर्गम के जरिए राइट्स लि. द्वारा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के साथ-साथ विनिवेश करने का निर्णय लिया था। यह निर्णय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर है।

v 31.12.2008 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय निवेश कोष में 1814.45 करोड़ रूपए की धनराशि जमा है।

अध्याय V

वित्तीय सेवाएं विभाग

1. कृषि ऋण

1.1 कृषि ऋण प्रवाह

1.1.1 वर्ष 2004-05 के प्रारम्भ से, तीन वर्षों की अवधि में कृषि और संबंधित कार्यकलापों के लिए ऋण प्रवाह को दुगुना करने के लिए सरकार ने 18 जून, 2004 को वर्ष 2003-04 के दौरान संवितरित राशि पर एक पैकेज की घोषणा की थी। यह लक्ष्य दो वर्ष में प्राप्त कर लिया गया था।

1.1.2 कृषि ऋण संवितरण वर्ष 2003-04 में 86,981 करोड़ रु. से लगभग तीन गुना बढ़कर वर्ष 2007-08 में 2,43,570 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2008-09 के लिए 2,80,000 करोड़ रू. का लक्ष्य था और बैंकों द्वारा 1,69,837 करोड़ रु. पहले ही संवितरित किया जा चुका है। (दिसम्बर 2008 के अन्त तक के अनंतिम आंकड़े)

1.2 ब्याज सहायता योजना

1.2.1 वर्ष 2006-07 में, खरीफ तथा रबी 2005-06 के लिए किसानों द्वारा लिए गए फसल ऋण पर 1,00,000/-रु. तक की मूल राशि पर उधारकर्ता की ब्याज देयता के दो प्रतिशत बिन्दु के बराबर राशि, उधारकर्ताओं के खाते में जमा करा दी गई थी।

1.2.2 इसके अलावा, सरकार ने, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, तथा सहकारी ऋण संस्थाओं को उनके अपने स्रोतों द्वारा संवितरित ऋणों पर 2% की दर से ब्याज राजसहायता प्रदान की थी तथा प्रति किसान मूल राशि पर 3,00,000/- रु. की उपरी सीमा सहित, किसानों को 7% प्रति वर्ष की दर पर अल्पकालिक ऋण प्राप्त कराना सुनिश्चित कराने के लिए वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान नाबार्ड द्वारा निधियों की लागत तथा पुनर्वित्त की दर के बीच ब्याज विभेदकों की राजसहायता द्वारा सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रियायती पुनर्वित्त प्रदान किया है। यह योजना समान निर्धारित मानकों सहित वर्ष 2008-09 के दौरान भी जारी है सिवाय इसके कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके अपने स्रोतों द्वारा संवितरित ऋण राशि पर ब्याज राजसहायता 3% की दर से प्रदान की जा रही है। वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान क्रमशः लगभग 870 करोड़ रु., 1,856 करोड़ रु.तथा 2,472 करोड़ रु. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ऋणदात्री संस्थाओं को पहले ही प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

1.3 वित्तीय समावेशन

1.3.1 वित्तीय समावेशन पर श्री सी रंगराजन की अध्यक्षता में गठित समिति की अंतरिम रिपोर्ट के लिए की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने वित्तीय समावेशन की विकासात्मक तथा प्रोन्नत मध्यक्षेपों की लागत वसूल करने हेतु ''वित्तीय समावेशन निधि''(एफआईएफ) तथा तकनीकी अभिग्रहण की लागत प्राप्त करने के लिए ''वित्तीय समावेशन तकनीकी निधि'' (एफआईटीएफ) का गठन किया था। प्रत्येक निधि में 500 करोड़ रू. का समग्र कार्पस निहित था जिसमें निधियों के उपयोग के आधार पर पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 40:40:20 के अनुपात में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा अंशदान किया जाना है। वर्ष 2007-08 के लिए इन निधियों में प्रत्येक में 25 करोड़ रू. का अंशदान भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा 40:40:20 के अनुपात में किया जाना था जिसके लिए भारत सरकार इन दोनों निधियों में से प्रत्येक के लिए 10 करोड़ रु. का अंशदान पहले ही कर चुकी है। दोनों ही निधियां नाबार्ड में सृजित हैं। इन दोनों निधियों के लिए दिशानिर्देश का गठन कर दिया गया है तथा रणनीति बनाने तथा वित्तीय समावेशन हेतु प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सलाहकार बोर्ड की बैठकें नियमित अंतराल में आयोजित होती रहती हैं।

1.3.2 भारतीय बैंक संघ तथा नाबार्ड ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनकी प्रत्येक ग्रामीण और अर्द्धशहरी शाखाओं में प्रति वर्ष 250 ग्रामीण परिवार खाते जोड़ने का लक्ष्य प्राप्त करने की सलाह दी है।

1.4 ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आरआईडीएफ)

आरआईडीएफ का कार्पस जो वर्ष 2003-04 के दौरान 5,500 करोड़ रु. था, वर्ष 2008-09 के लिए बढ़कर 14,000 करोड़ रु. हो गया (आरआईडीएफ-XIV)। आरआईडीएफ-XII के अंतर्गत वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान प्रत्येक के लिए 4,000 करोड़ रु. के कार्पस सहित ग्रामीण सड़कों के लिए एक अलग निधि का निर्माण किया गया है। आरआईडीएफ के अंतर्गत राज्यों के लिए प्रामाणिक विनिधानों हेतु 11,590.65 करोड़ रु. की योजना की संस्वीकृति की गई है। इसके अलावा नाबार्ड द्वारा 1,315.40 करोड़ रु. एनआरआरडीए को संस्वीकृत किए गए हैं जिसमें 4,000 करोड़ रु. वर्ष 2008-09 के लिए भारत निर्माण योजना के ग्रामीण सड़क घटक के लिए इसे संस्वीकृत किए गए हैं।

1.5 सहकारी ऋण संरचना का पुनरूज्जीवन

राज्यों के साथ परामर्श करके, प्रो. वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) के लिए एक पुनरूज्जीवन पैकेज की रचना की गई है। इसमें कुल 13,596 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसे भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा सीसीएस द्वारा 68:28:4 के अनुपात में वहन किया जाएगा। यह सुविधा (क) संचयी हानियों को समाप्त करने (ख) राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई परन्तु अदेय प्रतिभूतियों को कवर करने (ग) पूंजी को न्यूनतम 7% के स्तर तक बढ़ाने (घ) तकनीकी सहायता (विशेष लेखा परीक्षा, प्रशिक्षण, कम्प्यूटरीकरण आदि की लागत सहित) के लिए उपलब्ध होगी। अब तक 25 राज्यों ने अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के लिए पुनुरुज्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नाबार्ड को जारी कुल 4,790.37 करोड़ रु. में से 4,519.23 करोड़ रु. का पहले ही उपयोग किया जा चुका है।

1.6 कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस) 2008

1.6.1 किसानों के लिए कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 इसकी निर्धारित तारीख अर्थात 30.06.2008 से कार्यान्वित की जा चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एसएलबीसी तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार कृषि ऋण राहत/ ऋण माफी का अनन्तिम आंकड़ा 65, 318.33 करोड़ रु. है जो 3,68,77,818 किसानों को कवर करती है।

1.6.2 सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने एडीडब्ल्यूडीआरएस के आंकड़े अपने वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए हुए हैं। इसके अलावा, नाबार्ड ने 31.12.2008 की स्थिति के अनुसार, 83 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आंकड़े अपनी वेबसाइट पर रखे है।

1.6.3 कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 के अंतर्गत 25,000 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति दावों की पहली किस्त भारतीय रिजर्व बैंक को जारी की जा चुकी है।

1.7 नाबार्ड, सिडबी तथा एनएचबी के लिए निधियां

नाबार्ड, सिडबी तथा एनएचबी के स्रोत आधार में वृद्धि करने के लिए, सरकार ने इन बैंकों में चार निधियां नामतः नाबार्ड में एसटीसीआरसी निधि- 5,000 करोड़ रु., एमएसएमई (पुर्नवित्त) निधि- 3,600 करोड़ रु. तथा सिडबी में एमएसएमई (जोखिम) निधि- 1,000 करोड़ रु. तथा एनएचबी में आरएचडी निधि- 2,000 करोड़ रु., गठित की हैं।

2. बैंकिंग परिचालन

2.1 विधायी प्रस्ताव

(i) नए कानून यथा संदाय एवं निपटान अधिनियम, 2007 का अधिनियमन-समाशोधन गृहों की मान्यता, रसीदों के साथ भुगतानों के निर्धारण को कानूनी संस्वीकृति, निपटान की अन्तिमता, सेवा प्रदाताओं और भागीदारों को मान्यता, भुगतानों के इलैक्ट्रॉनिक तरीके तथा प्रतिभूति समाशोधन एवं निपटान पर निगरानी की स्पष्ट शक्तियों को कानूनी आधार देने के लिये दिसंबर 2007 में संदाय एवं निपटान प्रणालियों के संबंध में एक नया कानून अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम 12 अगस्त 2008 से लागू हुआ।

(ii) एसबीआई (संशोधन) विधेयक, 2006 में आधिकारिक संशोधन करने का प्रस्ताव-विधेयक दिनांक 18.12.2006 को लोक सभा में पेश किया गया है और इसे स्थायी वित्त समिति को रेफर किया गया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर, विधेयक में आधिकारिक संशोधन मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 24.7.2008 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिये गए हैं। फिलहाल विधेयक लोक सभा में विचार किये जाने और पारित किये जाने के लिये लंबित है।

(iii) एसबीआई (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में संशोधन का प्रस्ताव - रिज़र्व बैंक के शेयर केद्र सरकार को अंतरित किये जाने के पश्चात, मंत्रिमंडल ने दिनांक 24.07.2008 को हुई अपनी बैठक में एसबीआई (समनुषंगी बैंक) अधिनियम में संशोधन अनुमोदित किये हैं जो मुख्यतया रिज़र्व बैंक की बजाए केद्र सरकार का अनुमोदन लेने/उसके साथ विचार-विमर्श करने की प्रक्रिया से संबंधित हैं। एसबीआई (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 को संशोधित करने के लिये एक विधेयक लोक सभा में पेश किये जाने के लिये तैयार है।

(iv) स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र अधिनियम, 1950 को निरसित करने का प्रस्ताव - स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो जाने के परिणामस्वरूप, उक्त अधिनियम को निरसित करने के लिये एक विधेयक लोक सभा में पेश किये जाने के लिये तैयार है।

(v) अधिमान शेयरों और निजी निर्धारण, आदि के जरिये बैंकों को पूँजी जुटाने की अनुमति देने के लिये मताधिकारों की उच्चतम सीमा को हटाने के लिये बैंककारी विनियमन अधिनियम में संशोधन करने के लिये एक विधेयक विचार किये जाने और पारित किये जाने के लिये लोक सभा में है।

2.2 नीतिगत निर्णय

(i) राष्ट्रीयकृत बैंकों में पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिये गए हैं।

(ii) आरबीआई में उप गवर्नरों की नियुक्ति के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिये गए हैं।

2.3 ऋण सूचना कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

ऋण निवेश कंपनियों की इक्विटी पूंजी में कुछ शर्तों के अध्यधीन प्रारम्भ में 49% तक विदेशी निवेश अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया था।

2.4 ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 - कठिनाई निवारण आदेश जारी करना।

2.4.1 अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसार, अधिनियम के प्रारम्भ के समय विद्यमान प्रत्येक ऋण संस्था को ऐसे प्रारम्भ से तीन महीने की समाप्ति से पूर्व कम से कम एक ऋण सूचना कंपनी का सदस्य बनना आवश्यक है।

2.4.2 चूंकि किसी भी कंपनी को ऋण सूचना का कारोबार शुरु करने या जारी रखने के लिए अधिनियम की धारा 5 के तहत पंजीकरण प्रमाण-पत्र अभी तक मंजूर नहीं किया गया था, इसलिए अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए पूर्वोक्त समय-सीमा को बढ़ाना आवश्यक हो गया है। अधिनियम की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 24 जनवरी, 2008 को ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) (कठिनाई निवारण) आदेश, 2008 जारी किया गया था, जिसके तहत ऋण संस्थाओं द्वारा कम से कम एक ऋण सूचना कंपनी की सदस्यता ग्रहण करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2008 की गई थी।

2.4.3 चूंकि अभी तक किसी भी कंपनी को पंजीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर नहीं किया गया था, इसलिए दिनांक 12.12.2008 को दूसरा ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) (कठिनाई निवारण) आदेश, 2008 (2008 का द्वितीय) जारी किया गया था, जिसके तहत ऋण संस्थाओं द्वारा कम से कम एक ऋण सूचना कंपनी की सदस्यता ग्रहण करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2009 की गई थी।

2.5 सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के अधिकार निर्गम में अंशदान।

कारबार में लक्ष्यगत वृद्धि और सांविधिक पूंजीगत अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होने के लिए, भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी इक्विटी पूंजी में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया था। भारतीय स्टेट बैंक के पास उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की जांच की गई थी और बैंक को इक्विटी शेयरों के अधिकार निर्गम के जरिए पूंजी में वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की गई थी। सरकार ने विशेष विपणनयोग्य सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गम के बदले भारतीय स्टेट बैंक के अधिकार निर्गम में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान किया था।

2.6 ''बैंकों द्वारा वसूली एजेंटों की नियुक्ति किए जाने'' के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का जारी किया जाना।

ऋणों की वसूली के लिए उधारकर्ताओं से सम्पर्क करते समय, कुछ बैंकों द्वारा नियुक्त किए गए वसूली एजेंटों द्वारा अपनाई जाने वाली गलत प्रथाओं के संबंध में इस विभाग को विभिन्न क्षेत्रों से अनेक संदर्भ प्राप्त हो रहे थे। इस संबंध में उपयुक्त मार्गनिर्देश जारी करने के लिए इस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने वसूली एजेंटों के संबंध में 24 मार्च, 2008 को मार्गनिर्देश जारी कर दिए हैं।

2.7 स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र का भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय।

दिनांक 25.8.2007 को भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाले अनुषंगी बैंक, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र का अपने में विलय करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र ने भी बैंक का भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। भारतीय स्टेट बैंक को विलय के लिए स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र को कोई भुगतान नहीं करना था क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक अपने 100% अनुषंगी बैंक अर्थात स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र को अपने दायरे में ले रहा था और नकदी के बहिर्गमन की परिकल्पना नहीं की गई थी। तदनुसार, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 35(2) के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के अधिग्रहण की योजना को मंजूर करने का आदेश मंत्रिमंडल के अनुमोदन के साथ दिनांक 11.08.2008 को अधिसूचित कर दिया गया है।

2.8 यूको बैंक की इक्विटी पूंजी का पुनर्निर्धारण।

बैंक को उपयुक्त समय पर आकर्षक प्रीमियम पर एफपीओ के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए प्रति शेयर आय सहित उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने और उसके विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में बैंक को सक्षम बनाने के लिए, यूको बैंक ने अपनी इक्विटी पूंजी के पुनर्निर्धारण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव की जांच की गई थी और केंद्रीय मंत्रिमण्डल के अनुमोदन से बैंक की इक्विटी पूंजी (अर्थात 799.36 करोड़ रुपए) को 250 करोड़ रुपए की राशि को ''स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस)'' में परिवर्तित करके पुनर्निर्धारित किया गया है, जबकि शेष 549.36 करोड़ रुपए की राशि को बैंक की इक्विटी पूंजी के रुप में बनाए रखा गया है। इसके अलावा, बैंक को बाजार से 325 करोड़ रुपए का पीएनसीपीएस जुटाने की अनुमति भी दी गई है।

2.9 पंजाब एंड सिंध बैंक की इक्विटी पूंजी का पुनर्निर्धारण

बैंक को उपयुक्त समय पर आकर्षक प्रीमियम पर पूंजी जुटाने के लिए प्रति शेयर आय सहित उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने और

उसके विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में बैंक को सक्षम बनाने के लिए, पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपनी इक्विटी पूंजी के पुनर्निर्धारण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। केंद्रीय मंत्रिमण्डल के अनुमोदन से बैंक की इक्विटी पूंजी (अर्थात 743.06 करोड़ रुपए) को 160 करोड़ रुपए की राशि को ''नवोन्मेष स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)'' (टीयर-I के तहत) में, 200 करोड़ रुपए की राशि को ''स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस)'' (टीयर-I के तहत) में और 200 करोड़ रुपए की राशि को ''स्थायी संचयी अधिमान शेयरों (पीसीपीएस)'' (टीयर-II पूंजी के तहत) में परिवर्तित करके पुनर्निर्धारित किया गया है, जबकि 183.06 करोड़ रुपए की राशि को बैंक की इक्विटी पूंजी के रुप में बनाए रखा गया है।

2.10 करेंसी चेस्ट की स्थापना :

2.10.1 करेंसी चेस्ट की स्थापना से संबंधित नीति, गृह मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से फरवरी, 1992 में तैयार की गई है। इस नीति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय की पूर्व मंजूरी लिए बिना मिलिट्री केन्टोन्मेंट एरिया में अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 80 किलोमीटर के भीतर स्थित राज्य की राजधानी में और 80 किलोमीटर से दूर भी करेंसी चेस्ट स्थापित कर सकता है। तथापि, पंजाब, कश्मीर घाटी, असम, नागालैंड एवं मणिपुर राज्यों के मामलों में, गृह मंत्रालय की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के लिए ये प्रस्ताव इस विभाग को भेजे जाते हैं।

2.10.2 असम मणिपुर एवं नागालैंड पूर्वोत्तर राज्यों में गृह मंत्रालय से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने में भारतीय रिजर्व बैंक/वित्त मंत्रालय द्वारा सामना की गई परिचालन संबंधी कठिनाईयों को देखते हुए, करेंसी चेस्ट खोलने से संबंधित नीति को आशोधित कर दिया गया है। आशोधित नीति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक को, कुछ सुरक्षा अपेक्षाओं के बारे में स्वयं को आश्वस्त करने के बाद, भारत सरकार को भेजे बिना इन राज्यों में करेंसी चेस्ट खोलने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। गृह मंत्रालय सुरक्षा कारणों का उल्लेख करके आशोधित नीति पर आपत्ति कर रहा है। इस मामले का समाधान निकालने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए मुद्दों का निपटान करने के लिए सचिव (वित्तीय क्षेत्र) द्वारा 10.7.2008 को एक बैठक आयोजित कर ली गई है। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात, निम्नलिखित पर सहमति व्यक्त की गई है-

(i) असम, मणिपुर एवं नागालैंड राज्यों के जिन स्थानों में करेंसी चेस्ट उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन जारी किए जाने के पश्चात् पहले ही स्थापित कर दी गई है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गृह मंत्रालय की अनुमति लिए बिना, करेंसी चेस्ट तभी खोली जा सकती है जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8 जून, 2006 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित सुरक्षा अपेक्षाओं का पालन कर लिया जाए।

(ii) असम, मणिपुर एवं नागालैण्ड राज्यों के अन्य केंद्रों में करेंसी चेस्ट स्थापित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक 21 जनवरी, 1992 के का.ज्ञा. के अनुसार गृह मंत्रालय से सहमति प्राप्त करेगा। यदि गृह मंत्रालय में प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के भीतर उस मंत्रालय से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो भारतीय रिजर्व बैंक यह मान लेगा कि मंजूरी दी जा चुकी है।

2.11 केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के संबंध में परिचालन प्रशिक्षणः

2.11.1 प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने नागरिकों की शिकायतों का शीघ्र तथा कारगर निवारण करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) की तकनीकी सहायता से केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) नामक एक पोर्टल विकसित किया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिकायतों का निवारण करने के प्रयोजन से वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) को एक नोडल एजेन्सी के रुप में नामित किया गया है। वित्तीय सेवाएं विभाग ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र से परामर्श करके सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, बैंकिंग ओम्बड्समेन कार्यालयों, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आदि को पोर्टल के सफल तथा व्यापक प्रयोग हेतु इन सभी एजेन्सियों के लिए देशभर में अंचल-वार एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

2.11.2 सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि शिकायतों के शीघ्र एवं कारगर निपटान के लिए सीपीजीआरएएमएस पोर्टल का व्यापक रुप से प्रयोग किया जाए तथा इन सभी लंबित शिकायतों की समीक्षा भी शीघ्रता से की जाए।

3. संस्थागत वित्त

3.1 इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी लि.

3.1.1 इंडिया इन्फ्रास्ट्रचर फाइनैंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो अर्थक्षम अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त पोषित करती है। आईआईएफसीएल को जनवरी, 2006 में निगमित किया गया था और इसे एसआइएफटीआई - (अवसंरचना वित्तपोषण के लिए योजना) द्वारा संचालित किया जाता है। आईआईएफसीएल की प्राधिकृत पूंजी 1,000 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रु. कर दी गई थी और इसकी मौजूदा प्रदत्त पूंजी 1,000 करोड़ रु. है। आईआईएफसीएल अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तीय समापन में सहायता देने हेतु एसआईएफटीआई के अनुसार सड़क, पत्तन, विद्युत, शहरी अवसंरचना आदि जैसे क्षेत्रों में पात्र अवसंरचना को वित्तपाषित कर रही है। दिसम्बर, 2008 के अंत तक आईआईएफसीएल ने 88 परियोजनाओं के लिए लगभग 18,700 करोड़ रु. की राशि के ऋण मंजूर किए है, जिनमें 1,47,000 करोड़ रु. की परियोजना लागत शामिल है। इनमें से 75 परियोजनाओं का वित्तीय समापन हो गया है। 3563 करोड़ रु. की राशि संवितरित की गई है।

3.1.2 केंद्रीय बजट 2007-08 में माननीय वित्त मंत्री की घोषणा के बाद इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में 7 फरवरी, 2008 को लंदन में आईआईएफसीएल (यूके) लि. की स्थापना की गई है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत में अवसंरचना परियोजनाएं चलाने वाली भारतीय कंपनी को वित्तीय सहायता देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से निधियां उधार लेना है, ताकि भारत से बाहर इन कंपनियों की पूंजी खर्च को पूरा किया जा सके तथा पूंजी उपस्कर एवं मशीनरी का आयात किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक आईआईएफसीएल (यूके) लि. को 5 बिलियन अमरीकी डालर का मियादी ऋण दने के लिए सहमत हो गया है, अब तक उसने 900 मिलियन अमरीकी डालर के छः प्रस्ताव मंजूर किए हैं।

3.1.3 सरकार ने दिनांक 7.12.2008 को एक प्रेरक पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहायता दने के लिए उपाय शामिल थे। इस प्रेरक पैकेज के अनुसार, आईआईएफसीएल को मार्च, 2009 तक खंडों में 10,000 करोड़ रु. तक कर-मुक्त बान्ड जुटाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अर्थव्यवस्था को प्रेरित करने के लिए दिनांक 02.01.2009 को दूसरे पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें अगले 18 महीनों में प्रतियोगी दरों पर लगभग 75,000 करोड़ रु. की अवसंरचना परियोजनाओं के निधीयन हेतु उपाय शामिल हैं, इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में जुटाई गईं निधियों का यदि एक बार प्रभावी तरीके से उपयोग कर लिया जाता है तो आईआईएफसीएल को कर मुक्त बान्डों के जरिए अंशों में 30,000 करोड़ रु. तक पहुंच प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाया जाएगा।

3.2 सिंचाई एवं जल संसाधन वित्त निगम (आईडब्ल्यूआरएफसी)

3.2.1 वर्ष 2008-09 के बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि सिंचाई परियोजनाओं में अपेक्षित अत्यधिक निवेशों को ध्यान में रखते हुए सरकार का प्रस्ताव है कि बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के निधीयन के लिए अपेक्षित बहुत अधिक संसाधन जुटाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदान दी गई 100 करोड़ रु. की प्रारंभिक पूंजी से सिंचाई एवं जल संसाधन वित्त निगम (आईडब्ल्यूआरएफसी) स्थापित किया जाए।

3.2.2 उपर्युक्त घोषणा के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदान की गई 100 करोड़ रु. की प्रारंभिक प्रदत्त पूंजी से कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी के रूप में सिंचाई एवं जल संसाधन वित्त निगम लिमिटेड (आईडब्ल्यूआरएफसी) की स्थापना की गई है। राज्य सरकारों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को इक्विटी में अंशदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आईडब्ल्यूआरएफसी के परिचालन हेतु कार्यवाहियां चल रही हैं।

3.3 भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक)

3.3.1 भारत में विदेश व्यापार को वित्तपोषित करने, उसे सुकर बनाने तथा उसका संवर्धन करने के प्रयोजन से संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित भारतीय निर्यात-आयात बैंक निर्यात एवं आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्य के समन्वय हेतु देश में मुख्य वित्तीय संस्था है। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है।

3.3.2 एक्जिम बैंक विदेशी कंपनियों, राष्ट्रीय सरकारों, क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण-व्यवस्था बढ़ाने पर विशेष जोर देता है, बैंक का एलओसी पोर्टफोलियो हाल के वर्षों में बढ़ा है। बैंक ने 30 नवम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार, भारत से निर्यातों को वित्तपोषित करने के लिए उपलब्ध कुल 3,464 मिलियन अमरीकी डालर (17,318 करोड़ रु. के बराबर) से 94 देशों में फैले 107 सक्रिय एलओसी की सूची बनाई है। अप्रैल-नवम्बर 2008 के 8 महीनों के दौरान कुल 501 मिलियन अमरीकी डालर (2505 करोड़ रु.) ऋण राशि वाले 18 (अठारह) एलओसी करार किए गये हैं।

3.3.3 अप्रैल-दिसम्बर 2008 के दौरान 24,859 करोड़ रु. के नए ऋण अनुमोदित किए गये थे और 20,199 करोड़ रु. संवितरित किए गये थे। 31 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार बैंक के ऋण एवं अग्रिम राशि का पोर्टफोलियों 30,411 करोड़ रु. का था। 30नवम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार 45 भारतीय कंपनियों द्वारा एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 38 देशों में बैंक द्वारा सहायता प्राप्त 59,869 करोड़ रु. (लगभग 11.97 बिलियन अमरीकी डालर) मूल्य की 219 परियोजना निर्यात संविदाएं निष्पादित की जा रही थी। इनमें से 14 कंपनियों द्वारा 12 देशों में निष्पादित की जा रहीं 10,844 करोड़ रु. मूल्य की 23 संविदाएं चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान पूरी कर ली गई थीं।

3.3.4 एक्जिम बैंक भारतीय कंपनियों द्वारा किए जा रहे उन बाह्य निवेशों में भी सक्रिय रूप से सहायता देता है और उन्हें सुकर बनाता है, जो इन कंपनियों द्वारा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। एक्जिम बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से 5,000 करोड़ रु. की ऋण-व्यवस्था प्राप्त की है, ताकि भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी दरों पर रुपए या डालरों में लदान पूर्व एवं लदान पश्चात् ऋण दिए जा सकें।

3.3.5 वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक की पूंजी के लिए 100 करोड़ रु. दिए गये थे तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 200 करोड़ रु. और दिए जाएंगे, तब तक इसकी प्रदत्त पूंजी 1400 करोड़ रु. हो जाएगी, जबकि प्राधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रु. होगी।

3.4 निर्यातकों को ब्याज सहायता

3.4.1 रूपए की मूल्यवृद्धि को देखते हुए निर्यातकों को सहायता देने के उद्देश्य से सरकार ने निर्यातकों की 11 श्रेणियों लघु एवं

मझौले उद्यम (एसएमई) क्षेत्रों में सभी निर्यातकों सहित के लिए 13 जुलाई, 2007 से ब्याज सहायता की अनुमति दी थी, जो पारंभ में 31 मार्च, 2008 तक लागू थी। तथापि, यह योजना 30 सितम्बर, 2008 तक लागू थी।

3.4.2 इसके अतिरिक्त, निर्यातोन्मुख निर्यात क्षेत्र को वैश्विक मंदी से अलग करने के उद्देश्य से भारत-सरकार ने सात रोजगारोन्मुख निर्यात क्षेत्रों के लिए लदान पूर्व ऋण पर दिनांक 1.12.2006 से 31 मार्च, 2009 तक 2 % ब्याज सहायता देने का निर्णय लिया है। यह सहायता भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए बैंकों को दी जाएगी।

3.5 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

(i) **भारत-जापानः**

माननीय प्रधानमंत्री जी के 22-23 अक्तूबर, 2008 को जापान दौरे के दौरान जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल को-ओपरेशन (जेबीआईसी) तथा आईआईएफसीएल/दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कारिडोर डेवलपमेंट कार्पोरेशन (डीएमआईसीडीसी) के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये थे। इस समझौता-ज्ञापन के अनुसार, जेबीआईसी, आईआईएफसीएल तथा डीएमआईसीडीसी परस्पर सहमत शर्तों पर जेबीआईसी द्वारा दिए जाने वाले 75 मिलियन अमरीकी डालर/या समतुल्य मुद्रा में दिए गये ऋण की वसूली में सहयोग करने के लिए सहमत हो गये है।

(ii) **भारत-ओमान**

100 मिलियन अमरीकी डालर की प्रारंभिक मूल निधि से इंडिया-ओमान संयुक्त निवेश निधि-स्थापित करने का प्रस्ताव है। भारतीय स्टेट बैंक को इस संयुक्त निवेश निधि के परिचालन हेतु एजेंसी के रूप में नमोद्दिष्ट किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक तथा स्टेट जनरल रिजर्व फंड ऑफ सल्तनत ऑफ ओमान के बीच अवसंरचना एवं अन्य परियोजनाओं में संयुक्त निवेश करने के लिए दिनांक 8.11.2008 को एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये थे।

3.6 सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण

(i) सितंबर 2007 की समाप्ति पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह 2,13,119 करोड़ रुपए था, जो 24.38 % की वृद्धि दर्शाते हुए बढ़कर सितंबर 2008 की समाप्ति पर 2,65,083 करोड़ रुपए हो गया।

(ii) 7 दिसंबर 2008 को घाषित प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में, आरबीआई ने सिडबी को, एमएसएमई को वर्धित उधार में सहायता देने के लिये, 7000 करोड़ रुपए की एक पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की है।

3.6.3 एसएमई पुनर्वित्त/जोखिम पूँजी निधियां

वर्ष 2008-09 की बजट घोषणा के अनुसार, निम्नलिखित दो निधियां सृजित की गई हैं और परिचालनक्षम की गई हैं

(i) 1000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कॉर्पस के साथ एक एमएसएमई (जोखिम पूँजी) निधि।
(ii) 1600 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन, जिसे बढ़ाकर 3600 करोड़ रुपए कर दिया गया था, के साथ एक एमएसएमई (पुनर्वित्त) निधि।

3.7 सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों के लिये ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीटीएमएसई)

(i) 125 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कॉर्पस के साथ, 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग के लिये ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएसआई) औपचारिक तौर पर आरंभ किया गया था।

(ii) दिनांक 30.9.2007 तक 2152 करोड़ रुपए के लिये 81345 लघु उद्योग इकाइयों की तुलना में दिनांक 30.9.2008 की स्थिति के अनुसार, सीजीटीएमएसई के अंतर्गत संचयी गारंटियां 117842 लघु उद्योग इकाइयों के लिये थीं और 3474 करोड़ रुपए की ऋण सहायता को कवर करती थीं।

(iii) एमएसई क्षेत्र को उधार बढ़ाने के लिये ऋण गारंटीं का कवरेज बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा कई पहलें की गई हैं।

(क) एकमुश्त गारंटी शुल्क को 2.5% से घटा कर 1.5% कर दिया गया था। इसके अलावा, जैसा कि बजट 2008-09 में घोषणा की गई थी, एममुश्त गारंटी शुल्क को और अधिक घटा कर 1.5 % से 1 % कर दिया गया है।

(ख) सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों को बैंकों/सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा संस्वीकृत 5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा के संबंध में वार्षिक सेवा शुल्क को 0.75 % से घटा कर 0.50% कर दिया गया है।

(iv) योजना 50 लाख रुपए तक के ऋण पर गारंटी कवर देती थी। तथापि, एसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिये 7 दिसंबर 2008 को सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज में, इस याजना के अंतर्गत गारंटी कवर 50 लाख रुपए से बढ़ा कर 1 करोड़ रुपए कर दिया है।

इसके साथ ही, गारंटी योजना के अंतर्गत और अधिक ऋण कवर करने के लिये बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिये, मौजूदा ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत कवर किये गए ऋणों की निश्चित अवरूद्धता अवधि को घटा कर 24 से 18 महीने कर दिया गया है।

(v) 2 जनवरी 2009 को घोषित अगले पैकेज में, सीजीटीएमएसई द्वारा दिये जाने वाले गारंटी कवर को बढ़ाकर, 5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा तक के लिये 85 % करने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे गारंटी कवर दिये गए खातों की कुल संख्या के लगभग 85 प्रतिशत को लाभ मिलने की संभावना है।

3.8 एसएमई रेटिंग अभिकरण (एसएमईआरए)

(i) एसएमई के लिये एक ऋण अभिकरण स्थापित किया गया है और सितंबर 2005 से परिचालन में है। एसएमईआरए का प्राथमिक उद्देश्य है रेटिंग उपलब्ध कराना जो व्यापक, पारदर्शी और विश्वसनीय हों और जो रेटिड एककों को व्यापक ब्याज दरों पर निधियां उधार लेने में समर्थ बनाएं। एसएमईआरए ने रेटिड एककों को ब्याज रियायत दने के लिये 25 बैंकों और एसएफसी, जो एसएमईआरए की सेवाएं ले रहे हैं, के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ii) दिनांक 31.10.2008 तक, एसएमईआरए ने अपने परिचालन के आरंभ से, सृजित 3235 आवेदनों में से, एसएमई के लिये 2148 रेटिंग पूरी कर ली हैं। इनमें से, 145 (दिनांक 31.5.2008 की स्थिति के अनुसार) एसएमईआरए द्वारा पिछले वर्षो में रेटिड एसएमई की पुनरीक्षित रेटिंग हैं। एसएमईआरए ने वस्त्र, ऑटो, अभियांत्रिकी एवं निर्माण, स्टील फर्नीचर, औषधि और रबर उत्पाद क्षेत्रों के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में स्थित 13 समूहों के जोखिम प्रोफाइलिंग अध्ययन भी पूरे कर लिये हैं। एसएमईआरए ने कोयम्बतूर, लुधियाना, अहमदाबाद और जमशेदपुर में सुविधा केद्र स्थापित करने में सहायता की है। इसने एमएसएमई समूहों के जोखिम प्रोफाइलिंग की परियोजना को आगे बढ़ाया है और मार्च 2008 तक ऐसे नौ अध्ययन पूरे कर लिये हैं।

3.9 समूह आधारित दृष्टिकोणः

लेन-देन लागतों में कमी के कारण उपचित लाभों को ध्यान में रखते हुए, बैंकों ने एसएमई क्षेत्र को वित्तपोषित करने के लिये समूह आसधारित दृष्टिकोण अपनाया है। अब तक सिडबी ने देश भर में ''लघु उद्यम वित्तीय केद्र की योजना'' (एसईएफसी) के अंतर्गत 203 समूह कवर किये हैं।

4. ऋण निगरानी और विकास

4.1 प्राथमिकता क्षेत्र उधारः

4.1.1 सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का न्यूनतम 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को देना अपेक्षित है। बैंकों को इस समग्र लक्ष्य में से एएनबीसी का 18 % कृषि को तथा एएनबीसी का 10 प्रतिशत कमजोर वर्गों को देना अपेक्षित है।

4.1.2 सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के कुल बकाया प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम मार्च, 2008 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के अनुसार 6,08,963 करोड़ रुपये थे और पीएसबी के कमजोर वर्गों को बकाया अग्रिम 1,26,935 करोड़ रुपये थे।

4.2 महिला आर्थिक सशक्तिकरणः

4.2.1 भारत में महिलाओं द्वारा औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुँच बनाने में सामना की जा रही समस्याओं को पहचानते हुए तथा महिलाओं को ऋण के संवितरण में सुधार करने के उद्देश्य से, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दिसम्बर 2000 में, 13 सूत्रीय कार्य योजना कार्यान्वित करने की सलाह दी गई थी। उक्त कार्य योजना के अंतर्गत बैंकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, अपने निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का 5 प्रतिशत महिलाओं को 3 वर्षो के भीतर अर्थात मार्च, 2004 तक उधार देने के लिए निर्धारित करने की सलाह दी गई थी। 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, पीएसबी ने एएनबीसी का 6.12 प्रतिशत हासिल किया है।

4.2. गरीबी उन्मूलन तथा स्वरोजगार हेतु सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं यथा स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत, महिला उद्यमियों को कुछ हिस्सा अर्थात एसजीएसवाई के अंतर्गत 40 प्रतिशत तथा एसजेएसआरवाई के अंतर्गत 30 प्रतिशत आबंटित किया गया है।

4.2.3 महिलाओं के लिए बैंक ऋण तक पहुँचने के लिए एक और महत्वपूर्ण माध्यम स्वसहायता समूह (एसएचजी) है। 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, 3477965 एसएचजी को बैंकिंग प्रणाली से सम्बद्ध किया गया था जिसमें 22268.33 करोड़ रुपये का संचयी बैंक ऋण अन्तर्ग्रस्त है। बैंकों से लगभग 90 प्रतिशत ऋण सम्बद्ध एसएचजी महिला समूह ही है।

4.3 अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम :

बैंकों को, निर्धारित रुपरेखा के अनुसार, अल्पसंख्यकों के लिए अपनी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार को बढ़ाकर 31.3.2009 तक 13 % करना और 31.3.2010 तक 15 % करना अपेक्षित है। पीएसबी (आईडीबीआई सहित) द्वारा सूचित की गई प्रगति के अनुसार, 30.9.2008 की स्थिति के अनुसार प्रगति (बकाया) 9.90 % हुई है।

4.4 अल्पसंख्यक केद्रित जिलों में बैंक शाखाएं खोलना

पर्याप्त अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की मार्च, 2008 तक 544 बैंक शाखाएं खोलने से संबंधित वित्त

मंत्री के बजट भाषण की निगरानी की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अल्पसंख्यक संकेद्रण में खोली गई नई शाखाओं की 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार, संख्या 534 है। इसके अतिरिक्त, पीएसबी (आईडीबीआई सहित) द्वारा सूचित प्रगति के अनुसार, वर्ष 2008-09 के लिए निर्धारित 500 शाखाओं से अधिक के लक्ष्य में से 240 (अंनतिम आंकड़े) शाखाएं वर्ष 2008-09 की पहली दो तिमाहियों में खोल दी गई है। बैंकों को प्रगति तेज करने की सलाह दी गई है तथा नई शाखाएं अल्पसंख्यक बहुलता खण्ड में खोली जाएं।

4.5 शैक्षिक ऋण योजना

4.5.1 शैक्षिक ऋण योजना का प्रारम्भ 29.4.2001 को किया गया था । भारतीय बैंक संघ द्वारा वर्ष 2004, 2007-08 में योजना को आशोधित किया गया था।

4.5.2 शैक्षिक ऋण योजना इसके प्रारम्भ से ही बहुत सफल रही है। ऋण की राशि 31.3.2004 के 4550 करोड़ रुपये से बढ़कर 30.9.2008 के अनुसार 24,208 करोड़ रुपये (बकाया) हो गई है। ऋण खातों की संख्या 31.3.2004 के 3,19,337 से बढ़कर 30.9.2008 की स्थिति के अनुसार 14,09,930 हो गई है।

4.6 विभेदक बयाज दर (डीआरआई)

4.6.1 विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना का प्रारम्भ वर्ष 1972 में संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा दिए गए एक नीतिगत वक्तव्य के अनुसरण में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पिछले वर्ष के कुल अग्रिमों का एक प्रतिशत अग्रिम 4 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रदान करना अपेक्षित है। इस योजना के अंतर्गत ऋण सीमा 15,000/- रुपये तथा आवास प्रयोजन के लिए 20,000/- रुपये प्रति हिताधिकारी है।

4.6.2 डीआरआई योजना के अन्तर्गत उधारकर्त्ता की पात्रता के लिए आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 6400/- रुपये से बढ़ाकर 18,000/- रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 7200/- रुपये से 24,000/- रुपये कर दी गई है।

4.7 सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं :

(i) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) को आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। इस योजना का उद्देश्य पात्र युवकों को उद्योग, सेवा एवं कारबार क्षेत्रों में स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता करना है। इस योजना में देशभर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। बैंक से कारबार /सेवा क्षेत्र के लिए 2.00 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के लिए और उद्योग क्षेत्र के लिए 5.00 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 15 % सब्सिडी के रुप में, 12,500/- रुपये प्रति उद्यमी की अधिकतम सीमा के साथ, प्रदान किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत पीएसबी के 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, कुल बकाया ऋण 1619260 खातों में 10685 करोड़ रुपये थे।

पीएमआरवाई योजना को अब ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) में विलयित कर दिया गया है और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एक नई योजना नामतः प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना तैयार की गई है।

(ii) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्यम स्थापित करना है। ग्राम सभा द्वारा विधिवत् अनुमोदित बीपीएल जनगणना के द्वारा पहचाने गए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) परिवारों की सूची एसजीएसवाई के अंतर्गत सहायता के लिए परिवारों की पहचान का आधार बनेगी। एसजीएसवाई का उद्देश्य, समय के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में निरन्तर आय सुनिश्चित करके सहायता प्राप्त गरीब परिवारों (स्वरोजगारियों) को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है।

इस योजना के अंतर्गत पीएसबी के, 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, कुल बकाया ऋण 1561518 खातों में 4675 करोड़ रुपये थे।

(iii) स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

एसजेएसआरवाई का उद्देश्य, स्वरोजगार उद्यम स्थापित करके अथवा मजदूरी रोजगार का प्रावधान करके, बेरोजगार अथवा अल्प नियोजित शहरी गरीब (शहरी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति) को लाभदायक रोजगार प्रदान करना है। इस योजना का निधीयन केद्र तथा राज्यों मे 75:25 के आधार पर किया जाना है। व्यक्ति विशेष के मामले में योजना के अंतर्गत 50,000/- रुपये तक की परियोजना लागत प्रदान की जाती है। यदि दो अथवा इसके अधिक पात्र व्यक्ति भागीदार बनते हैं, तो अधिक लागत भी

प्रदान की जाएगी, बशर्ते परियोजना लागत में प्रत्येक व्यक्ति का अंश 50,000/- रुपये अथवा इससे कम हो।

इस योजना के अंतर्गत, पीएसबी के 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार, कुल बकाया ऋण 457967 खातों में 1484 करोड़ रुपये थे।

4.8 आवास क्षेत्र में पहल

सरकार का यह प्रयास रहा है कि उचित दरों पर पुर्नवित्त और ऋण सुविधाएं देने के जरिए विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण निर्धनों के लिए वहनीय कीमत पर आवास सुविधा में सुधार हो। इस दिशा में की गई हाल की कुछ पहले नीचे दी गई है:

(i) विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना के अंतर्गत आय मानदण्ड और ऋण सीमा को, अधिक गरीब परिवारें को आवास के लिये 4 प्रतिशत पर ऋण लेने पर ऋण लेने के लिये समर्थ बनाने के लिये और इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत टॉप-अप ऋण लेने के लिये पात्र बनाने के लिये बढ़ा दिया गया था।

(ii) प्राथमिकता क्षेत्र उधार के तहत कमजोर वर्गों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 2000 करोड़ रुपए के आबंटन सहित एनएचबी में एक ग्रामीण आवास निधि सृजित की गई है। इसके अतिरिक्त, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) की शोधक्षमता आवश्यकताओं में सहायता देने के लिये एनएचबी को 4000 करोड़ रुपए की एक विशेष पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

(iii) सरकार ने वरिष्ठ नागरिकें के लिये प्रतिवर्ती बंधक नामक जिसके अंतर्गत किसी घर के स्वामित्व वाले वरिष्ठ नागरिक, घर के स्वामी रहते हुए और ऋण के पुनर्भुगतान अथवा प्रसंस्करण के बगैर जीवन भर घर में रहते हुए, अपने घर को बंधक रखने पर भुगतानों के मासिक प्रवाह का लाभ ले सकते हैं। इस योजना से उत्पन्न कुछ कर संबंधी मुद्दो को स्पष्ट करने के उद्देश्यं से, सितंबर 2008 में आय कर अधिनियम में संगत संशोधन अधिसूचित किये गए थे।

5. बीमा क्षेत्र

5.1 बीमा

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधिनियमन से, भारत में बीमा उद्योग को निजी भागीदारी के लिए आरंभ करने के मार्ग को प्रशस्त किया गया । इसके साथ-साथ यह निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा स्थापित उद्यमों में विदेशी भागीदारी की अनुमति प्रदान करता है।

तथापि, सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा विदेशी संयुक्त उद्यम भागीदारी को बीमा कंपनियों की 26 प्रतिशत की प्रदत्त इक्विटी तक सीमित कर दिया है।

5.2 नए प्रवेशकर्ता

इस उद्योग के खोले जाने से अब तक, भारतीय परिक्षेत्र में पर्याप्त संभावना को देखते हुए इस क्षेत्र में भागीदारों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2000 में छः बीमाकर्ताओं (भारतीय जीवन बीमा निगम-एलआईसी सहित, सरकारी क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों तथा साधारण बीमा निगम-जीआईसी) से बढ़कर अक्तूबर, 2008 में जीवन, गैर-जीवन तथा पुनर्बीमा खंड में कार्य कर रही 42 कंपनियों के रूप में हो गई। इसमें विशेषज्ञ बीमाकंपनियों अर्थात निर्यात ऋण गारंटी कार्पोरेशन, कृषि बीमा कंपनी; तथा दो एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनियां सम्मिलित है। 20 गैर सरकारी जीवन बीमा कंपनियों में से 18 कंपनियों में विदेशी भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम है। गैर-जीवन खंड में स्थापित 12 गैर-सरकारी बीमा कंपनियों में से 11 कंपनियां विदेशी भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम हैं। इसके अतिरिक्त, दो एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने विदेशी भागीदारों के सहयोग से संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं। इस प्रकार, आदिनांक गैर-सरकारी क्षेत्र में 31 बीमा कंपनियों जिनमें से कुछ विदेशी बीमा कंपनियों की सहयोगी हैं, को पंजीकरण प्रदान किए गए हैं।

5.3 उद्योग विकास

(i) जीवन बीमा उद्योग

इस उद्योग द्वारा कुल प्रीमियम हामीदारी में वर्ष 2000- 2001 में 34,898 करोड़ रु. से वर्ष 2007-08 में 2,01,351 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है। प्रथम वर्ष प्रीमियम में, जो कि प्राप्त किए गए नए कारोबार का मापदंड है, जीवन बीमा कंपनियों द्वारा वर्ष 2000-01 में 9,708 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान 93,713 करोड़ रु. की हामीदारी की गई। चालू वर्ष के दौरान अप्रैल से अक्टूबर, 2008 के दौरान प्रथम वर्ष प्रीमियम हामीदारी पूर्व वर्ष में 38,615 करोड़ रु. की तुलना में इस अवधि के दौरान 39,686 करोड़ रु. थी।

(ii) गैर-जीवन उद्योग

गैर जीवन बीमाकंपनियों (ईसीजीसी तथा एआईसी जैसे विशेषज्ञ संस्थानों के अतिरिक्त) ने वर्ष 2000-01 में 9,807 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2007-08 में 27,824 करोड़ रु. के कुल घरेलू प्रीमियम की हामीदारी की। तेजी से उभर रहे प्रमुख खंडों में दो प्रमुख खंड हैं:- मोटर तथा स्वास्थ्य, जिनकी भारत में वर्ष 2007-08 में क्रमशः 45.59 और 17.59 प्रतिशत प्रीमियम हामीदारी हुई। वर्ष 2007-08 में केवल इन दो खंडों में क्रमशः 12,685 करोड़ रु. और 4,894 करोड़ रू. की प्रीमियम हामीदारी हुई। गैर जीवन बीमाकर्ताओं ने पूर्व वर्ष की अवधि में 16,286 करोड़ रु. की तुलना में चालू वर्ष के दौरान अप्रैल से अक्तूबर

2008 के दौरान, 18,058 करोड़ रु. की प्रीमियम हामीदारी की। पालिसियों की संख्या के संबंध में गैर-प्रशुल्कीकरण के पश्चात सम्पूर्ण कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, दरों में कमी के कारण प्रीमियम वृद्धि में कमी आई है।

5.4 प्रवेश तथा सघनता

5.4.1 बीमा क्षेत्र की संभाव्यता और कार्य निष्पादन को सार्वभौमिक रूप से दो मानकों में मापा जाता है अर्थात् बीमा प्रवेश तथा बीमा सघनता। बीमा प्रवेश को जीडीपी के एक वर्ष में हामीदार किए गए प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। बीमा सघनता को कुल जनसंख्या (तुलना की सुविधा के लिए अमरीकी डालर में मापा गया) के एक वर्ष में हामीदार किए गए प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब इस क्षेत्र को गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए खोला गया था, वर्ष 2000 में बीमा व्याप्ति 2.32 (जीवन 1.77 तथा गैर-जीवन 0.55) था तथा वर्ष 2007 में बढ़कर 4.60 (जीवन 4.00 तथा गैर जीवन 0.6) हो गया । बीमा प्रवेश के स्तरों में वृद्धि को पिछले कुछ वर्षों में जीडीपी में लगभग 8 प्रतिशत की औसत वृद्धि की तुलना में मापा जाना है। एशिया में विकसित हो रही अर्थव्यवस्था अर्थात् मलेशिया, थाइलैंड और चीन में बीमा प्रवेश इसी अवधि के दौरान क्रमशः 4.6, 3.4 और 2.9 थी। भारत में बीमा सघनता वर्ष 2000 में 9.9 अमरीकी डालर थी जो वर्ष 2007 में बढ़कर 46.6 अमरीकी डालर हो गई।

5.5 आम आदमी बीमा योजना

5.5.1 ''आम आदमी बीमा योजना'' देश में ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लाभ के लिए मृत्यु तथा विकलांगता के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु 2 अक्तूबर, 2007 को आरंभ की गई थी। उपर्युक्त योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा परिचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष प्रति सदस्य 200/- रू. का प्रीमियम है जिसका 50 राज्य सरकार द्वारा अदा किया जाता है और शेष 50% प्रीमियम सरकार द्वारा अंशदान की गई तथा एलआईसी द्वारा अनुरक्षित निधि से पूरा किया जाता है। आम आदमी बीमा योजना में शिक्षा सहयोग योजना भी शामिल है जिसमें लाभार्थी के कक्षा IX और कक्षा XII में पढ़ रहे अधिकतम दो बच्चों के लिए प्रतिमाह 100/- रू. की छात्रवृति के अतिरिक्त लाभ का प्रावधान है। उपर्युक्त योजना के परिचालन के लिए एलआईसी की निधि में 1000/- करोड़ रू.की राशि, ''आम आदमी बीमा योजना'' प्रीमियम निधि नाम से प्रदान की गई थी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रीमियम के 50% शेयर का भुगतान करने के लिए प्रयोग की जा रही है । एलआईसी में 500 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि सदस्यों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए ''आम आदमी बीमा योजना छात्रवृति निधि'' रखी गई है। गया है। अब तक 19 राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 31.12.2008 की स्थिति के अनुसार, कुल 60.32 लाख व्यक्तियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है।

5.6 बैंकों से ऋण संबद्ध स्व-सहायता समूहों को कवर करना

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण 2008-09 में यह कहा था कि जनश्री बीमा योजना की श्रेणी में से एक ''स्व सहायता समूह को'' योजना को विकसित करने तथा बैंकों से संबद्ध सभी महिला एवं सहायता समूहों को शामिल करने की दृष्टि से विशेष रूप से ध्यान देने के लिए, चुना गया है। एलआईसी को बैंकों, नाबार्ड और अन्य राज्य सरकारों से संपर्क करने तथा इस योजना के अंतर्गत 2.50 लाख स्व-सहायता समूहों को कवर करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास करने के लिए कहा गया है। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 31.12.2008 की स्थिति के अनुसार, 924,930 व्यक्तियों सहित 75,356 स्व सहायता समूहों (एसएचजी) को कवर किया गया है।

5.7 सरकार ने संसद में दिनांक 22.12.2008 को निम्न दो विधेयक प्रस्तुत किए:

(i) बीमा अधिनियम, 1938, साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में संशोधन करने के लिए बीमा विधि (संशोधन) विधेयक 2008 राज्य सभा में और

(ii) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में संशोधन करने के लिए जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 लोक सभा में।

प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य, बीमा कारोबार से संबंधित कानूनों का पुनरीक्षण करना और उनमें सुधार लाना तथा अनावश्यक प्रावधानों को हटाना है। बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण को अपने कार्यों को प्रभावी रूप से करने की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कुछ प्रावधान भी सम्मिलित किये गए हैं।

5.8 सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना

5.9.1 सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों ने सितम्बर, 2008 में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना को संशोधित किया है जिसमें इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम कम कर दिया गया और मिलने वाले लाभों को बढ़ा दिया गया है।

5.9.2 संशोधित योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हः

(i) **प्रीमियम में कमी**- प्रीमियम दरों में की गई कमी निम्नलिखित हैः

पालिसी	वर्तमान प्रीमियम	संशोधित प्रीमियम	भारत सरकार का अंशदान
व्यक्ति	365	300	200
5 सदस्यों तक	548	450	300
7 सदस्यों तक	730	600	400

(ii) **मातृत्व लाभों का विस्तार**- संशोधित योजना में मातृत्व लाभ प्रदान किया गया है बशर्ते सामान्य प्रसव के लिए 2,500/- रु. तथा आपरेशन द्वारा प्रसव के लिए 5,000/- रू. का व्यय हो। इस राशि में 3 माह तक नवजात शिशु पर किए गए चिकित्सा व्यय की राशि भी शामिल होगी।

(iii) **अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि**- इस योजना के अंतर्गत और अधिक परिवारों को सम्मिलित करने के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिकतम आयु सीमा को वर्तमान 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है।

(iv) **पहले से विद्यमान बीमारियों को सम्मिलित करना** - पहले से विद्यमान सभी बीमारियां, जो योजना के कार्य क्षेत्र से अभी हाल ही में हटा दी गई थी, उन्हें भी शामिल किया गया है।

(v) **मजदूरी की हानि होने पर लाभ**- संशोधित योजना में इस लाभ को बढ़ाकर बीमित व्यक्ति के पति/पत्नी के लिए कर दिया गया है।

6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

6.1 आरआरबी का समामेलन

सरकार ने सितंबर 2005 में, एक ही राज्य में एक ही बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी को समामेलित करके आरआरबी के ढाँचागत समेकन के लिये एक प्रक्रिया आरंभ की। समामेलित आरआरबी से अपेक्षित है कि वे बेहतर अवसंरचना, शाखाओं के कंप्यूटरीकरण, अनुभवी कार्य बल को इकट्ठा करने, प्रचार एवं विपणन के सम्मिलित-प्रयास, आदि के कारण बेहतर ग्राहक सेवा देंगे और साथ ही, और बड़े परिचालन क्षेत्र, बढ़ी हुई ऋण एक्सपोज़र सीमाओं का लाभ भी उठाएंगे। समामेलन के परिणामस्वरूप, दिनांक 26.3.2008 को स्थापित एक नए आरआरबी, यथा पुदुच्चेरी संघ राज्य में, इंडियन बैंक द्वारा प्रयोजित पुदुवाई भारथियार ग्राम बैंक, सहित, आज की तारीख (27/1/2009) की स्थिति के अनुसार, आरआरबी की संख्या 196 से घर कर 86 रह गई है।

6.2 आरआरबी का शाखा विस्तार

आरआरबी को परामर्श दिया गया है कि वे शाखाओं का विस्तार जोर-शोर से करें, विशेषतः कवर न किये गए जिलों को कवर करने और बिना सेवा वाले क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिये। इसके अनुसरण में, आरआरबी ने अप्रैल 2007 से नवंबर 2008 तक 534 शाखाएं खोली हैं।

6.3 आरआरबी का पुनर्पूंजीकरण

ऋणात्मक वाले 27 आरआरबी में से 22 आरआरबी (20 पूर्णतः और 2 आंशिक रूप से) को, संबंधित राज्य सरकार द्वारा उनके हिस्से का अंशदान करने पर, पुनर्पूंजीकृत कर दिया गया है और 7 आरआरबी (5 गैर-पुनर्पूंजीकृत और 2 आंशिक रूप से पुनर्पूंजीकृत) को पुनर्पूंजीकृत किये जाने की संभावना है।

6.4 आरआरबी के लिये मानव संसाधन नीति संबंधी समिति

आरआरबी में मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिये मई 2007 में डॉ. वाई.एस.पी. थोराट, तत्कालीन अध्यक्ष, नाबार्ड, की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट दिनांक 20.8.2008 को सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी। रिपोर्ट में, अन्य बातें के साथ-साथ, शाखाओं की संख्या तथा कारोबार स्तर के आधार पर आरआरबी का वर्गीकरण, मुख्यालय, नियंत्रक कार्यालयों और शाखाओं में स्टाफिंग पैटर्न, आरआरबी के कर्मचारियों की कैरियर प्रोन्नति, आदि जैसे मुद्दों पर विचार किया गया है। संशोधित स्टाफिंग पैटर्न में प्रोन्नति के बेहतर अवसरों के कारण यह अपेक्षा की जाती है कि इसके परिणामस्वरूप आरआरबी के कार्य-निष्पादन में थोड़ा तो सुधार होगा।

6.5 आरआरबी के अध्यक्षों को प्रोत्साहन देना

सरकाहरी क्षेत्र के बैंकों की तर्ज पर आरआरबी के अध्यक्षों को प्रोत्साहन देने की एक योजना भारत सरकार द्वारा बनाई गई है और उसकी सूचना नाबार्ड को दे दी गई है। आरआरबी और प्रायोजक बैंकों को नाबार्ड द्वारा परामर्श दिया गया है।

7. ऋण वसूली अधिकरण

7.1 दिनांक 31.3.2009 तक उत्पन्न मौजूदा और आशातीत रिक्तियों के लिये विभिन्न ऋण वसूली अधिकरणों के लिये सात पीठासीन अधिकारी और ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण के लिये एक अध्यक्ष नियुक्त किये गए थे।

7.2 ऋण वसूली अधिकरणों/ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों में पंजीयकों, सहायक पंजीयकों और वसूली अधिकारियों की रिक्तियों को भरने के लिये दो अभियान चलाए गए थे। उक्त पदों के लिये दो अभियानों में 57 का चुनाव हुआ था।

7.3 छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के पश्चात ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारियों के वेतन, भत्ते और सेवा संबंधी निबन्धन एवं शर्तें) नियमावली, 1993 में संशोधन किया गया था।